खण्ड–25, अंक–03
गुरूवार, 07 फाल्गुन शक संवत्, 1930
(26 फरवरी, 2009 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 25 में 04 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने की माँग	1–4
प्रश्नोत्तर	4–44
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2008 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य– संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	44
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	45
राज्य में कार्यरत कैडर सचिवों की वेतन विसंगतियों तथा समस्याओं के कारण हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	45
नगर पालिका मंगलौर, जनपद हरिद्वार में सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	45–46
बी0पी0एल0 परिवारों को राशन कार्ड देकर राशन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	46
सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों में स्थानीय मेधावी छात्रों को प्रवेश न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	46–47
विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत द्वाराहाट, ताड़ीखेत तथा भिकियासैंण के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जालली विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	47
विकास खण्ड गदरपुर, ऊधमसिंह नगर के मध्य बहने वाली नदियों से कृषि भूमि कटाव रोकने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	47–48

विषय	पृष्ठ संख्या
वर्ष 1994 के उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को सम्मानित कर नगद धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	48—50
विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं	50
श्री अमित सिन्हा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	50—51
श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	51—53
श्री ओ0पी0 शर्मा एवं श्री अजय ध्यानी, कोतवाल रुद्रपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	53—55
श्री जय कुमार, पासपोर्ट अधिकारी, देहरादून के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना	55—57
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	57
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) विधेयक, 2009 ...	57—58
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	58—59
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	59—83
पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	83—84
इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	84
देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	84—85
हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन दी स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	85

विषय	पृष्ठ संख्या
पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	85—86
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ...	86—99
वित्तीय वर्ष 2009—2010 के एक भाग के लिए लेखानुदान (स्वीकृत) ...	99—103
उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित एवं पारित)	103—106
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)	106—128
नियम—53 के अन्तर्गत सूचनाएं	128

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री केदार सिंह रावत
10–श्री केदार सिंह फोनिया
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश जोशी
15–श्री गोपाल सिंह
16–श्री गोपाल सिंह रावत
17–श्री गोविन्द लाल
18–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20–श्री चन्दन राम दास
21–श्री जोत सिंह गुनसोला
22–हाजी तस्लीम अहमद
23–श्री तिलक राज बेहड़
24–श्री दिनेश अग्रवाल
25–श्री दिवाकर भट्ट
26–श्री दिवान सिंह
27–श्री नारायण पाल
28–काजी मौ0 निजामुद्दीन
29–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30–श्री प्रकाश पन्त
31–श्री प्रीतम सिंह
32–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
33–श्री प्रेमानन्द महाजन
34–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
35–श्री बलवीर सिंह नेगी
36–श्री बिशन सिंह चुफाल
37–श्री बंशीधर भगत
38–श्री बृज मोहन कोटवाल
39–श्री मदन कौशिक
40–श्री मनोज तिवारी
41–श्री मयूख सिंह
42–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"
43–श्री मातबर सिंह कण्डारी
44–श्री मुन्ना सिंह चौहान
45–श्री यशपाल बेनाम
46–चौ0 यशवीर सिंह
47–श्री रणजीत रावत
48–डा0 रमेश पोखरियाल'निशंक'
49–श्री राजकुमार
50–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
51–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
52–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53–श्रीमती वीना महराना
54–श्री शहजाद
55–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
56–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
57–श्री सुरेन्द्र राकेश
58–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
59–श्री सुरेश चन्द जैन
60–डा0 हरक सिंह रावत
61–श्री हरभजन सिंह चीमा
62–श्री हरिदास
63–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की माँग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। जरा पहले मैं स्वयं तो देख लूँ कि आज कौन–कौन सी सूचनायें हैं।

(घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

ठीक है। सूचनायें देख लीजिए। हो सकता है आप हमारी सूचनायें स्वीकार कर लें।

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य श्री चौधरी यशवीर सिंह तथा काजी निजामुद्दीन,दूसरी सूचना श्री प्रीतम सिंह तथा केदार सिंह रावत,तीसरी सूचना श्री गोपाल सिंह राणा तथा चौथी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री नारायण पाल जी की, कुल 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं में कोई भी विषय नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने योग्य नहीं है। परन्तु इनमें श्री प्रेमानन्द महाजन की सूचना, जो उत्तराखण्ड में रहने वाले बंगला भाषी विस्थापित नमःशुद्र,पौण्ड,मांझी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने की माँग केन्द्र सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में है, के विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैं निर्देशित करता हूँ कि सरकार इस पर विचार करे। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। श्री प्रेमानन्द महाजन की सूचना पर निर्देश आ गया है। मैं पुनः पढ़ रहा हूँ सुन तो लीजिए। श्री प्रेमानन्द महाजन की सूचना जो उत्तराखण्ड में रहने वाले बंगला भाषी विस्थापित नमःशुद्र, पौण्ड, माछी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने की माँग केन्द्र सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में है, के विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैं निर्देशित करता हूँ कि सरकार इस पर विचार करें।(शोर)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य श्रीमती अमृता रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के बेरोजगार प्रशिक्षित नौजवान रोजगार की माँग को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलित हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पिछले सदन में कहा था कि जल्दी ही विशिष्ट बी0 टी0 सी0 की विज्ञप्ति जारी की जायेगी और पीठ के द्वारा भी इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे। लेकिन विशिष्ट बी0 टी0 सी0 की विज्ञप्ति आज तक जारी नहीं की गई। उससे पूरे प्रदेश का नौजवान आंदोलन कर रहा है। पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, और जगह–जगह आंदोलन हो रहे हैं। जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जगह–जगह दौरा किया गया और माननीय मंत्रियों के दौरे के समय नौजवान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने के लिए आंदोलन कर रहे थे तो उन पर लाठी चार्ज किया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते तब तक उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(नेता प्रतिपक्ष माननीय डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य 'वेल' में अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

डा0 हरक सिंह रावत–

आन्दोलित नौजवानों को गिरफ्तार किया गया माननीय अध्यक्ष जी। बड़ा ज्वलन्त मुद्दा है,उत्तराखण्ड की स्थापना उत्तराखण्ड राज्य के नौजवानों को रोजगार देने के लिए हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया माननीय सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने के लिए कहें। जब तक माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर नही बैठेंगे, तब तक इनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, रोजगार से बड़ा मुद्दा कोई नही है। हमारे नौजवान जो प्रशिक्षित हैं आज पूरे देश में आन्दोलन कर रहे हैं और उनके मन में आक्रोश है। क्योंकि सदन के अन्दर पिछली बार सरकार ने आश्वासन दिया था कि विशिष्ट बी0 टी0 सी0 का विज्ञापन शीघ्र ही विज्ञापित किया जायेगा। आज लोक सभा के चुनाव नजदीक हैं। एक तरफ सरकार खोखली घोषणा कर रही है और शिलान्यास कर रही है। करोड़ों रूपये सरकार बर्बाद कर रही है। जनता की मेहनत की कमायी बर्बाद कर रही है। नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार ने आंखें बन्द की हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अतिमहत्वपूर्ण सवाल है। प्रदेश के नौजवानों से जुड़ा हुआ है और प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है। जगह–जगह ये नौजवान लाठी के शिकार हो रहे हैं और जेल में ठूंसे जा रहे हैं। आपसे निवेदन है और आपका संरक्षण चाहिए। पूरे प्रदेश के नौजवान आज आपकी ओर टकटकी लगाये हुए हैं। हमको सरकार से उम्मीदें नहीं हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि इस अति महत्वपूर्ण विषय पर, सारे नियमों को शिथिल करते हुए आज इसमें चर्चा करा ली जाय। (माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे और साथ ही अन्य माननीय सदस्य भी नारे लगाते रहे और अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इसमें आपकी सूचना तो नही है, केवल माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत जी की है। मैं इसे नियम–58 के अन्तर्गत सुन लूँगा। सभी सूचनायें महत्वपूर्ण हैं,ये नहीं कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गये।)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आपकी इस सूचना में कोई निश्चित बात नहीं कही गयी है। आप इस सूचना में कोई उदाहरण दें। तभी इस सूचना पर नियमों के अन्तर्गत चर्चा की जायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, इनकी सूचना को भी कल नियम-58 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप कल नियम-58 में इस सूचना को दे दें,हम परीक्षण करा लेंगे।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते तब तक इनकी बात का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। दी गयी सूचना नियम -310 की परिधि में नहीं आती है इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया स्थान ग्रहण करें। आप कल नियम-58 में दे दीजियेगा, हम इसका परीक्षण करा लेंगे।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय शहजाद जी, मुझे विवश होकर बड़े कष्ट के साथ यह कहना पड़ेगा कि आपकी बात का संज्ञान न लिया जाय। कृपया स्थान ग्रहण करें। आप नेता बसपा हैं,कृपया आप अपने स्थान पर जाईये। हम सबकी बात सुन रहे हैं। कृपया आप अपने स्थान पर जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

मण्डी एक्ट न बनने से प्रदेश को हुई आर्थिक क्षति

*1-श्री प्रीतम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश का मण्डी एक्ट बन चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या मण्डी एक्ट न बनने से प्रदेश को कोई आर्थिक क्षति हुई है?

यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

जी हां। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं यथा अनुकूलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट पूछा है कि क्या मण्डी एक्ट न बनने से प्रदेश को कोई आर्थिक क्षति हुई है? जो उत्तर दिया है माननीय मंत्री जी ने 'उपरोक्तानुसार'। मैं समझता हूँ कि यह उत्तर सही नहीं है। क्योंकि मैंने यह पूछा कि कोई क्षति हुई है या नहीं हुई है और माननीय मंत्री जी ने कहा है 'उपरोक्तानुसार', फिर पर्यटन मंत्री जी कहेंगे कि सप्लीमेंट्री बाहर से पूछ लिया इसलिए जवाब नहीं दे पाए। पहले मंत्री जी यह सुनिश्चित कर लें। मैंने यह पूछा कि क्या आर्थिक क्षति हुई है या नहीं हुई है। आप कह रहे हैं 'उपरोक्तानुसार'। जब जवाब ही सही नहीं तो मैं सप्लीमेंट्री पूछूँगा तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यह बाहर से पूछा है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे राज्य में एक्ट बना नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह चीज मैंने मान ली। मैंने इसको स्वीकार कर लिया कि आप उत्तर प्रदेश का जो मण्डी एक्ट है उसके अनुसार चल रहे हैं। मैंने यह पूछा कि अपना एक्ट न बनने से क्या कोई आर्थिक क्षति हो रही है या नहीं हो रही है? आपने कहा 'उपरोक्तानुसार'। क्षति हो रही है या नहीं हो रही है पहले माननीय मंत्री जी इसका जवाब तो दे दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, यह बताने की बात नहीं है। यह लिखित उत्तर है। इसमें भी अगर माननीय मंत्री जी बात करेंगे तो इसको स्थगित करा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले इसमें माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण तो आ जाए। आपकी बात आ गयी। माननीय मंत्री जी की भी बात आने दीजिए।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, जवाब सही नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, उत्तर सीधा और सरल है। श्रीमन, जब एक्ट परिचालित है तो उसमें आर्थिक क्षति होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर 'उपरोक्तानुसार' दे दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण आ जाए,कृपया शान्त रहें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य का आशय ए0 पी0 एम0 सी0 से है। माननीय सदस्य सदन के सदस्य हैं इसलिए माननीय सदस्य के सवाल को गम्भीरता से लेते हुए बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक आर्थिक क्षति का सवाल है तो इसका हम परीक्षण करा लेंगे, एक कमेटी बना लेंगे कि क्षति हुई है या नहीं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह तो बड़ी अजीब परम्परा सदन के अन्दर है, यह सही जवाब नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, जवाब बिल्कुल सही हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब प्रश्न पहले से था कि क्षति हुई है या नहीं तो इसका लिखित उत्तर आना चहिए था। इसको स्थगित कर दें।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य सदन में अपने स्थान पर बैठ गये।)

(माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल तथा प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं, मैंने चार माननीय सदस्यों को खड़े होकर बोलने की अनुमति नहीं दी है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एक्ट है और कहा है कि इसका परीक्षण करा लेंगे कि क्षति हुई है या नहीं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह प्रश्न पूछा कि क्या मण्डी एक्ट न बनने से प्रदेश को आर्थिक क्षति हुई है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उपरोक्तानुसार। मैंने अभी सप्लीमेंट्री पूछा ही नहीं और कहा कि समिति का गठन करेंगे, परीक्षण करा लेंगे कि नुकसान हुआ है या नहीं, यह तो कोई बात नहीं है। अगर प्रश्नों का जवाब इस तरह आयेगा तो मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये तैयारी करके आयें। मान्यवर, अगर नुकसान नहीं है और कोई हानि नहीं हो रही है तो समिति गठन की आवश्यकता कहाँ है।(व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपने प्रश्न उठाया इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस तरह के जवाब आयेंगे तो एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात को गम्भीरता से लेते हुये परीक्षण कराने का आश्वासन दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, गम्भीरता से कहाँ लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से सदन चलाना है तो कैसे चलेगा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार लगातार विपक्ष पर आरोप लगाती रही है कि विपक्ष सदन को नहीं चलने देता है। हमारी मंशा सदन को चलाने की है, हमारी मंशा प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल करने और जवाब सुनने की है। हम सवाल करें और सरकार की ओर से जवाब आये, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार की यह गम्भीरता दिखाई देगी

कि सवाल माननीय सदस्य के द्वारा कई बार पूछा गया होगा तो क्या माननीय मंत्री जी और सरकार परीक्षण तब नहीं करा सकती थी ? अब तक सवाल सदन में उठ रहा है तब परीक्षण की बात कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसे स्थगित कर दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सदन की परम्परा है कि माननीय सदस्य कोई बात कहें तो उसका संज्ञान लिया जाता है। माननीय सदस्य ने कहा कि इससे क्षति हुई तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसका संज्ञान लिया जायेगा और जाँच करायेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सप्लीमेंट्री सवाल नहीं है कि क्षति हुई है या नहीं, बल्कि यह मूल सवाल है। यदि कोई सप्लीमेंट्री सवाल होता तो तब उसके परीक्षण की बात माननीय मंत्री जी करते। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जब क्षति हुई ही नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर,'उपरोक्तानुसार' क्या होता है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें।(व्यवधान) जब माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि कोई क्षति हुई है या नहीं हुई है, जब कोई समिति बैठेगी, तब ही कोई निर्णय होगा। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न है कि क्या इस प्रदेश में मण्डी एक्ट लागू हो गया है। (व्यवधान) मान्यवर, अब यदि बन चुका है। यदि ऊपर यह होता कि नहीं बना है तो तब दूसरा प्रश्न उठता था कि न बनने से प्रदेश में कोई आर्थिक क्षति है। जब स्वतः ही ऊपर कह दिया है कि नहीं बनने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब उत्तर कह दिया है कि बन गया है तो स्वतः ही यह विषय समाप्त हो जाता है। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी तक प्रदेश का एक्ट नहीं बना है, यह जो एक्ट लागू है,यह उत्तर प्रदेश का एक्ट है। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि एक्ट बन चुका है (व्यवधान) मूल प्रश्न तो यह था कि एक्ट बन चुका है या नहीं। इसका सीधा सा जवाब आना चहिए था कि अभी प्रदेश का कोई एक्ट नहीं बना है,अभी उत्तर प्रदेश का एक्ट लागू है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"--

मान्यवर, जितने भी एक्ट उत्तर प्रदेश में थे, वे उत्तराखण्ड सरकार ने स्वतः ही लिये हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आज उत्तराखण्ड को बने हुए 8--9 साल हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जब तक नया एक्ट लागू नहीं हो जाता है,तब तक उत्तर प्रदेश का एक्ट ही लागू रहेगा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, बहुत ही स्पष्ट सवाल था कि क्या कृषि मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश का मण्डी एक्ट बन चुका है? इसका जवाब था--जी हाँ, इसका मतलब है कि बन चुका है। जबकि उत्तर आना चहिए था कि प्रदेश का एक्ट बना नहीं है। आपको कहना चहिए था कि हम उत्तर प्रदेश के एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 'जी हां' की बात ही नहीं करनी चहिए थी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर,जब उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद तत्कालीन समय में सारे एक्ट उत्तर प्रदेश के लागू रहे हैं और मण्डी एक्ट भी उत्तर प्रदेश का ही यहां पर लागू है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस सदन के बहुत ही पुराने और सम्मानित सदस्य रहे हैं, आप आज पीठ पर विराजमान हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) इसमें माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं यथा अनुकूलित है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, यह तो उत्तर प्रदेश का एक्ट है। (व्यवधान) जबकि सवाल था कि क्या उत्तराखण्ड में अपना मण्डी एक्ट बन गया। सरकार ने उत्तर दिया-- जी हां। जबकि सरकार को कहना चहिए था कि उत्तर प्रदेश का 1964 का एक्ट ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, पहले कह रहे हैं–जी हाँ, फिर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एक्ट लागू है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, वैसे तो आपने स्पष्ट कर दिया है लेकिन फिर भी एक बार पुनः स्पष्ट कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आप सत्ता पक्ष को संरक्षित करेंगे तो यह गलत बात है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप पूरी बात तो सुन लीजिए। (व्यवधान) पूरी बात तो आने दीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश का मण्डी एक्ट बन चुका है? मंत्री जी, आपने कहा–जी हाँ। वह मण्डी एक्ट कहाँ है? (मेजों की थपथपाहट)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरान्त अपने राज्य में उत्तर प्रदेश का जो एक्ट है,उसको स्वीकार किया गया है। (व्यवधान) वही इस समय राज्य में उपान्तरित और अनुकूलित है। यह 1964 का एक्ट है। मैं नहीं समझता कि इसमें संशय कहाँ है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, यह माननीय मंत्री जी की गलती नहीं, यह तो सचिवों की गलती है । (व्यवधान) माननीय मंत्री जी बिना तैयारी के आते हैं, जो सचिव ने लिख कर दे दिया उसको यहाँ पर पढ़ दिया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को यह भी बता दीजिए कि जो राज्य पुनर्गठन एक्ट था, उसमें क्या व्यवस्था थी?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, उसमें यह व्यवस्था थी कि जब तक अपने एक्ट नहीं बनेंगे, तब तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक्ट लागू रहेंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह बहुत गंभीर विषय है। मण्डी प्रदेश की आय का बहुत बड़ा स्रोत है। मण्डी प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की आय के स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय, नेता प्रतिपक्ष, आप विदित हैं कि जो पुनर्गठन विधेयक था, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जब तक नये एक्ट नहीं बनेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश के एक्ट लागू होंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम इस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल था कि क्या उत्तराखण्ड में विधेयक बना, इनको कहना चहिए था कि जी नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश का मण्डी एक्ट है, वह उपान्तरित हो चुका है। हमें उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 के आधार पर वह प्राप्त हुआ है। (व्यवधान) विषय यह है कि राज्य में वर्तमान में मण्डी एक्ट लागू है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक से प्राप्त शक्तियों के आधार पर वह हमारे यहाँ उपान्तरित है। (व्यवधान) मान्यवर, इसमें स्पष्ट है।(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट में हमें कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक्ट हमारे प्रदेश में लागू हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूँ कि प्रश्न में कहाँ पर लिखा है कि नया एक्ट बन चुका है? यहाँ पर पूर्ववर्ती एक्ट चल रहा है,जिसमें आप भी चल रहे थे और हम भी चल रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, आप नया एक्ट पूछते तो मैं जवाब देता। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि आपने नये एक्ट के बारे में बात नहीं की है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार द्वारा सदन को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जो मंशा थी, उसके अनुसार मंत्री जी ने कह दिया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मंशा क्या है, सदन में आप सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, यह सदन का अपमान है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

13 प्रश्न और हैं, कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह सदन को और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर इस तरह के जवाब आयेंगे तो हम क्या उम्मीद इस सरकार से करें। इससे समस्या का समाधान कैसे हो पायेगा?

श्री अध्यक्ष–

अब आप क्या चाहते हैं? माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण भी आ गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष से निवेदन है कि वे थोड़ा शांत होकर सुन लें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मंत्री जी लिखित जवाब भी गलत दे रहे हैं, इसे कैसे सुना जाय?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने जवाब दे तो दिया, स्पष्टीकरण भी उन्होंने दे दिया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, लिखित जवाब ही सही नहीं दिया जा रहा है। पहले कह रहे हैं कि मंडी एक्ट बन चुका है और दूसरी ओर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एक्ट लागू है, यह कन्ट्राडिक्ट है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 जो उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं यथा अनुकूलित है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, ऐसा नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ऊंची आवाज में बोलकर हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। मंत्री जी की बातों में कन्ट्राडिक्ट है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह ऐसा करके सरकार को दबाव में लेना चाहते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मंत्री जी की बातों में विरोधाभास है। एक तरफ ये कहते हैं कि मंडी एक्ट बन चुका है और दूसरी तरफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का 1964 का एक्ट लागू है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने उसे स्पष्ट तो कर दिया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कुछ स्पष्ट नहीं किया है, सरकार सदन को गम्भीरता से नहीं ले रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने सदाशयता का परिचय देते हुये कहा कि विपक्ष ने यह बात उठाई है तो हम उसका परीक्षण करा लेते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये, क्योंकि मंत्री जी इसका परीक्षण कराने की बात कर रहे हैं, जब परीक्षण हो जायेगा तो जवाब उसके बाद आ जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जब परीक्षण करा लें और जब इसका जवाब आ जाये तो फिर इस प्रश्न को ले लिया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

*2–श्री प्रीतम सिंह–

षष्टम सोम0 के तारा0–3 में स्था0।

उत्तराखण्ड में एस0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बजट में कमी के कारण

*3–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में एस0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष में एस0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत बजट कम किया गया है?

यदि हाँ, तो बजट कम करने के क्या कारण हैं?

समाज कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)

गत वर्ष 2007–08 (रू.749.82 करोड़) के सापेक्ष चालू वर्ष (रू.854.73 करोड़) में परिव्यय बढ़ा है। परिव्यय के अनुरूप बजट व्यवस्था कराने हेतु सम्बन्धित विभागों से अपेक्षा की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि निर्धारित गत वर्ष 2007–08 का जो बजट था और चालू वित्त वर्ष का जो बजट है, इसका कितना बजट अब तक खर्च कर लिया गया है? साथ ही सम्पूर्ण बजट खर्च न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय, अध्यक्ष जी, गत वर्ष 2007–08 में बजट 660 करोड़ 60 लाख का था। मान्यवर, उसके सापेक्ष जो हमारा खर्च हुआ था, (व्यवधान) मान्यवर, बजट का जो प्राविधान था 748 करोड़ 62 लाख का प्राविधान था। उसके सापेक्ष जो बजट था 660 करोड़ 60 लाख का और वर्ष 2007–08 में 350 करोड़ 19 लाख रूपया खर्च हुआ था। सम्बन्धित विभागों से हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपना बजट बनाएं। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं। जैसे परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग में पैसा खर्च कम हो पाता है। इसी प्रकार से जलागम विभाग है, जलागम विभाग में विश्व बैंक से पैसा मिलता है। एक सामान्य नीति बनी है कि जो बाहरी संस्थाओं से पैसा मिलता है, उस पैसे को पहले खर्च किया जाए। इसी प्रकार से आपका नगर विकास है। नगर विकास में भी जो हमको पैसा मिलता है, जे0 एन0 एन0 एम0 यू0 आर0 एम0 से पैसा मिलता है, वो पैसा पहले खर्च किया जाता है। इसलिए कम बजट खर्च होने का यह भी एक कारण है। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एस0 सी0 पी0............। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर तो आया नहीं है। 2008–09 का पूछा है, उसका भी जवाब नहीं आया।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं 2008–09 का उत्तर देता हूँ। इसमें बजट का जो प्रविधान किया है, बजट का परिव्यय है, हमारा 854 करोड़ 73 लाख का बजट का प्राविधान था। प्राविधान जो किया है 499 करोड़ 62 लाख,यह परिव्यय का प्राविधान है। जो पिछले साल हमारा बजट था उससे हमने 150 करोड़ रूपया बढ़ाया है। 660 की जगह पर हमने 499 खर्च किया है। (व्यवधान) जो खर्च हुआ है, क्योंकि लगातार 2006 से खर्च कम हुआ,(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात आने दीजिए। माननीय मंत्री जी अभी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। कृपया शान्त रहिए।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान समय में जो हमारा खर्च हुआ है 168 करोड़ 28 लाख रूपया खर्च हुआ है।(व्यवधान) (विपक्ष द्वारा शेम–शेम के नारे लगाये गये।)

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, 10 परसेन्ट भी खर्च नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष जी।

श्री बिशन सिंह चुफाल—

मान्यवर, खर्च कम होने का कारण यह था कि (घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, इसी समय पंचायतों के चुनाव हुए, आचार संहिता होने के कारण खर्च नहीं हो पाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करिए।

श्री बिशन सिंह चुफाल—

मान्यवर, बजट कम खर्च होने का कारण इस समय त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव और इसी समय पौड़ी लोकसभा उप चुनाव भी था। इस कारण भी खर्च कम हो पाया।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बहाना कर रहे हैं। कभी चुनाव का......। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिए।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि योजना आयोग, भारत सरकार की गाइड लाईन क्या है नम्बर—1, और उस गाइड लाइन में क्या इस बजट को लैप्स करने का कोई प्रविधान है? पैसा डायवर्ट करने का कोई प्राविधान है? पहले मेरा सवाल समझ लीजिए माननीय मंत्री जी, योजना आयोग की, भारत सरकार की गाइड लाइन क्या है? नम्बर एक मान्यवर, उस गाइड लाइन में इस बजट को लैप्स करने का कोई प्रविधान है?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी की बात पूरी आने दीजिए।

श्री बिशन सिंह चुफाल—

माननीय अध्यक्ष जी, 2008—2009 में जो हमने परिव्यय रखा था।(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, योजना आयोग की गाइड लाइन्स क्या हैं, क्या उस पैसे को लैप्स किया जा सकता है? यह नहीं पूछ रहा हूँ कि कितना खर्च हुआ है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह पूछा जा रहा है कि योजना आयोग भारत सरकार की गाइड लाइन क्या है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय निजामुद्दीन जी, सुरेन्द्र राकेश जी अपनी बात कहने के लिए सक्षम हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, क्योंकि जो भारत सरकार की गाइड लाइन है, गाइड लाइन के हिसाब से 18 प्रतिशत जो पैसा है वह पैसा एस0 सी0 पी0 में खर्च किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, क्या उस पैसे को लैप्स या ट्रॉन्सफर कर सकते हैं?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जो पैसा है वह उसी मद में अवमुक्त है। लैप्स नहीं होता है। विगत वर्ष का जो पैसा है वह अभी भी जनपदों में 14 करोड़ रूपया हमारा पड़ा हुआ है, जो पंचायतों के चुनावों के कारण खर्च नहीं हो पाया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2006–2007 का रू0 366 करोड़ अभी खर्च नहीं हुआ है और वर्ष 2007–2008 का लगभग रू0 400 करोड़ खर्च नहीं हुआ है। इस वर्ष का मात्र रू0 160 करोड़ खर्च हुआ है। मान्यवर, भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार जब यह लैप्स नहीं हो सकता है तो यह खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार इस पैसे को क्यों नही खर्च कर रही है? मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपदों में विगत वर्ष से पैसा पड़ा हुआ है।(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, 2006–07 तथा 2007–08 का पैसा पड़ा है, उसके पहले का 2003,2004, 2005 का पड़ा है, क्या यह पैसा पड़ा ही रहेगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए सरकार का निराशाजनक रवैया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य और नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से अपनी बातें कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। यह आपका उचित माध्यम नहीं है।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् अपनी बात को कहते रहे और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण नहीं करते तब तक किसी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया तो है। उससे आप असहमत हैं या जवाब में कोई विसंगति है तो वह बतायें। कृपया पहले आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

पिछले चार सालों का मामला है। उस समय आपकी सरकार भी थी।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण नहीं करते तब तक माननीय सदस्यों की किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

('वेल' में खड़े मा0 सदस्य पूर्ववत नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। अगर जवाब में कोई विसंगति हो तो आप बतायें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार के द्वारा जो धनराशि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दी गयी है।(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के अरबों रूपये के विज्ञापन और होर्डिंग लगाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार के द्वारा वर्ष 07–08 और 08–09 के वित्तीय वर्ष में जो दिया गया उस पैसे का प्रयोग उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति और दलित वर्ग के लोगों के भले के लिए नहीं किया गया है, उनके कल्याण के लिए नहीं किया गया। यह दुर्भाग्य पूर्ण है क्योंकि यह सरकार अनुसूचित जाति विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। आपकी पीठ से कठोर निर्देश हो सरकार के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को उठा रहे हैं कि सरकार गम्भीरता से ध्यान दे।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सबसे पहले प्रश्न स्थगित होना चहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का उत्तर तो आ गया है। किस बात में प्रश्न को स्थगित करें, यानी मूल प्रश्न का उत्तर आ गया है। चर्चा के लिए आप किसी नियम के अन्तर्गत यदि सूचना देंगे तो चर्चा करायी जायेगी। इसमें कुछ भी चर्चा कराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। बिल्कुल उत्तर आ गया है। नियम–58 की बात नहीं हो रही है अभी प्रश्नकाल चल रहा है। माननीय शहजाद जी, अगर आप किसी नियम के अन्तर्गत सूचना देंगे तो चर्चा करा ली जायेगी। अभी प्रश्नकाल है, चर्चा नहीं हो सकती है। अगर आप चाहते हैं तो किसी नियम के अन्तर्गत सूचना दीजिए, उस पर विचार कर लेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। प्रतिपक्ष आखिर क्या मांग कर रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप किसी विषय पर चर्चा कराना चाहते हैं तो आप नियमों के अन्तर्गत सूचना दीजिए। मेरा विनिश्चिय आ गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह परम्परा है कि अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो और उससे माननीय सदस्य सहमत न हों तो पीठ के द्वारा उस पर चर्चा स्वीकार की जाती है। मान्यवर, तमाम विधान सभा और पार्लियामेंट में भी ऐसा हुआ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह तभी होता है जब प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट न आ रहा हो । इसमें उत्तर स्पष्ट आ गया है। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर स्पष्ट कर दिया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। इस पर आपका विनिश्चय आ जाय और इस पर आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार की जाय। चूँकि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो सदन के सम्मुख आया है।

श्री अध्यक्ष–

आप इसकी सूचना दे दें तो हम इस पर चर्चा करा लेंगे। (घोर व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको नियमों के अन्तर्गत दें तो मैं इस पर चर्चा करा दूँगा। (घोर व्यवधान) मैं सदन को 12:20 तक के लिए स्थगित करता हूँ।

जनपद हरिद्वार में कृषि योग्य भूमि में पोषक तत्वों की कमी के कारण एवं उपाय

*4–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद में कृषि योग्य भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो गयी है ?

यदि हाँ, तो पोषक तत्वों की कमी के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार ने पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में कोई ठोस उपाय किये हैं?

यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

पोषक तत्वों में कमी के मुख्य कारण निम्नवत हैं–

1– सघन खेती

2– एकल फसल चक्र अपनाया जाना।

3– असन्तुलित उर्वरकों का प्रयोग।

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

4– संस्तुत मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग न किया जाना।

5– हरी खाद, बायो कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरकों का प्रयोग न किया जाना।

जी हाँ।

विवरण निम्नवत है–

1– मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर कृषकों को परीक्षण के आधार पर प्राप्त परिणाम के अनुसार संतुलित उर्वरकों के प्रयोग की सलाह दी गयी।

2– कृषकों को अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण किया गया।

3– कृषकों को हरी खाद तैयार करने हेतु अनुदान पर ढैंचे का बीज उपलब्ध कराया गया।

4– कृषकों को अनुदान पर कम्पोस्ट खाद निर्माण हेतु बर्मी कम्पोस्ट एवं नाडेप कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

5– कृषकों को विभिन्न गोष्ठियों, मेलों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सन्तुलित उर्वरक प्रयोग करने हेतु सलाह दी गयी।

*5–श्री प्रीतम सिंह –

तृतीय सोम0 के तारा0–10 में स्था0

नगर पालिका कोटद्वार में बहु–उद्देशीय वाहन पार्किंग का निर्माण

*6–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई अधिकृत वाहन पार्किंग न होने के कारण मार्गों पर वाहनों द्वारा अतिक्रमण से नगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था अत्यधिक अव्यवस्थित रहती है तथा निरन्तर दुर्घटनायें होती रहती हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर पालिका क्षेत्र कोटद्वार में बहु–उद्देशीय वाहन पार्किंग का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास एवं खाद्य मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

नगर पालिका परिषद, कोटद्वार सीमान्तर्गत यद्यपि कोई अधिकृत वाहन पार्किंग स्थल नहीं है, परन्तु नगर पालिका सीमा से लगभग आधा कि0मी0 दूर ग्राम सभा सिताबपुर के अन्तर्गत नगर पालिका के स्वामित्व की भूमि पर मोटर नगर बनाया गया है, जिस पर वर्तमान में वाहनों (बस, जीप, टैक्सी आदि) का संचालन एवं पार्किंग किया जा रहा है। जिससे सड़कों पर वाहनों के अतिक्रमण को रोकने में सहायता मिल रही है। सामान्यतया कोई दुर्घटना की सूचना नहीं है, परन्तु असावधानी से वाहन चलाने पर दुर्घटना की

आशंका बनी रहती है। यातायात से हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना पुलिस विभाग में उपलब्ध रहती है।

नगर पालिका परिषद, कोटद्वार से बहुउद्देशीय वाहन पार्किंग निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चालू वर्ष में धान खरीद का न्यूनतम मूल्य तथा लक्ष्य निर्धारण

*7—श्री सुरेन्द्र राकेश—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चालू वर्ष में धान खरीद का न्यूनतम मूल्य कितना निर्धारित किया गया एवं धान खरीद का प्रदेश में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

क्या लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश में धान की पैदावार हुयी ?

यदि नहीं, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी हाँ। खरीफ—खरीद सत्र 2008—09 हेतु भारत सरकार द्वारा श्रेणीवार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत निर्धारित किया गया है—

क्र0सं0	धान श्रेणी	मूल्य प्रति कुन्तल	प्रोत्साहन बोनस प्रति कु0
1	कॉमन	850.00	50.00
2	श्रेणी—"ए"	880.00	50.00

राज्य सरकार द्वारा खरीफ—खरीद सत्र 2008—09 के लिये मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 50,000 मी0टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2008—09 हेतु धान की बुआई का अनुमानित क्षेत्रफल 2,75,500 हेक्टेयर तथा 5,77,500 मी0टन अनुमानित पैदावार होने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के ए0 पी0 एल0 राशन कार्ड धारकों को माह अक्टूबर,2008 के खाद्यान्न का विवरण

*8—श्री किशोर उपाध्याय —

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ए0 पी0 एल0 राशन कार्ड

धारकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या माह अक्टूबर 2008 का खाद्यान्न वितरित किया गया है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जी हाँ।

माह अक्टूबर,2008 में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रूद्रप्रयाग अन्तर्गत अगस्त्यमुनि में रसोई गैस की आपूर्ति

*9–श्रीमती आशा –

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि में रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति ग्रामीणों को मिल रही है ?

यदि नहीं, तो क्या गैस आपूर्ति हेतु गढ़वाल मंडल विकास निगम यहाँ पर गैस एजेन्सी खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो यहाँ पर गैस एजेन्सी कब तक खोल दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*10–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई" – स्थगित।

प्रदेश में कृषि बीमा योजना से लाभान्वित कृषकों की संख्या

*11–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई" –

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कृषि बीमा योजना लागू कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो अभी तक कितने कृषक इस योजना से लाभान्वित हुये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

वर्ष 2002–03 से 2007–08 तक प्रदेश के 22494 कृषक लाभान्वित हुये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जलागम योजना अन्तर्गत नमी बढ़ाने हेतु योजनाओं का चयन एवं मानक

*12–श्री रणजीत रावत –

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जलागम योजना अन्तर्गत नमी बढ़ाने हेतु कौन– कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ?

क्या योजनाओं का चयन व निर्माण मानकों के अनुरूप किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जनपद– अल्मोड़ा में कृषि विभाग द्वारा नमी बढ़ाने हेतु निम्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं–

1–केन्द्र पोषित मैक्रोमोड योजना के अन्तर्गत बारानी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलागम विकास योजना।

2– केन्द्र पोषित ग्राम्य विकास की योजना।

(अ) बंजर भूमि विकास योजना

(ब) हरियाली योजना

(स) डी0पी0ए0पी0 योजना

3– राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जल सम्भरण की योजना।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2008–09 में टी0 डी0 सी0 द्वारा क्रय किया गया गेहूँ का बीज तथा बिक्री

*13–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल –

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008–09 में अब तक टी0डी0सी0 द्वारा कितना गेहूँ का बीज क्रय किया गया तथा उसके सापेक्ष में 31 दिसम्बर, 08 तक एवं 10 जनवरी, 09 के पश्चात कितने बीज की बिक्री हुई ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

वर्ष 2008–09 में लगभग 5,03,870.77 कु0 गेहूँ का बीज क्रय किया गया। इसके सापेक्ष 31 दिसम्बर,2008 तक कुल 3,49,593.00 कु0 गेहूँ बीज विक्रय किया गया तथा 10 जनवरी,2009 के पश्चात् 18,796.80 कु0 बीज विक्रय किया गया है।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी के बांघाट (सतपुली) स्थित राजकीय खाद्यान्न डिपो के अन्तर्गत विकास खण्डों में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेताओं के नाम व संचालन हेतु मानक तथा भाड़ा व बिक्री दरें

1–श्रीमती अमृता रावत–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के बांघाट (सतपुली) स्थित राजकीय खाद्यान्न डिपो के अंतर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें किस–किस नाम से, जनपद के किन–किन विकास खण्डों के किन–किन स्थानों पर कब–कब से संचालित हैं तथा खाद्यान्न डिपो से इन दुकानों की मोटर मार्ग अथवा खच्चर मार्ग एवं पैदल मार्ग से दूरी कितनी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि डिपो से दुकानों तक नियमित खाद्यान्न ढुलान हेतु प्रति क्विंटल ट्रक अथवा खच्चर भाड़ा कितना–कितना देय है तथा दुकान पर निर्धारित प्रति किलो/लीटर की बिक्री दर क्या है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के बांघाट (सतपुली) स्थित राजकीय खाद्यान्न डिपो के अंतर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के दुकानदारों का नाम, विकासखण्ड स्थान का नाम एवं कब से संचालित हो रही हैं एवं खाद्यान्न डिपो से दुकान की मोटर मार्ग, खच्चर मार्ग अथवा पैदल मार्ग से दूरी निम्न तालिकानुसार है–

क्रम सं0	विक्रेता का नाम	विकासखण्ड	दुकान का स्थान	कब से संचालित है	कुल दूरी, किलोमीटर मे		
					मोटर मार्ग से	खच्चर मार्ग से	पैदल मार्ग से
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री अशोक कुमार	कल्जीखाल	बांघाट	7–12–1993	–	–	1/2
2.	श्री प्रकाश चन्द्र	कल्जीखाल	बांघाट	12–12–1990	–	–	1/2
3.	श्री चतर सिंह	कल्जीखाल	बड़खोलू	12–08–1998	3	3	–
4.	श्री बलवन्त सिंह	कल्जीखाल	मिरचोड़ा	1990	35	–	–
5.	श्री कमलेश्वर प्रसाद	कल्जीखाल	रिठोली	10–08–1998	35	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	श्री हरीश चन्द्र	कल्जीखाल	किनगोडी खाल	16—11—1990	28	—	—
7.	श्री अनुसुया प्रसाद	कल्जीखाल	कण्डार पानी	15—3—2005	29	—	—
8.	श्री कुलदीप राज	कल्जीखाल	मेंटी	07—12—1992	30	—	—
9.	श्री विनोद कुमार	कल्जीखाल	मेंटी	07—12—1992	30	—	—
10.	श्री आलम सिंह	कल्जीखाल	बनेख	1990	14	—	—
11.	श्रीमती जयश्वरी देवी	कल्जीखाल	बनेख	18—11—2001	14	—	—
12.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	कल्जीखाल	ओलना	29—4—2003	14	3	
13.	श्री जयपाल सिंह	कल्जीखाल	कड़कखाल	24—5—2004	10	—	
14.	श्री चित्र सिंह	कल्जीखाल	दलमोटा	17—7—2001	43	—	
15.	श्री प्रभाकर	कल्जीखाल	बिलखेत	14—11—1990	2	—	—
16.	श्री हरीश चन्द्र	कल्जीखाल	डैसणा	6—3—1994	5	—	—
17.	श्री बलवन्त सिंह	कल्जीखाल	बैड़गाँव	5—1—1994	20	10	—
18.	श्री देवेन्द्र सिंह	कल्जीखाल	झटकण्डी	13—7—2007	20	3	—
19.	श्री अर्जुन सिंह	कल्जीखाल	दियूसी	9—7—1995	11	5	—
20.	श्री सुरेन्द्र सिंह	कल्जीखाल	साकिनखेत	24—4—2006	20	—	—
21.	श्री गिरीश चन्द्र	कल्जीखाल	साकिनखेत	15—12—1990	20	—	—
22.	श्री दाताराम	जयहरीखाल	कफल्डी	17—12—1999	5	18	—
23.	श्री अनिल सिंह	जयहरीखाल	काण्डाखाल	3—5—2004	25	—	—
24.	श्री प्रेम सिंह	जयहरीखाल	किमार	13—11—1990	23	—	—
25.	श्री विनय कुमार	जयहरीखाल	खैरा	21—6—2004	12	—	—
26.	श्री गमाल सिंह	जयहरीखाल	मलेती	24—2—2006	12	—	—
27.	श्रीमती पिंकी देवी	जयहरीखाल	गवाणा	11—1—2003	17	—	—
28.	श्री विजेन्द्र सिंह	जयहरीखाल	थल्दा	16—3—1998	24	—	—
29.	श्री जगदीश प्रसाद	जयहरीखाल	बयाली	8—6—1997	23	2	—
30.	श्री नूतन सिंह	जयहरीखाल	तोली	11—10—2006	27	—	—
31.	श्री जनार्द्धन प्रसाद	जयहरीखाल	बबीना	12—10—1980	31	—	—
32.	श्री भगवान सिंह	जयहरीखाल	गुडेथा	7—10—1993	31	—	—
33.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	जयहरीखाल	काण्डई	9—9—1990	33	4	—
34.	श्री यतेन्द्र सिंह	जयहरीखाल	पोरवा	11—2—2005	38	2	—
35.	श्री रामू प्रसाद	जयहरीखाल	कड़का	27—10—1990	38	—	—
36.	श्री सतेन्द्र सिंह	जयहरीखाल	गुजरखण्ड	22—4—1998	34	6	—
37.	श्री जयकृत सिंह	जयहरीखाल	बन्दूण	24—10—2003	17	6	—
38.	श्री हितेन्द्र कुमार	जयहरीखाल	कोटा मल्ला	19—7—2007	28	—	—
39.	श्री भारत सिंह	जयहरीखाल	चौंड	12—10—1990	39	—	—
40.	श्री दर्शन सिंह	जयहरीखाल	चककोली	31—7—1997	17	5	—
41.	श्री रघुनाथ सिंह	जयहरीखाल	पुण्डेरगाँव	29—10—1990	20	—	—
42.	श्रीमती परमेश्वरी देवी	द्वारीखाल	सतपुली	24—9—2003	6	—	—
43.	श्रीमती शशीदेवी	द्वारीखाल	सतपुली	5—6—1992	6	—	—
44.	श्रीमती मंगला देवी	द्वारीखाल	सतपुली	25—10—1993	6	—	
45.	श्री महेन्द्र कुमार	द्वारीखाल	सतपुली	12—1—2004	6	—	—
46.	श्री नत्थी सिंह	द्वारीखाल	सतपुली	23—12—1990	6	—	—
47.	श्री जगमोहन सिंह	द्वारीखाल	सतपुली	17—12—1992	6	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	श्री सावर सिंह	द्वारीखाल	सिल्डी	9–12–1997	8	10	—
49.	श्री प्यारे लाल	द्वारीखाल	सीलाबांधाट	9–11–1990	—	—	1
50.	श्री भगवान सिंह	द्वारीखाल	घनियार	15–10–1990	13	—	—
51.	श्री देवेन्द्र सिंह	द्वारीखाल	सगोड़ा	11–1–2000	10	—	—
52.	श्री कनक सिंह	द्वारीखाल	हथनूड	19–6–2006	23	12	—
53.	श्री अनिल सिंह	द्वारीखाल	कुठार	26–6–2006	23	10	—
54.	श्री हरी सिंह	द्वारीखाल	काण्डी	28–5–1983	23	12	—
55.	श्री बीरेन्द्र सिंह	द्वारीखाल	कुल्हाड	18–10–1990	16	—	—
56.	श्री ऊमराव सिंह	एकेश्वर	मलेठीबैंड	8–10–1990	18	—	—
57.	श्री ज्योति प्रसाद	एकेश्वर	मनपुर	30–10–2006	21	—	—
58.	श्री सुदर्शन प्रसाद	एकेश्वर	मनपुर	9–10–2006	21	—	
59.	श्री दीपक कुमार	एकेश्वर	बन्चोली	17–9–2003	23	—	—
60.	श्री पदमेन्द्र सिंह	एकेश्वर	रीठाखाल	22–5–2001	35	—	—
61.	श्री राम सिंह	एकेश्वर	रीठाखाल	29–10–1999	35	—	—
62.	श्री जगदीश सिंह	कोट	ब्यासघट्टी	1996	23	—	—
63.	श्री रमेश चन्द्र	कोट	डंगलमार	24–10–1990	23	12	—
64.	श्री राकेश चन्द्र	कोट	सिल्यू	17–9–1997	24	10	—
65.	श्री गोविन्द सिंह	कोट	बड़ेडाखाल	17–11–1990	52	—	—
66.	श्री प्यारेलाल	कोट	पुलनाण्डा	1990	23	10	—

डिपो से दुकान तक नियमित खाद्यान्न दुकान हेतु प्रति कुन्टल ट्रक एवं खच्चर भाड़ा, जिलाधिकारी, पौड़ी के आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 1995 द्वारा पुनरीक्षित/पुनर्निर्धारित किया गया है, जो प्रत्येक मद के लिए निम्नानुसार है–

क्रम सं0	मद	पुनरीक्षित/पुनर्निर्धारित भाड़ा
1	पल्लेदार/लदाई/उतराई	रू0 2.00 प्रति कुन्टल
2	कुली भाड़ा	रू0 4.00 प्रति कुन्टल, अधिकतम एक किलोमीटर तक की दूरी के लिए
3	खच्चर भाड़ा	रू0 3.75 प्रति कुन्टल प्रति किलोमीटर
4	ट्रक के माध्यम से	

दूरी	पक्का मार्ग	कच्चा मार्ग
प्रथम 5 कि0मी0 तक	रू0 3.50 प्र0कु0	रू0 4.50 प्र0कु0
6 से 10 कि0 मी0 तक	रू0 5.00 प्र0कु0	रू0 6.00 प्र0कु0
11 से 20 कि0 मी0 तक	रू0 8.00 प्र0कु0	रू0 10.00 प्र0कु0
20 कि0 मी0 से अधिक दूरी के लिए	रू0 0.30 प्र0 कु0 प्रति कि0 मी0 (20 कि0मी0 से ऊपर अतिरिक्त दूरी के लिए)	रू0 0.40 प्र0 कु0 प्रति कि0मी0 (20 कि0मी0 से ऊपर अतिरिक्त दूरी के लिए)

प्रत्येक वितरण केन्द्र पर खाद्यान्न की प्रति कि0ग्रा0 एवं मिट्टी तेल की प्रति लीटर फुटकर दर निम्नवत् है–

क्रम सं0	विक्रेता का नाम	एपी0एल0 प्रति किलोग्राम			बी0पी0एल0 प्रति किलोग्राम		अन्त्योदय प्रति किलोग्राम		चीनी प्रति किलोग्राम	मिट्टी तेल प्रति ली0
			चावल							
		गेहूं	कामन	ग्रेड ए	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल		
1.	श्री अशोक कुमार	6.69	8.64	8.99	4.73	6.33	2.00	3.00	13.50	10.30
2.	श्री प्रकाश चन्द	6.69	8.64	8.99	4.73	6.33	2.00	3.00	13.50	10.30
3.	श्री चतर सिंह	7.11	9.01	9.36	5.10	6.70	2.00	3.00	13.50	10.30
4.	श्री बलवन्त सिंह	7.04	8.94	9.29	5.03	6.64	2.00	3.00	13.50	10.35
5.	श्री कमलेश्वर प्रसाद	7.04	8.94	9.29	5.03	6.64	2.00	3.00	13.50	10.35
6.	श्री हरीश चन्द	6.91	8.81	9.16	4.90	6.50	2.00	3.00	13.50	10.35
7.	श्री अनुसूया प्रसाद	7.06	8.96	9.31	5.06	6.50	2.00	3.00	13.50	10.35
8.	श्री कुलदीप राज	7.06	8.96	9.31	5.05	6.50	2.00	3.00	13.50	10.35
9.	श्री विनोद कुमार	7.06	8.96	9.31	5.05	6.50	2.00	3.00	13.50	10.35
10.	श्री आलम सिंह	6.87	8.77	9.12	4.86	6.46	2.00	3.00	13.50	10.30
11.	श्रीमती जयवती देवी	6.87	8.77	9.12	4.86	6.46	2.00	3.00	13.50	10.30
12.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	7.22	9.12	9.47	5.21	6.81	2.00	3.00	13.50	10.30
13.	श्री जयपाल सिंह	6.87	8.77	9.12	4.86	6.46	2.00	3.00	13.50	10.30
14.	श्री मित्र सिंह	7.11	9.01	9.36	5.10	6.71	2.00	3.00	13.50	10.35
15.	श्री प्रभाकर	6.75	8.65	9.00	4.74	6.34	2.00	3.00	13.50	10.30
16.	श्री हरीश चन्द	6.84	8.74	9.09	4.83	6.43	2.00	3.00	13.50	10.30
17.	श्री बलवन्त सिंह	7.54	9.44	9.79	5.53	7.13	2.00	3.00	13.50	10.35
18.	श्री देवेन्द्र सिंह	7.24	9.14	9.49	5.23	6.83	2.00	3.00	13.50	10.35
19.	श्री अर्जुन सिंह	7.22	9.12	9.47	5.21	6.81	2.00	3.00	13.50	10.30
20.	श्री सुरेन्द्र सिंह	6.93	8.83	9.18	4.92	6.52	2.00	3.00	13.50	10.35
21.	श्री गिरीश चन्द्र	6.93	8.83	9.18	4.92	6.52	2.00	3.00	13.50	10.35
22.	श्री दाताराम	7.40	9.30	9.65	5.39	6.99	2.00	3.00	13.50	10.30
23.	श्री अनिल सिंह	7.01	8.91	9.26	5.00	6.60	2.00	3.00	13.50	10.35
24.	श्री प्रेम सिंह	7.05	8.95	9.30	5.04	6.64	2.00	3.00	13.50	10.35
25.	श्री विनय कुमार	6.78	8.68	9.03	4.77	6.38	2.00	3.00	13.50	10.30
26.	श्री गमाल सिंह	6.91	8.81	9.16	4.90	6.50	2.00	3.00	13.50	10.30
27.	श्रीमती पिंकी देवी	6.82	8.72	9.07	4.81	6.42	2.00	3.00	13.50	10.30
28.	श्री विजेन्द्र सिंह	7.00	8.90	9.25	4.99	6.59	2.00	3.00	13.50	10.35
29.	श्री जगदीश प्रसाद	6.90	8.80	9.15	4.89	6.49	2.00	3.00	13.50	10.35
30.	श्री नूतन सिंह	7.05	8.95	9.30	5.04	6.65	2.00	3.00	13.50	10.35
31.	श्री जनार्दन सिंह	7.06	8.96	9.36	5.05	6.66	2.00	3.00	13.50	10.35

क्रम सं0	विक्रेता का नाम	एपीएल0 प्रति किलोग्राम			बी0पीएल0 प्रति किलोग्राम		अन्त्योदय प्रति किलोग्राम		चीनी प्रति किलोग्राम	मिट्टी तेल प्रति लीo
		गेहूं	कामन	ग्रेड ए	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल		
32.	श्री भगवान सिंह	7.06	8.96	9.36	5.06	6.68	2.00	3.00	13.50	10.35
33.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	7.39	9.29	9.64	5.38	6.98	2.00	3.00	13.50	10.35
34.	श्री यतेन्द्र सिंह	7.45	9.35	9.70	5.44	7.05	2.00	3.00	13.50	10.35
35.	श्री रामू प्रसाद	7.10	9.00	9.35	5.09	6.70	2.00	3.00	13.50	10.35
36.	श्री सतेन्द्र सिंह	7.69	9.59	9.94	5.68	7.28	2.00	3.00	13.50	10.35
37.	श्री जयकृत सिंह	7.59	9.49	9.84	5.58	7.18	2.00	3.00	13.50	10.30
38.	श्री हिरेन्द्र कुमार	6.99	8.95	9.30	5.04	6.65	2.00	3.00	13.50	10.35
39.	श्री भारत सिंह	7.12	9.02	9.37	5.11	6.72	2.00	3.00	13.50	10.35
40.	श्री दर्शन सिंह	7.01	8.91	9.26	5.00	6.64	2.00	3.00	13.50	10.30
41.	श्री रघुनाथ सिंह	6.99	8.89	9.26	4.98	6.58	2.00	3.00	13.50	10.35
42.	श्रीमती परमेश्वरी देवी	6.80	8.70	9.05	4.79	6.39	2.00	3.00	13.50	10.30
43.	श्रीमती शशीदेवी	6.80	8.70	9.05	4.79	6.39	2.00	3.00	13.50	10.30
44.	श्रीमती मंगला देवी	6.80	8.70	9.05	4.79	6.39	2.00	3.00	13.50	10.30
45.	श्री महेन्द्र कुमार	6.80	8.70	9.05	4.79	6.39	2.00	3.00	13.50	10.30
46.	श्री नत्थी सिंह	6.80	8.70	9.05	4.79	6.39	2.00	3.00	13.50	10.30
47.	श्री जगमोहन सिंह	6.80	8.70	9.05	4.79	6.39	2.00	3.00	13.50	10.30
48.	श्री साबर सिंह	7.50	9.40	9.75	5.49	7.09	2.00	3.00	13.50	10.30
49.	श्री प्यारे लाल	6.78	8.68	9.03	4.77	6.37	2.00	3.00	13.50	10.30
50.	श्री भगवान सिंह	6.97	8.87	9.22	4.96	6.56	2.00	3.00	13.50	10.30
51.	श्री देवेन्द्र सिंह	6.84	8.74	9.09	4.83	6.43	2.00	3.00	13.50	10.30
52.	श्री अनिल सिंह	7.16	9.06	9.41	5.15	6.76	2.00	3.00	13.50	10.35
53.	श्री हरी सिंह	7.24	9.14	9.49	5.23	6.83	2.00	3.00	13.50	10.35
54.	श्री बीरेन्द्र सिंह	6.90	8.80	9.15	4.89	6.49	2.00	3.00	13.50	10.30
55.	श्री उमराव सिंह	6.82	8.72	9.07	4.81	6.41	2.00	3.00	13.50	10.30
56.	श्री ज्योति प्रसाद	6.96	8.86	9.21	4.95	6.55	2.00	3.00	13.50	10.35
57.	श्री सुदर्शन प्रसाद	6.96	8.86	9.21	4.95	6.55	2.00	3.00	13.50	10.35
58.	श्री दीपक कुमार	7.03	8.93	9.28	5.02	6.62	2.00	3.00	13.50	10.35
59.	श्री पदमेन्द्र सिंह	6.96	8.86	9.21	4.95	6.55	2.00	3.00	13.50	10.35
60.	श्री राम सिंह	6.96	8.86	9.21	4.95	6.55	2.00	3.00	13.50	10.35
61.	श्री जगदीश सिंह	6.95	8.85	9.20	4.94	6.55	2.00	3.00	13.50	10.35
62.	श्री रमेश चन्द्र	7.75	9.65	10.00	5.80	7.41	2.00	3.00	13.50	10.35
63.	श्री राकेश चन्द्र	7.61	9.51	9.86	5.60	7.21	2.00	3.00	13.50	10.35
64.	श्री गोविन्द सिंह	7.17	9.07	9.42	5.16	6.77	2.00	3.00	13.50	10.35
65.	श्री प्यारे लाल	7.56	9.46	9.81	5.55	7.16	2.00	3.00	13.50	10.35

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में मलिन बस्तियों की संख्या तथा विकास हेतु कार्य योजना

1. श्री प्रीतम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी मलिन बस्तियाँ हैं ?

क्या सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के विकास हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

राज्य में नगर सीमान्तर्गत कुल 571 मलिन बस्तियाँ हैं।

मलिन बस्तियों के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के मिशन शहरों हेतु बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर (बी एस यू पी) तथा अन्य शहरों हेतु समेकित आवास एवं मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (आई एच एस डी पी) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के विकास से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण एवं उनके कार्यों की समीक्षा

2. श्री प्रीतम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण किया गया है ?

क्या पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाती है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

प्रदेश में योजना प्रारम्भ से माह जनवरी, 2009 तक स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 19948 एवं ग्रामीण स्वरोजगार मिशन के अन्तर्गत 3529 कुल 23477 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं। गठित स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार में कृषि एवं तकनीकी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा तथा प्रस्तावित भूमि का चयन

3. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व कोटद्वार में कृषि एवं तकनीकी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी थी ?

क्या उक्त हेतु प्रस्तावित भूमि का चयन/ अधिग्रहण नहीं हो पाया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार यथाशीघ्र कृषि महाविद्यालय की स्थापना करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी नहीं। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि महाविद्यालय कोटद्वार की स्वीकृति की घोषणा की गयी है।

जी हाँ।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार वि0 स0 क्षेत्र के अन्तर्गत जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने पर विचार

4. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं ?

क्या सरकार इन लोगों के शैक्षिक उत्थान के लिये कोटद्वार के नजदीक क्षेत्र में जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

5. हाजी तस्लीम अहमद–

प्रथम बुधवार के अता0–25 में स्था0

6. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

प्रथम बुधवार के अता0–26 में स्था0

नगर पालिका, ऋषिकेश के लिए वर्ष 2006–07 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत जटिया व बाल्मीकि बस्ती में विभिन्न निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति

7. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के लिए वर्ष 2006–07 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत शासनादेश संख्या–4432 (4) दिनांक 26.12.2006 द्वारा जटिया बस्ती व बाल्मीकि बस्ती में सामुदायिक केन्द्र, अम्बेडकर भवन कक्ष का निर्माण तथा लाईब्रेरी हॉल एवं बाउन्ड्री वॉल का निर्माण, बाल्मीकि बस्ती में 150 वाट सोडियम लाईट, कम्पलीट फिटिंग का क्रय एवं फिक्सिंग तथा बाल्मीकि एवं जटिया बस्ती में 3 सड़कों का निर्माण व मलिन बस्तियों में सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु रू0 147.29 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

पर्याप्त बजट प्राविधान न होने के कारण।

नगर पालिका, ऋषिकेश के लिए वर्ष 2006–07 में कुम्भ निधि के अन्तर्गत सी0 सी0 टाइल्स सड़कों का निर्माण एवं मायाकुण्ड में बहु–उद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण आदि की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार

8. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के लिए वर्ष 2006–07 में कुम्भ निधि के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–4439(1) दिनांक 26.12.2006

द्वारा 3 सी0सी0 टाइल्स सड़कों का निर्माण एवं मायाकुण्ड में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण बावत रू0 270.89 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति की गयी थी ?

क्या यह सत्य है कि प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

पर्याप्त बजट प्राविधान न होने के कारण।

नगर पालिका, ऋषिकेश के लिये वर्ष 2006–07 में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत सी0सी0 टाइल्स सड़कों का निर्माण, सब्जी मण्डी, पार्किंग आदि निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार

9. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2006–07 में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–4432 (4) दिनांक 28.12.2006 द्वारा नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश के लिए 9 सी0सी0 टाइल्स सड़कों के निर्माण एवं चन्द्रभागा नदी के पास सब्जी मण्डी, पार्किंग व दुकानों के निर्माण बावत रू0 349.42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति की गयी थी ?

यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है ?

यदि हां,तो क्या सरकार वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

पर्याप्त बजट प्राविधान न होने के कारण।

उत्तराखण्ड में कृषि प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक जनपद के चुनिंदा किसानों को कृषि अध्ययन हेतु हिमाचल प्रदेश का भ्रमण

10. श्री ओम गोपाल–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में हिमाचल प्रदेश की भांति कृषि को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक जनपद के चुनिंदा किसानों को कृषि अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश में कृषि के अध्ययन के लिये भ्रमण करवायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सतपुली को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने पर विचार

11. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली वर्तमान में शहर का रूप ले चुका है ?

क्या यह सत्य है कि ग्राम सभा द्वारा इसकी साफ–सफाई ठीक प्रकार से न किए जाने के कारण यह स्थान गन्दगी से भरा रहता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सतपुली को नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

ग्रामसभा सतपुली सफाई कराने में सक्षम न होने एवं सतपुली से गढ़वाल के मुख्य मार्गों हेतु वाहनों का आवागमन होने के कारण गन्दगी फैल जाती है।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री सड़क योजना में चयनित डीडीहाट–लधरा मोटर मार्ग का कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण

श्री मयूख सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट–लघड़ा मोटर–मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत चरण पाँच में चयनित था, किन्तु इसमें अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो उक्त मार्ग में कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के वि0 ख0 मोरी, पुरोला एवं नौगांव में रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाएं

13. श्री राजेश जुवांठा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी, पुरोला एवं नौगांव में रोजगार गारन्टी योजना के तहत कितनी योजनायें स्वीकृत हैं तथा कितनी योजनाओं में कार्य चल रहा है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी,पुरोला एवं नौगांव में स्वीकृत योजनाओं तथा जिन योजनाओं पर कार्य चल रहा है, का विवरण निम्नवत है–

विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	योजनाओं की सं0 जिन पर कार्य चल रहा है।
मोरी	134	89
पुरोला	156	73
नौगांव	323	177

जनपद पौड़ी के वि0 ख0 एकेश्वर के पट्टी मवालस्यू में रसोई गैस एजेन्सी खोलने पर विचार

14. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी के विकास खण्ड

एकेश्वर के अन्तर्गत पट्टी मवालस्यू में कोई भी गैस एजेन्सी/गैस गोदाम न होने के कारण लोगों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में ईडाखाल नामक स्थान पर गैस एजेन्सी खुलवाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ, वर्तमान में उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु गैस की आपूर्ति लैन्सडौन गैस सर्विस द्वारा की जा रही है।

जी हाँ, तेल कम्पनियों द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने पर पृथक गैस एजेन्सी खोले जाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0 ख0 स्याल्दे की ग्राम सभा उपराड़ी के दुबसिल ग्राम हेतु गूल, टैंक, एवं पाइप लाइन बिछाये जाने की योजना

15. श्रीमती आशा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लघु सिंचाई के अन्तर्गत जनपद–अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत ग्राम सभा उपराड़ी के दुबसिल ग्राम हेतु विभाग द्वारा गूल, टैंक एवं पाईप लाईन बिछाये जाने की योजना लगभग 3 वर्ष से निर्मित है ?

क्या गूल हेतु पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो कब तक उक्त योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

वर्ष 2005–06–07 की ए0आई0बी0पी0 योजना में जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उपराड़ी के ग्राम दुबसिल में रूपया 457700.00 (रूपया चार लाख सतावन हजार सात सौ) की लघु सिंचाई योजना स्वीकृत थी, जिसमें 445 मीटर गूल, 01 टैंक का निर्माण कर 50 एम0एम0 व्यास का पाईप लगाकर योजना पूर्ण कर ली गयी है, जो सन्तोषजनक कार्य कर रही है।

जी हाँ।

योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में विधायक निधि से निर्मित बारात घरों का उपयोग गरीबों की कन्याओं के विवाह तथा अन्य समारोह हेतु न किये जाने तथा विधायक निधि से लाइट टेन्ट प्रदान किये जाने का प्राविधान

16. श्री ओम गोपाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्र के गाँवों में विधायक निधि से गरीबों की कन्याओं के विवाह तथा अन्य समारोहों हेतु निर्मित बारात घरों का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार नहीं कर पा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो ऐसे परिवारों के लिए विधायक निधि से लाईट–टेन्ट प्रदान किये जाने का प्राविधान करेंगे ताकि विधायक निधि का लाभ/उपभोग गाँव का गरीब/बी0पी0एल0 परिवार भी कर सकें ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय विधायकों की संस्तुतियों के आधार पर विधायक निधि के अन्तर्गत निर्मित बारात घरों का उपयोग गरीबों की कन्याओं के विवाह तथा अन्य समारोहों हेतु किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के कई क्षेत्रों में अज्ञात बीमारी से मृत बकरियों के पालकों को मुआवजा तथा रोकथाम हेतु उपाय

17. श्री मयूख सिंह–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में गत माह सैकड़ों बकरियाँ अज्ञात बीमारी से मर गई हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

क्या सरकार उन बकरी पालकों को मुआवजा देगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

विगत माह जनपद पिथौरागढ़ के 8 विकास खण्डों में पी0पी0आर0 रोग के प्रकोप से 383 बकरियों की मृत्यु हुई।

बीमारी की रोकथाम हेतु 13 टीमों का गठन कर, मृत एवं जीवित बकरियों के सैम्पल जाँच हेतु आई0वी0आर0आई0 मुक्तेश्वर (नैनीताल) भेजे गये एवं रिपोर्ट में पी0पी0आर0 रोग की पुष्टि होने पर पंतनगर विश्वविद्यालय की टीम द्वारा रोग नियंत्रण हेतु भ्रमण किया गया। बीमारी की रोकथाम हेतु आई0वी0आर0आई0 मुक्तेश्वर से पी0पी0आर0 वैक्सीन क्रय कर 30550 टीकाकरण कार्य किया गया।

जी नहीं। विभाग द्वारा मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना पर विचार

18. श्री चन्दन राम दास–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण निर्माण निगम की तरह क्या सरकार प्रदेश में उत्तराखण्ड समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना किये जाने पर विचार करेगी।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज–8 में जनपद बागेश्वर में कुल प्रस्तावित सड़कें

19. श्री चन्दन राम दास–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज–8 में नई सड़कें प्रस्तावित की जा रही हैं ?

यदि हाँ, तो जनपद बागेश्वर में कितनी सड़कें प्रस्तावित हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–8 के अन्तर्गत नई सड़कों के चयन की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 की विगत तीन वर्षों में स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा अवमुक्त एवं लैप्स धनराशि का विवरण

20. श्री चन्दनराम दास–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 की धनराशि समय पर अवमुक्त की जा रही है ?

यदि हाँ, तो जनपदवार स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष कितनी प्रतिशत राशि विगत तीन वर्ष में अवमुक्त की गई है, और कितनी धनराशि लैप्स हुई है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

परिव्यय जनपदवार स्वीकृत न कर विभागवार स्वीकृत किया जाता है। विगत तीन वर्षों में स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा अवमुक्त एवं लैप्स धनराशि का विवरण निम्नवत है– (रु0 करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत परिव्यय		अवमुक्त धनराशि		अवमुक्त धनराशि का प्रतिशत		परिव्यय के सापेक्ष अवशेष (लैप्स) धनराशि	
	एस0सी0 एस0पी0	टी0एस0पी0	एस0सी0 एस0पी0	टी0एस0पी0	एस0सी0 एस0पी0	टी0एस0पी0	एस0सी0 एस0पी0	टी0एस0पी0
2005–06	330.90	70.05	274.14	70.57	83.1	101	55.66	–
2006–07	720.00	120.00	434.63	105.85	60.4	88	285.37	14.15
2007–08	749.82	134.09	421.65	129.36	56.0	96	328.17	4.73

जनपद बागेश्वर के काण्डा, कठपुड़िया तथा जनपद अल्मोड़ा के जालली नामक स्थान पर विकास खण्ड बनाये जाने हेतु विचार

21. श्री चन्दन राम दास–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार के पास विकास खण्ड बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो जनपद बागेश्वर के काण्डा, कठपुड़िया में तथा जनपद अल्मोड़ा के जालली नामक स्थान पर विकास खण्ड बनाने हेतु क्या सरकार विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

जी नहीं।

योजना आयोग, भारत सरकार के पत्र संख्या एम–13018/27/96–आर0डी0 दिनांक 25–7–1997 के द्वारा नये विकास खण्डों के सृजन हेतु आर्थिक सहायता न दिए जाने के कारण सृजन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अल्मोड़ा अन्तर्गत बग्वालीपोखर विकास खण्ड गठन के प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति

22. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट तहसील अन्तर्गत बग्वालीपोखर की क्षेत्रीय जनता बग्वालीपोखर विकास खण्ड के गठन की मांग के लिए आन्दोलित है ?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा माह जनवरी 2009 में शासन को प्रेषित उक्त विकास खण्ड के प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

योजना आयोग, भारत सरकार के पत्र संख्या एम–13018/27/96–आर0डी0 दिनांक 25–7–1997 के द्वारा नये विकास खण्डों के सृजन हेतु आर्थिक सहायता न दिए जाने के कारण वर्तमान में नये विकास खण्डों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

आपूर्ति विभाग के विधिक माप विज्ञान शाखा द्वारा मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध कार्यवाही

23. श्री प्रीतम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आपूर्ति विभाग के विधिक माप विज्ञान शाखा द्वारा मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?.

श्री दिवाकर भट्ट–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान(बाट माप) शाखा द्वारा मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध सतत् निरीक्षण

अभियान चलाये जाते हैं, जिसमें विभिन्न व्यापारियों के विरूद्ध अनियमितताओं के विरूद्ध मामले पंजीकृत किये जाते हैं। तत्पश्चात इन पकड़े गये मामलों में विभागीय समाधान के उपरांत अर्थदण्ड के रूप में वसूली की जाती है तथा विहित प्राविधानों में न्यायालयों में दण्डात्मक कार्यवाही हेतु वाद/मामले भेजे जाते हैं। विधिक माप विज्ञान शाखा द्वारा 31जनवरी, 2009 तक रू0 1.14 करोड़ की राजस्व वसूली की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी में स्वीकृत ऐता–उमरैला–चरेख मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण किये बिना धनराशि भुगतान करने वाले अधिकारी तथा निर्माण संस्था को दण्डित करने की कार्यवाही

24. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत ऐता–उमरैला–चरेख मोटर मार्ग का निर्माण कार्यदायी संस्था को धन भुगतान कर दिये जाने के बावजूद भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कार्य पूर्ण किये बिना धनराशि का भुगतान करने वाले अधिकारी तथा सम्बन्धित निर्माण संस्था को दण्डित करने तथा योजना के निर्माण को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

ऐता–उमरैला–चरेख मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 22.40 किमी0 स्वीकृत है, जिसमें 17.30 किमी0 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा अवशेष 5.10 किमी0 लम्बाई के समरेखण में विवाद के कारण कार्य नहीं हुआ है। उक्त मोटर मार्ग के निर्मित भाग 17.30 किमी0 का ही भुगतान किया गया है।

अवशेष 5.10 किमी0 में समरेखण का विवाद जिला प्रशासन के सहयोग से समाप्त हो गया है तथा इसका निर्माण कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही गतिमान है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

एक नये विकास खण्ड के सृजन पर कुल व्ययभार

25 श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एक नया विकास खण्ड स्थापित करने में कुल कितनी धनराशि व्यय होती है ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व में घोषित जालली विकास खण्ड, तहसील द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा अस्तित्व में हैं?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

नये विकास खण्ड के सृजन पर लगभग 3.00 करोड़ से अधिक का व्ययभार निहित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना आयोग, भारत सरकार के पत्र संख्या एम–13018/27/96–आर0डी0 दिनांक 25–7–1997 के द्वारा नये विकास खण्डों के सृजन हेतु आर्थिक सहायता न दिए जाने के कारण वर्तमान में नये विकास खण्डों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर को आवंटित धनराशि में से अन्य जनपदों को स्थानान्तरित धनराशि तथा पात्र बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता सुविधा

26. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008–2009 में जिला ऊधमसिंहनगर से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कितनी धन राशि अन्य जिलों को स्थानान्तरित की गई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अवधि में जिला ऊधमसिंह नगर में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में कितने पात्र–बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता वितरित किया गया है?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर को आवंटित धनराशि में से अन्य जनपदों को स्थानान्तरित धनराशि का विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	जनपद का नाम	स्थानान्तरित धनराशि रू0 लाख में
1.	पिथौरागढ़	662.81
2.	बागेश्वर	351.37
3.	चम्पावत	122.22
	कुल	1136.40 लाख

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। पंजीकृत श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग हेतु आवेदन करने पर उसे 15 दिन के अन्दर श्रम रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्राविधान है। जनपद ऊधमसिंह नगर में श्रमिकों द्वारा श्रम रोजगार की मांग करने पर उन्हें निर्धारित अवधि 15 दिन में रोजगार प्रदान किया गया। जनपद में किसी भी विकास खण्ड में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है।

27. हाजी तस्लीम अहमद–

द्वितीय गुरू के अता0–10 में स्था0

प्रदेश के विकलांगों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा नीति निर्धारण तथा स्वरूप

28. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विकलांगों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है ?

यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

प्रदेश में विकलांगजनों के लिये राष्ट्रीय नीति लागू है।

कल्याणकारी स्वरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्शल, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और एक साथ अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने स्थान से बात कहें।(व्यवधान)

(काजी मौ0 निजामुद्दीन जी ने 'वेल' में खड़े होकर कहा– 'यह तो सदन को गुमराह करने वाली बात कही जा रही है। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पैसा

लैप्स नहीं होता है और मान्यवर, दूसरी तरफ आज के एजेण्डे के अतारांकित प्रश्न संख्या:– 20 में लिखा है कि एस0 सी0, एस0 टी0 का कितना– कितना पैसा लैप्स हुआ है। इस तरह से एक ही एजेण्डे में दो बातें आ गयी हैं, जोकि बहुत ही गम्भीर विषय है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इसका संज्ञान लें। कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या:–20 और जो अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उसका संज्ञान लिया जाय। सदन को गुमराह किया जा रहा है सरकार की तरफ से। एक ही दिन के सवालों में अलग–अलग जवाब, जबकि एक ही मंत्री, एक ही विषय और दो अलग–अलग जवाब।')

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करवा लेते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।(व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, इस विषय का परीक्षण कर लिया जायेगा।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय निजामुद्दीन जी, आपकी बात आ गयी है, इसका परीक्षण कर लिया जायेगा। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाईये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री शहजाद जी ने 'वेल' में खड़े होकर कहा–'यह सरकार समाज के गरीब लोगों की बात को नहीं सुन रही है। इसलिए हम सदन का वाकआउट करते हैं।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया, तत्पश्चात् सदन में वापस आ गये।)

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2008 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2008 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत, "काजी" निजामुद्दीन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री राजकुमार, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

राज्य में कार्यरत् कैडर सचिवों की वेतन विसंगतियों तथा समस्याओं के कारण हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपाल सिंह रावत –

मान्यवर, प्रदेश में कार्यरत सहकारी कैडर सचिवों की वेतन विसंगतियों एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु कैडर सचिवों द्वारा 15–02–2009 से अनिश्चितकालीन कलमबन्द हड़ताल से समस्त सहकारी समितियों का कार्य प्रभावित हो गया है। जिससे काश्तकारों का करोड़ों रूपये का लेनदेन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश के कैडर सचिवों द्वारा राज्य कर्मियों की भांति समान वेतन, आठ वर्ष से 14 वर्ष की सेवा में एक–एक वार्षिक वेतन वृद्धि व 14 वर्ष से 24 वर्ष की सेवा में पदोन्नत वेतनमान दिये जाने, स्टेट कैडर बनाने, वेतन व्यवस्था हेतु स्टेट पूल की व्यवस्था, वर्षों से कार्यरत् तदर्थ सचिवों, प्रभारी सचिवों को कैडर सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिये जाने की मांग की जा रही है। प्रदेश में दोहरे मानदण्ड के कारण अलग–अलग वेतनमान दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। कैडर सचिवों की न्यायोचित मांग पर विचार कर समस्या का समाधान किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः इस तात्कालिक, लोक महत्व की सूचना को नियम–300 में लेकर प्रभावी कार्यवाही की मांग सरकार से करता हूँ।

नगर पालिका मंगलौर, जनपद हरिद्वार में सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*काजी मौ0 निजामुद्दीन –

[मान्यवर, कस्बा मंगलौर, जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड राज्य का प्रवेश द्वार है। कस्बे के अंदर और कस्बे के बाहर सड़कों के किनारों पर जगह–जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। नगर पालिका के पास सफाईकर्मियों की भारी मात्रा में कमी है। इसके साथ–साथ सफाई में प्रयोग होने वाले उपकरणों का भी अभाव है। जो कूड़ा नगर से प्रतिदिन इकट्ठा होता है उसको डालने की कहीं जगह नहीं है। विवश हो कर उस कूड़े

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को नगर के आस–पास सड़कों के किनारों पर या निकटवर्ती तालाब में डाला जाता है। मंगलौर नगर की अधिक आबादी के कारण विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

अतः नगर पालिका मंगलौर में नगर की सफाई हेतु सफाई कर्मचारी जनसंख्या के अनुपात में करने, कूड़ा डालने हेतु स्थान दिये जाने और विकास कार्य हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

बी0 पी0 एल0 परिवारों को राशन कार्ड देकर राशन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड में 2002 के सर्वे के आधार पर बी0 पी0 एल0 परिवारों का चयन किया गया है लेकिन हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत आज तक बी0 पी0 एल0 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं। जिस कारण से बी0 पी0 एल0 परिवार बिना राशन, चीनी व तेल के भूखों मर रहे हैं। विशेषतः भगवानपुर ब्लाक में बी0 पी0 एल0 परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। बल्कि पूर्व के राशन कार्ड भी निरस्त कर दिये गये हैं। बी0 पी0 एल0 परिवारों को तत्काल राशन कार्ड उपलब्ध कराकर राशन देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इस अति लोक हित के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही की माँग करता हूँ। इस सम्बन्ध में सरकार को, दिनाँक 26–08–08 को भी सचिव, खाद्य उत्तराखण्ड को पत्र के माध्यम से सूचित किया है।]

सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों में स्थानीय मेधावी छात्रों को प्रवेश न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजकुमार–

मान्यवर, सहसपुर विधान सभा क्षेत्र में दर्जनों शिक्षा संस्थानों की स्थापना हो रही है। इस क्षेत्र में डाल्फिन, इक्फाई विश्वविद्यालय, लॉ कालेज, देवभूमि इंस्टीट्यूट, पैट्रोलियम विश्वविद्यालय, तुलाज इंस्टीट्यूट समेत एक दर्जन से अधिक संस्थान स्थापित हुये हैं। यूं कहा जाये कि यह क्षेत्र शिक्षा की राजधानी बन रहा है,यह सुखद विषय है।

इन्हीं संस्थानों के कारण स्थानीय मेधावी छात्रों में हीन भावना पनप रही है, जो दुःखद विषय है। इन संस्थानों में स्थानीय छात्रों को मेधावी होने के बावजूद स्थान नही मिल पा रहा है। इसका कारण आर्थिक है। स्थानीय छात्र इन संस्थानों द्वारा मांगी जा रही कैपिटेशन फीस अनुदान नहीं दे पाते, जिसके कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे पर आपका ध्यान अपेक्षित है। ताकि स्थानीय मेधावी छात्रों को इन संस्थानों में वरीयता मिल सके व जनहित में इन बच्चों को,अपेक्षाकृत कम शुल्क में स्थानीय बच्चों को भी इन संस्थानों में प्रवेश मिल सके। ऐसा होने से जहां इन विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं बच्चों के अभिभावकों को भी सुविधा रहेगी कि वे अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ संस्थानों में अपने बच्चों का पठन–पाठन करा सकें। ऐसा होने से शिक्षालयों पर भी कोई बहुत बड़ा भार नहीं पड़ेगा और क्षेत्रवासियों को राहत मिल जायेगी। यह जनहित से जुड़ा लोक महत्व का प्रश्न है, जिस पर आपका ध्यान अपेक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत द्वाराहाट, ताड़ीखेत तथा भिकियासैंण के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जालली विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत द्वाराहाट, ताड़ीखेत एवं भिकियासैंण विकास खण्डों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जालली नाम से नया विकास खण्ड बनाये जाने की घोषणा वर्ष 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा की गई थी। जिसके क्रम में जालली में विकास खण्ड मुख्यालय का बोर्ड लगाकर सरकारी स्तर पर ए0डी0ओ0 को जालली का बी0डी0ओ0 बनाकर कार्यवाही भी आरम्भ की गई और लगभग छः माह से अधिक समय तक यह विकास खण्ड कार्यरत् रहा। कुछ समय बाद यह कहकर कि विकास खण्ड बनाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा ही की जाती है। इसलिए राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर इसे बन्द कर दिया गया। इस प्रकार सरकार ने ही उस क्षेत्र की जनता को गुमराह कर उसे धोखा दे दिया।

मान्यवर, वर्तमान में विकास खण्ड बनाने की लगातार माँग किए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने के कारण जनता में सरकार के प्रति व्यापक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में विकास खण्ड की माँग को लेकर क्षेत्रीय जनता 20 फरवरी से आन्दोलनरत् है और उन्होंने आने वाले समय में आमरण अनशन का नोटिस दिया है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर प्रभावी कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूँ।

विकास खण्ड गदरपुर, ऊधमसिंह नगर के मध्य बहने वाली नदियों से कृषि भूमि कटाव रोकने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रेमानन्द महाजन–

[मान्यवर, माननीय सदन का ध्यान वि0ख0 गदरपुर, ऊधमसिंह नगर के मध्य बहने वाली नदियों द्वारा ग्राम दौलतगंज, नन्दपुर, आनन्दखेड़ा, महतोष, पिपलीया नं0–2

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बगीराई व मकरन्दपुर आदि ग्रामों की बहुमूल्य कृषि भूमि कटान के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूँ। विशेषकर वर्षाकाल में इन ग्रामों के किसानों की कृषि भूमि का कटान अधिक होता है। जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। भू–कटान रोकने के लिये राज्य सेक्टर से धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

महोदय, यह विषय अति लोक महत्त्व का है, अविलम्बनीय है। इस पर आवश्यक कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

वर्ष 1994 के उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को सम्मानित कर नगद धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मुझे सम्मानित सदन के संज्ञान में यह लाना है कि वर्ष 1994 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान सी०बी०आई० द्वारा उत्तराखण्ड में 6 मुकदमे दायर किये गये, जिनमें 3 मसूरी, 2 टिहरी गढ़वाल तथा 1 डालनवाला क्षेत्र का था। इनमें कुल आरोपित व्यक्ति 46 थे। (1) ऐसे आन्दोलनकारी जो सी०बी०आई० द्वारा मुकदमा दायर कर जेल भेजे गये और उनके विरूद्ध आरोप पत्र भी भेजे गये और वर्ष 2004 तक न्यायालय में इन पर मुकदमा चलता रहा। ऐसे आन्दोलनकारियों की संख्या 22 है, जिन्हें प्रत्येक आन्दोलनकारी को रूपये 1.00 लाख देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। (2) द्वितीय प्रकार के आन्दोलनकारी ऐसे हैं, जिन पर सी०बी०आई० द्वारा 1994 में मुकदमा दायर किया गया परन्तु आन्दोलनकारियों द्वारा गिरफ्तारी के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया, इसलिए वह जेल नहीं गये परन्तु आरोप पत्र न्यायालय भेजे गये और वर्ष 2004 तक मुकदमा झेला है। ऐसे आन्दोलनकारियों की संख्या 7 है और इन्हें सरकार द्वारा रूपये 75 हजार देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। (3) तीसरे प्रकार के आन्दोलनकारी ऐसे हैं, जिनके विरूद्ध वर्ष 1994 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और आरोप पत्र दाखिल नहीं हुए क्योंकि अन्वेषण के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसे आन्दोलनकारियों की संख्या 17 है और उन्हें सरकार द्वारा रूपये 50 हजार देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

* श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। मान्यवर, नियमावली के नियम–20 के पैरा–3 में लिखा है "अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करेंगे जो चार दिन का होगा।" मान्यवर, हम लोगों को केवल दो दिन चर्चा का समय दिया गया है।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार करती है, आपके दल से भी समिति में माननीय सदस्य हैं। यह आप ही लोगों के अनुसार तय होता है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, फिर इसके लिये तो औचित्य का प्रश्न नियमावली में होना ही नहीं चाहिये था।

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक अभी होनी है, उसमें निर्णय होगा।(व्यवधान)

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, आप पीठ से निर्देश कर दें कि चार दिन चर्चा होगी। इसके लिये नियमों में भी स्पष्ट उल्लेख है।

श्री अध्यक्ष–

इसे तो कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति भी तो इसी नियमावली के अन्दर है, नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि चार दिन चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा कि इसे कार्य मंत्रणा समिति ही तय करेगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप पीठ से निर्देश कर दें, इसीलिए माननीय सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह अभी कहाँ तय हुआ है इसे तो कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप पीठ से निर्देश कर दीजिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, सदन आहूत हुआ और सदन में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को अंगीकृत किया गया, उसके पश्चात चर्चा चल रही है, कोई सत्रावसान नहीं हो रहा है और न ही सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो रहा है। अभी तो चर्चा चल ही रही है, तो यह पहले से ही प्रिडिक्शन कैसे हो जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हैं।

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएँ–

श्री अमित सिन्हा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी नियम–65 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना में अवगत कराया गया है कि दिनांक 17–11–2007 को प्रातः 11:00 बजे उनके निजी सहायक द्वारा श्री अमित सिन्हा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून का मोबाइल फोन संख्या–9411112704 मिलाया गया तथा फोन एस0एस0पी0, श्री सिन्हा द्वारा उठाये जाने पर, माननीय सदस्य के निजी सहायक के यह कहने पर कि माननीय विधायक बात करेंगी जब उनके द्वारा फोन लिया गया तो दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आयी और फोन पुनः मिलाया गया तो मोबाइल बन्द कर दिया गया। माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि दोबारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय नम्बर 2716203 पर फोन मिलाये जाने पर कार्यालय सहायक द्वारा पहले तो साहब के कार्यालय में बैठे होने की सूचना दी गई तथा फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में नहीं होने की सूचना दी। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को माननीय सदस्य का मोबाइल नम्बर देकर बात कराये जाने हेतु कहा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दूरभाष पर कोई वार्ता न किये जाने पर इसकी सूचना माननीय सदस्य द्वारा पुलिस महानिदेशक, श्री जोशी, जो तत्समय कुमायूँ मण्डल के दौरे पर थे, को भी वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई। जिन्होंने कहा कि वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को माननीय सदस्य से बात करने के लिये कहेंगे। उक्त घटना के पांच दिन व्यतीत हो जाने पर भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उनसे (माननीय सदस्य से) वार्ता नहीं की।

माननीय सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को सदन में अपने विचार व्यक्त किये गये, जिस पर सम्माननीय पीठ से आदेश हुये कि "यह बहुत ही गम्भीर मामला है।" पीठ द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि "माननीय सदस्यों का जो प्रोटोकाल है, उसे बनाये रखने के लिये अधिकारियों को तुरन्त निर्देश जारी किये जायं तथा इसका पालन सुनिश्चित किया जाय।"

प्रस्तुत प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र, दिनांक 10 मार्च, 2008 द्वारा अवगत कराया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा माननीय विधायिका, श्रीमती अमृता रावत से

खेद प्रकट करते हुये भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न किये जाने का आश्वासन देते हुये दिनांक 03–03–2008 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून का स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा प्रोटोकाल बनाये रखने हेतु सरकार को पूर्व में ही निर्देश दिये जा चुके हैं, तथापि सरकारी सेवकों द्वारा जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकाल का शालीनतापूर्वक उचित ध्यान रखा जाना नितान्त आवश्यक है, ताकि विधायिका एवं कार्यपालिका में अनावश्यक विवाद न हो। अतः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा किये गये खेद प्रकाश तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त आख्या से सहमत होते हुये मैं प्रश्नगत सूचना को विशेषाधिकार हनन के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

*श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं इसकी जांच करा लूँगी। मुझे पता नहीं कि यह पत्र अभी आया है या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आप इसकी जांच करा लें।

श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री केदार सिंह रावत, सदस्य विधानसभा द्वारा मनेरी भाली द्वितीय चरण धरासू में परियोजना के शुभारम्भ के अवसर पर श्री योगेन्द्र प्रसाद,अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना के सन्दर्भ में अपने पत्र दिनांक 16.05.2008 द्वारा अवगत कराया गया कि 3 मई, 2008 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मनेरी भाली द्वितीय चरण परियोजना का लोकार्पण किया गया जिसमें श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा समाचार पत्रों व निमंत्रण पत्रों में क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद उनका नाम अन्य विधायकों के बाद अंकित किया गया तथा शिलापट्ट पर भी अन्य के बाद उनका नाम अंकित किया गया। माननीय सदस्य द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पीठ के स्पष्ट आदेश हैं कि क्षेत्रीय विधायक सरकारी कार्यक्रमों, उद्घाटन समारोहों आदि में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। परन्तु श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, जल विद्युत निगम द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्तुत सूचना के सम्बन्ध में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 में अवगत कराया है कि मनेरी भाली द्वितीय परियोजना में लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मंत्री, पेयजल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा की गई जो कि प्रोटोकाल में क्षेत्रीय विधायक से वरिष्ठ हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इस अवसर पर उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा प्रकाशित विज्ञापन, शिलापट्ट पर अंकित किया गया विवरण तथा इस पर बांटे गये निमंत्रण पत्र में माननीय विधायक को यथोचित स्थान दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि श्री केदार सिंह रावत, माननीय विधायक,यमुनोत्री को इस अवसर पर यथोचित मान–सम्मान दिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त उपर्युक्त आख्या से स्पष्ट है कि माननीय विधायक को यथोचित स्थान उक्त कार्यक्रम में दिया गया है। आमंत्रण पत्र तथा विज्ञापन में माननीय विधायक का नाम अंकित है जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश के अभाव में विधायकों के नामों के क्रम में व्यतिक्रम हो सकता है जिसकी अनदेखी करना ही श्रेष्ठ आचरण होगा। जहाँ तक कार्यक्रम की अध्यक्षता का प्रश्न है, प्रोटोकाल के अनुरूप माननीय सिंचाई मंत्री, श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

*श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, जवाब आया है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से..............। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें विनिश्चिय आ चुका है। (व्यवधान)

*नेता प्रतिपक्ष (डा० हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें जो जानकारी है कि माननीय विधायक जी के द्वारा अध्यक्षता नहीं करवाई गयी, जबकि पीठ के स्पष्ट निर्देश हैं कि माननीय विधायकों के क्षेत्र में वहां के विधायक के द्वारा अध्यक्षता करायी जायेगी। लेकिन इस कार्यक्रम में माननीय सिंचाई मंत्री जी के द्वारा अध्यक्षता की गयी और माननीय विधायक जी का दूसरे क्षेत्र के विधायक, जबकि योजना इनके क्षेत्र की थी और दूसरे क्षेत्र के विधायक के बाद शिलापट्ट पर भी, निमंत्रण पत्र में भी और विज्ञापन में भी उनका नाम दूसरे क्षेत्र के विधायक के नाम के बाद रखा गया और उनसे अध्यक्षता भी नहीं करायी गयी। इसलिए निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, जब पीठ के स्पष्ट निर्देश...(व्यवधान)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया ये सभी विषयों का मैंने परीक्षण कराया है और उसमें अभी तक कोई ऐसी नीति निर्धारित नहीं हुई है और इसके सम्बन्ध में मैंने...... (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात तो आने दीजिए। सभी विषयों की गम्भीरता को देखते हुए इस सम्बन्ध में जो प्रोटोकाल सरकार द्वारा जारी हुआ था, अभी नहीं वह काफी समय से ऐसे ही चल रहा था। सभी विषयों की गम्भीरता को देखते हुए इस पर पुनः विचार करने के लिए जो हमारे मुख्य सचिव हैं उनसे मैंने प्रश्नगत बात की है। अभी तक जो परम्परा है। (व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानित पीठ द्वारा निर्देश दिये गये हैं उनका अनुपालन कड़ाई से हो इस बात को सुनिश्चित कराया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा बात आ गई है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक बार फिर बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानित पीठ द्वारा निर्देश दिये गये हैं, इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हो इस बात को सुनिश्चित कराया जायेगा।

श्री ओ0 पी0 शर्मा एवं श्री अजय ध्यानी, कोतवाल,रूद्रपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री तिलक राज बेहड़ ने अपने पत्र दिनांक 21–11–2007 द्वारा रूद्रपुर की एस0ओ0जी0 टीम के इन्चार्ज श्री ओ0पी0 शर्मा एवं श्री अजय ध्यानी, कोतवाल रूद्रपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी। उपर्युक्त सूचना में माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 को प्रातः उनके कार्यालय में रूद्रपुर की एस0ओ0जी0 टीम के इंचार्ज श्री ओ0पी0 शर्मा तथा कोतवाली रूद्रपुर के कोतवाल श्री अजय ध्यानी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा छापा मारकर परिसर की तलाशी ली गई जबकि वह अपने क्षेत्रीय कार्यक्रम में व्यस्त थे तथा अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जनता के बीच में ही रूद्रपुर के श्री सुरेश कोली 'निवासी रम्पुरा' जो कि रम्पुरा में पब्लिक स्कूल चलाता है, उनके पास आया और कहने लगा कि पुलिस द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है।

माननीय सदस्य का कथन है कि उनके भाई ने एस0ओ0जी0 टीम के कान्सटेबिल पर गोली चलाई है इसलिए मदद नहीं कर सकते और माननीय सदस्य वहाँ से शोरूम का उद्घाटन करने चले गये। माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि स्थानीय पुलिस द्वारा उनके कार्यालय परिसर में छापा मार कर तलाशी लेने का निन्दनीय कार्य किया गया है जिससे उन्हें ठेस पहुँची है। माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि इस सन्दर्भ में उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कैम्प कार्यालय पर धरना भी दिया गया तथा प्रकरण की लिखित सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर को भी दी। माननीय सदस्य द्वारा प्रश्नगत प्रकरण दिनांक 23-11-07 को सदन में भी उठाया गया जिस पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दोनों पुलिसकर्मियों को घटना की जाँच आने तक निलम्बित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रस्तुत सूचना के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 7 मार्च, 2008 में अवगत कराया है कि थाना रूद्रपुर में पंजीकृत मु0अ0स0 5459/07 धारा 147/148/149/307 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त अनिल को कोली इनामी अभियुक्त था, जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारन्ट की तामील के लिए किसी भी स्थान की तलाशी लेना वैधानिक था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रकरण की जाँच करायी गयी। जाँच में उप निरीक्षक श्री ओम प्रकाश शर्मा, तत्कालीन एस0ओ0जी0 प्रभारी को माननीय विधायक को बिना विश्वास में लिए एवं पूर्व सूचना दिये उनके आवास में जाने का दोषी पाया गया। इस लापरवाही के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर द्वारा श्री शर्मा की व्यक्तिगत पत्रावली में चेतावनी प्रदान की गयी है। निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री अजय ध्यानी तत्कालीन कोतवाल रूद्रपुर का प्रकरण में कोई दोष नहीं पाया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त उपर्युक्त आख्या से स्पष्ट है कि वांछित अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था जिसकी तामीली के लिए किसी भी स्थान की तलाशी लिया जाना वैधानिक था। एस0ओ0जी0 प्रभारी द्वारा इसके लिए माननीय सदस्य को विश्वास में लिया जाना था एवं पूर्व सूचना माननीय सदस्य को दी जानी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इस लापरवाही हेतु श्री ओम प्रकाश शर्मा तत्कालीन एस0ओ0जी0 प्रभारी को विभाग द्वारा व्यक्तिगत पत्रावली में चेतावनी प्रदान कर दी गई है तथा श्री अजय ध्यानी कोतवाल रूद्रपुर का प्रकरण में कोई दोष नहीं पाया गया। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं, उक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य करता हूँ।

*श्री तिलक राज बेहड़—

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सूचना दी जा रही है कि कोई दोषी नहीं पाया गया जब कि उन्हें निलम्बित किया गया। दोनों सब इन्सपेक्टर निलम्बित रहे। सरकार ने स्वयं ही उन्हें निलम्बित किया, पीठ से आपने निर्देश भी दिये थे। मान्यवर, जब दोषी पाये गये तभी तो निलम्बित किया गया होगा।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, उन्हें चेतावनी दी गई।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, विशेषाधिकार हनन की आज मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

सूचना तो आयी है उसका परीक्षण तो करवा लूँ। देख तो लूँ उसे।

आप पढ़ना चाहते हैं ठीक, अपनी सूचना पढ़ लें।

श्री जय कुमार, पासपोर्ट अधिकारी, देहरादून के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना,

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि विशेषाधिकार हनन की जो सूचना मैंने आपको दी है उस पर आपने मुझे पढ़ने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 को मैं शासकीय आवास पर बैठा हुआ था और आम जनता की शिकायतें सुन रहा था। डेढ़ और दो बजे के आस–पास श्रीमती सीमा कन्नौजिया आयीं और उन्होंने मुझे अवगत कराया कि वह दिनांक 16.02.2009 को भारत सरकार के देहरादून स्थित पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट बनवाने के कार्य से गई थीं किन्तु पासपोर्ट अधिकारी ने उनके साथ अशोभनीय व्यवहार करते हुए उन्हें लौटा दिया। श्रीमती कन्नौजिया की शिकायत के निराकरण के सम्बन्ध में मैंने पासपोर्ट अधिकारी श्री जय कुमार से अपने मोबाइल फोन नं0–9411114793 से बात कर वस्तुस्थिति की जानकारी अपना पूरा परिचय देते हुए प्राप्त करनी चाही तो पासपोर्ट अधिकारी द्वारा अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए अत्यन्त अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया जिसका उल्लेख करना मेरे लिए यहाँ शोभनीय नहीं है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए देहरादून में पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किया गया है ताकि लोगों को शीघ्रता से व सुगमता से पासपोर्ट प्राप्त हो सकें किन्तु उपरोक्त घटना से प्रतीत होता है कि पासपोर्ट चाहने वालों की सुविधा के स्थान पर उनका कष्ट और बढ़ गया है। एक जनप्रतिनिधि के नाते परिचय देने के बावजूद पासपोर्ट अधिकारी द्वारा इस–इस प्रकार की अमर्यादित व अशोभनीय भाषा का प्रयोग विधान सभा के सदस्य के साथ किया जाना माननीय सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार में सरकारी सेवकों को मर्यादित आचरण करना सम्बन्धित सेवा नियमावली एवं सरकार के निर्देशों में भी निर्धारित है तथा सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश भी जारी किये जाते रहे हैं किन्तु इसके बावजूद श्री जय कुमार ऐसे अधिकारी हैं जोकि जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार का पालन नहीं करते।

अतः मैं, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम–65 के अन्तर्गत अपने विशेषाधिकार हनन की सूचना माननीय सदन को देना चाहता हूँ तथा माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस दिशा में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपका विषय आ गया है, आपने अनुमति मांगी और आपको पढ़ने दिया गया।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, आपने विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में रख दिया है, माननीय अध्यक्ष जी इसका परीक्षण करा लेंगे। उसके पश्चात विनिश्चय आ जायेगा। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैंने विषय की गम्भीरता को देखा, इसलिए आपसे अनुरोध किया था कि आप अपनी बात रख लें, नहीं तो आपका विषय मेरे पास आ गया था।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी ने विषय की गम्भीरता को देखते हुए आपके विषय को रखने के लिए कहा और इस विषय को स्वीकार किया तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपना विषय रख दिया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इसमें भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हैं। जब तक भारत सरकार के माध्यम से कोई जवाब नहीं आ जाता (घोर व्यवधान) मैंने इस विषय को गम्भीरता से लिया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम विधायक हैं हमें जनता ने चुना है। कोई अधिकारी/कर्मचारी चाहे भारत सरकार का हो या प्रदेश सरकार का हो। यह कहीं नहीं लिखा है कि विधायक भारत सरकार के अधिकारी से बात नहीं कर सकता और कोई एम0पी0 प्रदेश सरकार के अधिकारी से बात नहीं कर सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। आम जनता हमारे पास आती है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

विषय की गम्भीरता को देखते हुए आपसे अपनी बात रखने को कहा गया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जिस कर्मचारी के प्रति आरोप लगाया है उसका पक्ष भी तो आने दिया जाय। तभी उस पर कार्यवाही कर पायेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह अदालत तो क्या है, हम इस सदन के सदस्य हैं, अपनी इस पीड़ा को इस सदन के अन्दर कहा गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मान्यवर, इस बात का संज्ञान लिया जा रहा है।

श्री शहजाद--

मान्यवर, इस सदन में इस प्रकार की कार्यवाही पूर्व में भी की गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसलिए तो इस बात का संज्ञान लिया जा रहा है। परीक्षण के बाद ही कार्यवाही की जायेगी। (घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल एक सदस्य की बात नहीं है। यह सभी सदस्यों की बात है चाहे सत्ता पक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का सदस्य हो।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक,2009

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम,1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम,1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम,1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993] (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(विशेषाधिकार हनन की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर कांग्रेस के सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये, जिससे घोर व्यवधान होने लगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 2009 की बैठक में दिनांक 26 फरवरी, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है।

<u>फरवरी, 2009</u>

26 (गुरूवार)

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी।

(सायं 5.00 बजे)

(1) वित्तीय वर्ष 2009–10 के एक भाग के लिए लेखानुदान पर सामान्य चर्चा एवं मतदान। (30 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 का पुरःस्थापन, उस पर विचार और पारण।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री हरिदास तथा हाजी तस्लीम अहमद, मौ0 शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा हाजी तस्लीम अहमद, श्री बलवीर सिंह नेगी तथा प्रीतम सिंह, डा0 हरक सिंह रावत, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री मनोज तिवारी तथा श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री करन माहरा, श्री केदार सिंह रावत, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल 13 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। (घोर व्यवधान) कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज नियम–58 में महत्वपूर्ण विषय आए हैं। (घोर व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदन को व्यवस्थित करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया सदन की भावना से भारत सरकार को अवगत करा दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप स्वयं समय–समय पर इस बात पर गम्भीर रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सम्मान का प्रश्न है। अगर हमारा सम्मान नहीं होगा। यह केवल मेरे सम्मान की बात नहीं है, यह माननीय विधायकों के सम्मान की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, हरक सिंह रावत से कोई बद्तमीजी करे तो हरक सिंह रावत सहन कर सकता है लेकिन विधायक के रूप में कोई हमारा अपमान करे तो यह जनता का अपमान है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

निश्चित रूप से यह सूचना बहुत गम्भीर है। प्रत्येक माननीय सदस्य को सम्मान मिलना चाहिए, अगर इसकी अवहेलना होती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाए। इस पर आपके विचार आ गए हैं।

* स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

मान्यवर, अनुमति हो तो मैं इस विषय पर कहना चाहता हूँ कि....

श्री अध्यक्ष–

वह विषय समाप्त हो चुका है, कृपया स्थान ग्रहण करें। नियम–58 में कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से

1. मौ0 शहजाद की सूचना जो उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद में गरीब भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के लोगों को 35 वर्ष पूर्व (सन् 1973 व 1976) दिये गये आसामी पट्टों पर जमींदारी हक/असंक्रमणीय पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में है।

2. श्री बलवीर सिंह नेगी तथा श्री प्रीतम सिंह की सूचना जो योग विषय को स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाकर योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में है।

3. श्री जोत सिंह गुनसोला की सूचना जो मसूरी में दिनांक 10–02–2009 को गुलमर्ग होटल में कार्यरत श्री अवतार सिंह पुत्र स्व0 श्री रतन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है।

4. श्री करन मेहरा की सूचना जो जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत शहर में नियुक्त कोतवाल, श्री पी0सी0 पन्त द्वारा शहर के सम्भ्रान्त नागरिकों के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में है तथा

5. नियम–310 के अन्तर्गत श्री केदार सिंह रावत तथा श्री प्रीतम सिंह की प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 व एल0टी0 की विज्ञप्ति जारी करवाने हेतु लम्बे समय से बी0पी0एड0/बी0एड0 प्रशिक्षितों के आन्दोलनरत रहने तथा वर्ष 2012 तक की रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 18 फरवरी, 2009 तक विज्ञप्ति जारी करने के आश्वासन को पूर्ण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने की अनुमति दे रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान)

* श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री गोपाल सिंह जी की सूचना महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

सभी सूचना ये महत्वपूर्ण हैं, जो नियम–58 की ग्राह्यता पर सुने जाने की परिधि में आ रही हैं वह ले ली है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सूचना महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे कुल 5 सूचना लेनी हैं।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, नियम–299 में एक औचित्य का प्रश्न भी था।

श्री अध्यक्ष–

उसे दिखवा लेते हैं।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

सभी सूचनायें महत्वपूर्ण हैं।

(माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे)

* श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इस तरह बार–बार 'वेल' में आने की परम्परा को हटवाइये, यह सदन का अपमान है, आप इस तरह से 'वेल' में आकर बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी 'वेल' के समीप आकर अपनी बात कहने लगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राणा जी, आप दोबारा दे दें उसे देख लेंगे, आज सम्भव नहीं है। मुझे 5 सूचनायें लेनी हैं और 5 सूचनायें ले लीं। (व्यवधान)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह जी को विनिश्चय दिया था कि कल सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने यह नहीं कहा था, मैंने कहा था कि परीक्षण करा लेंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है यह....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब तक अनुमति नहीं दी जायेगी किसी भी माननीय सदस्य की किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (व्यवधान)

* श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, यह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल इंटरव्यू होने जा रहा है, यदि इस पर रोक नहीं लगेगी तो यह अच्छा नहीं होगा। जो अभ्यर्थी अर्हता रखते हैं उनको कॉल नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय माहरा जी की सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि कल साक्षात्कार होने जा रहा है। (व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, यह तो विश्वविद्यालय का मामला है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, विश्वविद्यालय तो प्रदेश सरकार के अधीन आते हैं। यदि कोई नियम के विरूद्ध कार्य करेगा तो यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान और प्रदेश की नियमावली से ऊपर कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, आई0आई0टी0 में जो प्राध्यापक पढ़ा रहा हो, उसको कॉल नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माहरा जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय का संज्ञान ले लेंगे, इसका परीक्षण करा देते हैं, चूँकि यह विषय विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इसमें किसी विषय का उल्लेख नहीं किया गया है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ध्यान है। जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में नियुक्ति की तिथि निर्धारित हो गयी थी और उस समय उत्तर प्रदेश में माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री थीं तो माननीय मायावती जी ने आदेश दिया और नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगा दी थी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सूचना पूर्ण नहीं है। इसमें अनिश्चित जानकारी है। सदन तो नियमों से चलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें निश्चित जानकारी नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सूचना में नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य यहाँ पर खड़े होकर जानकारी दे तो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह तो रहे हैं, इसका संज्ञान ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, उसमें जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनको कॉल नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियम–58 में तो सूचना नियमों के आधार पर ही ले पाएंगे। इसमें माननीय अध्यक्ष जी का विनिश्चय आ चुका है। माननीय सदस्य ने अपने निजी ज्ञान के आधार पर सदन में कोई बात उठाई है, तो उसका संज्ञान हमने ले लिया है। जो आपने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में कितनी सत्यता है, इसका परीक्षण करवा लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे आज ही देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, इसमें डेट बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है, आज ही देख लेंगे।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, वर्ष 1973 और 1976 में सरकार ने नीति बनायी थी कि उस वक्त जो गरीब थे, मजदूर थे, भूमिहीन किसान थे, उन्हें ग्राम समाज की जो असिंचित भूमि

थी, ऊबड़–खाबड़ थी, उस वक्त किसी काम की नहीं थी, उनके पट्टे भूमिहीनों को आवंटित किये गये। पट्टे की शर्त में जो आसामी लिखा हुआ था, उसमें कोई वर्ष संख्या नहीं लिखी थी। उन्हें पट्टे एलॉट करते समय उनकी कोई समय सीमा नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, इन 30–35 सालों में उन गरीब भूमिहीनों ने उस भूमि पर काफी मेहनत मशक्कत करते हुए, उस जमीन को समतल किया, एकसार किया। अपने परिवार के पालन–पोषण के लिए उन्होंने उस पर खेती करने का काम किया। आज जब जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं, कुछ लेखपाल और अन्य अधिकारी भू–माफियाओं के साथ मिलकर उन पट्टों को, जिन पर समय सीमा नहीं है, उन्हें निरस्त करना चाहते हैं। उन्हें भूमिधरी का अधिकार भी नहीं है, सरकार देने के लिए तैयार भी नहीं है, इस पर कई बार चर्चा हुई है। आज उन पट्टों को निरस्त करने के नाम पर पूरे हरिद्वार जनपद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी भूमिहीन किसान, जिसके पास पट्टे की जमीन है, रात–दिन सोने की स्थिति में नहीं है। उसका परिवार आज असमंजस की स्थिति में है कि आगे चल कर जब उसकी जमीन छिन जाएगी, उसकी जमीन भू–माफिया के हाथ में चली जाएगी, उस परिवार का क्या होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न जन समस्या से जुड़ा हुआ है। जो गरीब किसान हैं, भूमिहीन हैं, उनकी इसमें मजबूरी साफ झलकती है कि आज उनका परिवार जो 35 साल से उस जमीन को अपना मानता है, उस पर मेहनत करके इस योग्य बनाया कि उस पर फसल बो कर अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, उसमें काम कर सके। उससे उसे दो वक्त की रोटी नसीब हो सके। लेकिन आज जो नीति चल रही है, जो आज अफसरशाही इस प्रदेश में हावी है, उसके चलते माननीय अध्यक्ष जी, आज वह गरीब किसान, मजदूर किसान सड़कों पर दर–दर भटक रहे हैं। अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। विधायकों और मंत्रियों के भी चक्कर काट रहे हैं कि मेरी जमीन बचाओ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज उन्हें कोई आश्रय देने वाला नहीं है, उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। इस मजबूरी के तहत नियम–58 में आपके सामने अपनी बात रखते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस ज्वलंत मुद्दे पर, इसे पूरे प्रदेश की समस्या मानते हुए आज सदन में कम से कम एक घण्टे की चर्चा इस पर हो। माननीय अध्यक्ष जी, उन गरीब किसानों को भूमिधरी के अधिकार दिये जाएं, असंक्रमणीय अधिकार उन्हें दिये जाएं, उन्हें उस जमीन का स्वामी बनाया जाय ताकि जो अफसरशाही आज भ्रष्टाचार में लीन है, जो उनकी जमीन को भू–माफियाओं को बेचना चाहते हैं, यह सम्भव न हो पाए। उनकी जमीन बचे और वे उस जमीन के मालिक हों और उससे उनकी रोजी–रोटी चलती रहे। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराएं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता बसपा मौ0 शहजाद जी ने एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस विषय पर पूर्व में भी माननीय सदन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि वर्ष 1973 और 1976 में जनपद हरिद्वार में कुछ आसामी पट्टों को निर्गत किया गया था और 1973 में हरिद्वार, रुड़की और लक्सर क्षेत्र में 16 पट्टे दिये गये थे और वर्ष 1976 में हरिद्वार में 411, रुड़की में 3422 तथा लक्सर में 24 पट्टे निर्गत किये गये थे। इस प्रकार से समय–समय पर पट्टे दिये जाने की प्रकिया पूर्व में की गई थी।

इस प्रकिया को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के तहत दिया जाता था और जो नियमावली है, उसके अधिनियम की धारा–132 के तहत दिये जाने की व्यवस्था थी, उस अधिनियम में स्पष्ट लिखा है कि "वह भूमि जिसपर भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते।" अर्थात यह आसामी पट्टे दिये जाने की प्रकिया जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–132 के तहत निर्गत की गई थी, उन पट्टों पर भूमिधरी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। यह व्यवस्था उस अधिनियम के तहत है। और इस अधिनियम के तहत जो नियमावली वर्तमान में परिचालित है, उस नियमावली के नियम 176 के अन्तर्गत वर्ष 1975 से यह प्रकिया लागू हुई, जिसके नियम 176–क में स्पष्ट कहा गया है कि "प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी आसामी को पांच वर्ष से अधिक की अवधि पर पट्टा नहीं दिया जायेगा।" इसके चलते हुये समय–समय पर जिन पट्टों की अवधि पूरी होती गई, उन पट्टों को निरस्त किया जाता रहा।

श्रीमन्, इन सभी पट्टाधारकों की ओर से 1255 वाद वर्तमान में राजस्व न्यायालय में लम्बित हैं और जब वाद राजस्व न्यायालय में लम्बित हैं, तो इस सदन में, इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं हो सकती है। इसकी वस्तु स्थिति से मैंने माननीय सदन को अवगत करा दिया है।

*श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता, यदि माननीय शहजाद जी कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, तो कह सकते हैं।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जो भू–व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश का यहां पर लागू है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी आसामी पट्टे थे, उनको भूमिधरी के अधिकार दे दिये हैं।

(माननीय मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जब यह प्रदेश उत्तर प्रदेश के कानून पर चल रहा है, तो उसकी बात तो यहां पर होगी ही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सुरेन्द्र राकेश जी, आप बार–बार अनावश्यक रूप से खड़े हो जाते हैं, यह उचित नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं, माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करूँगा कि जब तक आप लोगों को अनुमति न दी जाय आप लोग कृपया, ऐसा व्यवधान उत्पन्न न करें। सुरेन्द्र जी, इस बात का ध्यान रखियेगा।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी नियम को बनाने के लिये कैबिनेट और सदन सक्षम है। 30 साल से उनके पट्टे निरस्त नहीं हुये हैं, वे बाकायदा उस पर खेती करके अपना जीवन–यापन करते चले आ रहे हैं। अगर आज जमीन के रेट नहीं बढ़ते, भू–माफिया सक्रिय न होते तो शायद आज भी उनके पट्टे निरस्त करने की बात नहीं कही जाती। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरा निवेदन है कि सरकार इसमें सदाशयता दिखाये और उन्हें भूमिधरी के अधिकार दे। इसमें गरीब लोगो का हित है, किसी एक आदमी के पास वह भूमि नहीं जा रही है। अगर उन्हें भूमिधरी के अधिकार नहीं दिये जाते तो जितना भ्रष्टाचार अभी है, वह और भी बढ़ेगा और भू–माफिया वहाँ पर सक्रिय होगा। सरकार से मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि सरकार यहां पर घोषणा करे उन्हें भूमिधरी के अधिकार दिये जाने की। अगर सरकार जनहित चाहती है और गरीबों को चाहती है तो इसकी घोषणा सरकार को यहां पर करनी चाहिये।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वर्तमान में परिचालित अधिनियम और नियमावली के तहत यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री शहजाद एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, योग विषय को स्कूल में अनिवार्य विषय बनाकर योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने के बजाए इसको लटकाने की लगातार कोशिश सरकार कर रही है। श्रीमन्, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2008–2009 से विद्यालयों में माध्यमिक कक्षा–9 व कक्षा–10 तथा उच्च माध्यमिक कक्षा–11 व 12वीं स्तर पर नवीन संयोजन के सम्बन्ध में दिनांक 13 मार्च, 2008 को शासनादेश जारी करके क्रम संख्या–6 योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत योग को एक अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान समय में लगभग 19 महाविद्यालयों से 5500 योग अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं मान्यवर, जो सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों से आन्दोलनरत हैं, जिसके चलते शासनादेश तो जारी कर दिया गया, किन्तु अब तक इस पर कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पायी है और न हो रही है। इससे ऐसा लगता है, मैं तो यह समझता हूँ कि जो प्रक्रिया चल रही शासन की, सरकार की। इतिहासकारों की मानें तो यह धारणा महज एक अफवाह से उपजी है और आम जनता के मन में घर

कर गयी कि रोम जल रहा था तो वहाँ के शासक नीरो बंशी बजा रहा था। (हंसी) श्रीमन्, इतिहासकार कुछ भी कहें श्रीमन्, लेकिन किसी भी गम्भीर समस्या की अनदेखी करना तो श्रीमन्, शासकों के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए श्रीमन्, अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या सरकार में बैठने वाले लोगों की तुलना नीरो से की जा सकती है। इसलिए श्रीमन्, मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से और इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर नियम–58 के अन्तर्गत सदन की समस्त कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

*शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मानयीय अध्यक्ष जी, माननीय बलबीर सिंह नेगी जी के द्वारा नियम–58 के अन्तर्गत जो सूचना ग्राह्यता पर आपने स्वीकार की है, उसके सम्बन्ध में मान्यवर, जो शासनादेश की चर्चा माननीय सदस्य ने की है। उस शासनादेश संख्या–1967, दिनांक 13 मार्च, 2008 के द्वारा जो शैक्षिक सत्र 2008–09 से विद्यालयों में केवल माध्यमिक स्तर पर नहीं अपितु प्राथमिक स्तर पर भी और माध्यमिक स्तर पर भी, उच्च माध्यमिक स्तर पर भी, उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा–11,12 स्तर पर भी विषय संयोजन जो निर्धारित किये गये हैं, उसमें योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा को एक विषय के रूप में अनुमन्य किया है।

सी0बी0एस0सी0 पैटर्न लागू होने के बाद योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा, उसमें एक आन्तरिक मूल्यांकन के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। जब सी0बी0एस0सी0 पैटर्न लागू किया गया था और उसमें कोई लिखित परीक्षा का प्रविधान नहीं है। सप्ताह में उसके दो पीरियड होंगे और उसमें केवल आन्तरिक मूल्यांकन छात्रों का किया जायेगा। एक जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति करने के लिए विषय का संयोजन किया गया है और इसमें भी मान्यवर, चूँकि लगभग 25 हजार स्कूल इस समय प्रदेश के अन्दर चल रहे हैं और उसमें भी हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं, जिनमें छात्र संख्या दस से भी कम है। सब में इस प्रकार अलग से योग के पद सृजित करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से एक विषय उठाया है, ये सम्भव प्रतीत नहीं होता और चूँकि एक विषय के रूप में भी लिखित रूप में इसको मान्यता नहीं दी गयी है।

दूसरी ओर हमारे यहाँ जो व्यायाम योग्यताधारी हैं उनको इस रूप में कि जो स्वास्थ्य के प्रति जरूरी जागरूकता है, कक्षा 01 से लेकर कक्षा 8 तक के शिक्षक के लिए हमने एक अभ्यास पुस्तिका बनाई है, इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद वह जागरूक रहें, इस सम्बन्ध में वह जानकारी देंगे। जहाँ तक पद सृजन की बात है यह सम्भव नहीं है वर्तमान स्तर पर, चूँकि पहले जो हमारे यहाँ आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो रही है। इसलिए पद सृजन की न आवश्यकता है न ही इस पर कोई विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हूँ।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 22 अगस्त, 2008 को जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत शहर में एक अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनका नाम नरेश तरलेजा है, वह ताईक्वान्डो खेल के कोच भी हैं, उनके द्वारा एक स्कूल के अध्यापक और तीन छात्रों के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई और जिसकी सूचना समय पर वहाँ के सम्भ्रान्त नागरिकों ने, व्यापार संघ के अध्यक्ष ने और वहाँ के छात्रों ने थाना कोतवाली में दे दी थी। परन्तु तात्कालिक जो वहाँ के कप्तान थे उन्होंने उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की और नरेश तरलेजा द्वारा उस विद्यालय के सीधे–साधे अध्यापक को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और महिपाल सिंह मेहरा जो छात्र था वह केवल 13 साल की उम्र का था उसको उठाकर सड़क में पटक–पटक कर मारा जा रहा था। इस घटना को देखकर वहाँ के छात्र और वहाँ के नागरिक बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गये। वह सभी लोग, जब पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो थाने का घेराव करने के लिए थाने में पहुँचे। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मैं स्वयं थाना गया और डी०एम० अल्मोड़ा वहाँ आयीं और एस०पी० ने भी तत्परता दिखाई, वह अल्मोड़ा से रानीखेत आयीं। शहर के सम्भ्रान्त नागरिक जिसमें वहां के वाइस प्रेसिडेन्ट कैन्टोन्मेन्ट बोर्ड, उसके अलावा अध्यापक नेशनल इण्टर कालेज के, प्रान्तीय उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ के श्री दान सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, श्री कुलदीप अग्रवाल जी, श्री मोहन नेगी, व्यापार संघ अध्यक्ष, रानीखेत, श्री महेन्द्र पाल जी अध्यापक, श्री उमेश बिष्ट जी अध्यापक, श्री साहिब खान मंत्री प्रदेश अल्प संख्यक प्रकोष्ठ, भाजपा, श्री बसंत पाण्डे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, श्री गिरीश भगत पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, श्री अगस्त लाल शाह, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, श्री सतीश रौतेला महामंत्री, श्री अजय कुमार बबली महामंत्री नगर कमेटी इत्यादि ने पुलिस के साथ मिलकर वहां के डी०एम० के साथ मिलकर लोगों को शान्त करने का काम किया ताकि शहर में कोई अराजकता न फैले और कोई बड़ी घटना न घट जाये।

लेकिन मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो वहाँ के तत्कालिक कप्तान थे उनका उस दिन भी जो व्यवहार था, अशोभनीय था। उन्होंने कई अशोभनीय टिप्पणियाँ इन महानुभावों के खिलाफ, डी०एम० के वहाँ आने से पूर्व की और उसने धमकी दी 'अगर आप लोग इसी तरह का दबाव बनायेंगे, छात्रों को लेकर यहाँ आओगे, तो मैं तुम सबको जेल में बन्द करने का काम करूँगा'। नरेश तरलेजा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई उस समय तक नहीं की। डी०एम० के हस्तक्षेप के बाद और मेरे वहाँ पहुँचने के बाद नरेश तरलेजा को एरेस्ट किया गया और डी०एम० ने सारे लोगों के सामने, जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ पर था, उन लोगों के सामने आश्वासन दिया कि हम छात्रों के और यहाँ के सम्भ्रान्त नागरिकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे और नरेश तरलेजा के पूर्व के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली जायेगी और इनके द्वारा पूर्व में जितनी भी आपराधिक घटनायें हैं उनको संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ गुण्डा एक्ट

लगाया जायेगा और इन्होंने जितनी भी सम्परित 15 सालों में जोड़ी है, मान्यवर आय से कहीं अधिक सम्पति है, उसकी जाँच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

मान्यवर, उसके बाद वहाँ की जनता, वहाँ के छात्र शांत हुए और अपने-अपने घरों को गये। इसी घटना के कुछ समय बाद एक मीटिंग कोतवाली थाने में इन्हीं कोतवाल के द्वारा की गई और उसमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ के इन्हीं सभी सम्भ्रान्त नागरिकों, जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको बुलाया गया। हर पार्टी के नगर अध्यक्ष उसमें थे, अन्य प्रकोष्ठों के अध्यक्ष उसमें थे। उनके साथ उनके परिवार, परिवार की महिलाओं और उनकी पत्नियों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी इन कोतवाल महोदय के द्वारा वहाँ की गई, जिसका विरोध करते हुए वहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और वहाँ के लोकल गणमान्य व्यक्ति बाहर आ गये और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की माँग पुलिस में और डी0एम0 से की और उनका पुतला जलाने का काम वहाँ पर हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन दबाव डालकर और किसी-किसी को बहला-फुसलाकर कोतवाल ने अपने पक्ष में लिखवा लिया कि हमें अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है तो वह घटना यहीं पर खत्म हो गई।

परन्तु मान्यवर, जब इस घटना की विवेचना की गई उसमें जानबूझकर जिन लोगों का नाम कोतवाल के खिलाफ प्रदर्शन में आया था उन सभी लोगों का जिसमें वाईस प्रसीडेंट, कैन्टोनमैंट बोर्ड रानीखेत, व्यापार संघ के अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, श्री कुलदीप अग्रवाल जी, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री और पूर्व छात्र संघ के दो-दो अध्यक्ष इन सभी के नाम उन 18 लोगों की लिस्ट में डाल दिये गये। मान्यवर, मैंने स्वयं 01 तरीख को, इस बात की सूचना वहाँ महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस को 8 जनवरी, 2009 में और इसी दिनांक को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एक पत्र प्रेषित किया था। परन्तु कोई भी कार्रवाई उस कोतवाल के खिलाफ नहीं की गई वरन् उसको पदोन्नति दे दी गई जो बहुत ही अफसोसजनक है।

मान्यवर, उससे भी ऊपर लोगों को भड़काने का काम उन्होंने अपनी पदोन्नति के उपरान्त किये हैं, जिसके मैं साक्ष्य लेकर आया हूँ। उन्होंने जिस नरेश तरलेजा के खिलाफ 01 सितम्बर, 2008 को 884/2008 धारा-31 गुण्डा नियंत्रक एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कर रिपोर्ट प्रेषित की उसके पक्ष में एक बयान टी0वी0 चैनल टी0वी0-100 के नाम से है, उसमें दिया। जिसकी सी0डी0 और हिन्दी में लिपिबद्ध करके आपके संज्ञान में रखने के लिए लाया हूँ। इसमें उन्होंने बड़ी ही आपत्तिजनक बातें कही हैं। जिसमें उन्होंने यह कहा है कि वहाँ के लोगों के दबाव में, वहाँ के व्यापार संघ के दबाव में मैंने नरेश तरलेजा के खिलाफ कार्रवाई की। क्या एक ऐसे उच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति, जिसके हाथों में कानून की रक्षा का काम है, क्या वह किसी नेता, किसी जनप्रतिनिधि या लोगों के दबाव में आकर कार्यवाही करने लग गये हैं। तो मैं इसे बहुत ही अफसोसजनक बात कहूँगा। इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चहिए और जो उनको पदोन्नति दी गई है उस पर सरकार को एक बार पुनः विचार करना चहिए। तात्कालिक जो हमारे कप्तान हैं, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई होनी चहिए।

मैं आपके संज्ञान में एक चीज और लाना चाहता हूँ, इनकी कार्यशैली वैसे भी बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है उसमें कहीं न कहीं कपट है। मान्यवर, पुलिस ने

एफ0आई0आर0 में चोरी और मारपीट में लिप्त बच्चे का नाम महिपाल सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी मनचौड़ा दर्ज किया है जब कि पुलिस महानिदेशक द्वारा उनके पत्रांक डी0जी0/52264 में दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 को बच्चे का नाम महिपाल सिंह पुत्र हयात सिंह निवासी मनचौड़ा लिखा गया है। यह अपने आप में पुलिस की जाँच और उनकी जानकारी में गम्भीरता को स्पष्ट करती है। तो मान्यवर, ऐसे अधिकारी के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई होनी चहिए और जो गम्भीर धारायें वहाँ के प्रतिष्ठित नागरिकों के खिलाफ लगाई गई हैं जिसमें धारा–147, धारा–435, धारा–323, धारा–452, धारा–506, और धारा–427 लगाई गई हैं, इन्हें वापस लिया जाना चहिए। ताकि वहाँ के माहौल को शान्त किया जाए और जो नागरिक हमेशा जनता की बातों को, हो रही दिक्कतों को प्रशासन के सामने लाते हैं, वो लोग अपनी बातों को शासन प्रशासन से कहने में दिक्कत महसूस न करें, उनके मन में भय पैदा न हो, इसलिए उनके खिलाफ लगाई गई धाराओं को वापस लिया जाना चहिए।

एक बात मैं और आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि द्वाराहाट, जो मेरे क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ की महिलाओं ने वहाँ छूटी हुई गायों के सम्बन्ध में, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नही है, जो उनके खेतों में उनकी मेहनत करी हुई फसलों का नुकसान कर रही थीं, एक आन्दोलन किया मान्यवर, जिसमें उन्होंने गौ रक्षा केन्द्रों में इन गायों को डालने की बात कही।

क्योंकि वो उनके खेतों में, जिसमें उन्होंने मेहनत की है, और फसलों को नुकसान कर रही थीं। उन्होंने एक आन्दोलन किया था। गौ रक्षा केन्द्र पर इनको डालने की बात कही, प्रशासन द्वारा इस पर तुरन्त कार्यवाही की गयी और इन गायों को गौ रक्षा केन्द्रों में भेजने का काम किया। परन्तु मान्यवर, एक साल के बाद 14 महिलाओं पर मुकदमा चलाने का काम वहां के पुलिस प्रशासन ने किया, वहां के प्रशासन ने किया। इन सभी विषयों पर मैं चाहता हूँ कि आप चर्चा करना स्वीकार करें। ताकि लोगों को सरकार पर विश्वास हो और इस सदन की गरिमा बनी रहे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय करन मेहरा जी ने जिस घटना पर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया और जिस प्रकार आपने इस घटना को ग्राह्यता पर बोलने पर प्रकाश डाला। श्रीमन्, यह घटना 22–08–2008 की है, जब श्री नरेश तरलेजा निवासी राय स्टेट द्वारा थाना कोतवाली रानीखेत में अज्ञात चोरों द्वारा उनकी मारूति गाड़ी संख्या यू0पी0 01 ए 1293 में रखा डिजिटल कैमरा मय 12 बैट्री के चोरी होने की सूचना लिखायी गयी थी। इस सूचना के आधार पर कोतवाली रानीखेत में मुकदमा कायम हुआ। 882/08 धारा–379 आई0पी0सी0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। इसके पश्चात् वादी द्वारा यह बताया गया कि डिजिटल कैमरा दिनांक 24.08.08 को अंकुर डाबर ने प्रकाश स्टूडियो में ठीक करवाने के लिए दिया था। और वह लड़का आज उस कैमरे को लेने आयेगा। इस सूचना पर थाना रानीखेत से हेड कॉन्स्टेबल वहां गये लेकिन वह वहां पर नहीं आया। लेकिन कुछ समय पश्चात् वह लड़का कैमरा लेने आया तो वादी नरेश तरलेजा ने उक्त लड़के को पकड़ लिया।

इसी बीच नेशनल इण्टर कॉलेज, रानीखेत के अध्यापक श्री महेन्द्र पाल सिंह जी वहां आ गये और उनके द्वारा लड़के को छुड़वाने का काम किया गया। श्री सिंह द्वारा कालेज के छात्रों को और अन्य अध्यापकों को वहां पर बुलाया गया। इस मध्य दोनों पक्षों में मार पीट हो गयी। इसके पश्चात दिनांक 24.8.2008 को श्री महेन्द्र पाल सिंह द्वारा धारा 307, 323, 325, 506 आई०पी०सी० बनाम नरेश तरलेजा को थाना कोतवाली रानीखेत में पंजीकृत किया गया। इस तरह से यह विवाद, जिस विवाद की पृष्ठ भूमि आपके समक्ष रखी गयी, जब यह विवाद दोनें पक्षों की ओर से बन गया और मुकदमा कायम हो गया और जनता से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रकाश में आया। इसके पश्चात घटना कुछ और आगे बढ़ी, 24.08.08 को श्री नरेश तरलेजा के रानीखेत के घर में तोड़–फोड़ की और आग लगा दी। इस प्रकार के आरोप लगाकर मुकदमा कायम हो गया।

इस अभियोग के सम्बन्ध में 13 जनवरी, 2009 को एक शिष्टमण्डल जिलाधिकारी अल्मोड़ा से मिला। इस शिष्टमण्डल ने घटनाक्रम की स्वतंत्र इकाई से जांच करने की मांग की और ज्ञापन दिया। जैसा कि माननीय विधायक जी भी अवगत करा रहे हैं। यह विषय 13 जनवरी को रखा गया और सरकार के संज्ञान में भी आया। उस विषय का तत्काल संज्ञान लिया गया और 17 जनवरी को पुलिस अपराध एवं कानून महानिरीक्षक देहरादून के आदेश से उपरोक्त तीनों अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग (सी०बी०सी०आई०डी०) को हस्तांतरित कर दी गयी और सी०बी०सी०आई०डी० ने अपनी जांच शुरू की तो 9 फरवरी, 2009 को सी०बी०सी०आई०डी० हल्द्वानी के पुलिस उपाधीक्षक, श्री अमित श्रीवास्तव एवं पुलिस निरीक्षक, श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डे रानीखेत आये। उनके द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में सभी पक्षों के बयान अंकित किये गये। और इसके पश्चात शहर के अन्य लोगों से भी पूछताछ की गयी। इसके बाद इन्होंने, उक्त अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट रानीखेत में प्रश्नगत तीनों अभियोगों के पुनः विवेचना हेतु, अनुसंधान द्वारा कराये जाने हेतु 173 आई०पी०सी० के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया। मान्यवर, माननीय न्यायालय में यह मामला लम्बित है। इसमें जो भी निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा सी०बी०सी०आई०डी० को पुनः विवेचना के लिए दिया गया है उस के अनुसार कार्यवाही की होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए। (भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 3:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी नियम–58 के अन्तर्गत सूचना थी, उसमें 1–2 बिन्दु रह गये हैं जिसे सरकार के संज्ञान में लाना आवश्यक है, यदि आपकी अनुमति हो तो।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर अंकुर डाबर का जिक्र किया गया है, वे पहले ही एफीडेविट दे चुके हैं, उनसे कोई बयान नहीं लिया गया और वे गवाह नहीं हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, श्री करन मेहरा जी का गम्भीर विषय है इसमें एक बिन्दु रह गया है।

श्री अध्यक्ष–

हर सूचना में ऐसा नहीं होता है, आपका विषय आ चुका है, कृपया बैठ जायें।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के तहत आपने मुझे अवसर प्रदान किया, धन्यवाद। मान्यवर, बहुत ही व्यथित मन से मसूरी में दिनांक 10 फरवरी, 2009 को श्री अवतार सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री रतन सिंह जो वर्तमान में गुलमर्ग होटल मसूरी में गाईड के रूप में कार्यरत था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, उसके परिजनों ने जब आकर देखा तो उसके परिवार ने आशंका व्यक्त की कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु न होकर कुछ लोगों के द्वारा उसको मार दिया गया है।

इस आशंका की रिपोर्ट दिनांक 12 फरवरी, 2009 को पुलिस में दर्ज कराई और दर्ज कराने के बाद यह अपेक्षा की कि पुलिस उन हत्यारों का पता लगाये और जब 16 तारीख को फिर उसकी पुत्री होटल गुलमर्ग गयी तथा उसने होटल के कमरा नम्बर–9 और 10 को खुलवाकर देखा तो प्रार्थिनी को कमरे के दरवाजे की कुण्डी तथा कमरे के कारपेट पर खून के धब्बे दिखे, इससे प्रार्थिनी को अंदेशा हुआ कि उसके पिता के साथ मार पीट की गई होगी तथा उक्त घटना दुर्घटना न होकर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा इरादतन उसकी हत्या की गयी और इस हत्या के मामले के लिए मसूरी होटल गाइड कर्मचारी यूनियन मसूरी के सभी जागरूक संगठनों ने और मैंने स्वयं इस संदर्भ में पुलिस को, एस0एस0पी0 साहब को और सी0ओ0 से यह आग्रह किया कि अगर यह स्वाभाविक मृत्यु है तो पुलिस क्यों नहीं कह देती कि यह स्वाभाविक मृत्यु है और पोस्टमार्टम के बाद यदि चोट इंगित की गई है, किसी के द्वारा इसको क्षति पहुँचायी गयी है, इसकी मृत्यु की गयी, तो क्यों नहीं पुलिस उस लाइन पर कार्यवाही करती है? तो संगठन भी यही माँग करता है, हम भी जनप्रतिनिधि होने के नाते यही अपेक्षा करते हैं कि पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले उन कुख्यात इरादतन न सही, लेकिन किन्हीं कारणों से मृत्यु हो गयी, क्षति हो गयी।

एक गरीब परिवार आज बहुत ही असहाय रूप में बिलख–बिलख कर यह कहता है, उसकी लड़की यह कहती है कि हमारे पिता हमारे पूरे परिवार का पालन–पोषण करते थे। और आज स्थिति यह हो गयी है कि हम सब लोग नम आंखों से उस परिवार को यही सांत्वना दे रहे हैं कि सरकार सजग है, पुलिस सजग है और पुलिस निश्चित तौर पर किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेगी। हम यही नहीं, एक अपेक्षा भी करते हैं कि जब कुछ समय व्यतीत हो जाता है तो उसके बाद पुलिस भी और सम्बन्धित परिवार भी, क्षेत्र की जनता भी और पूरी मानवता कुछ ऐसे सोचती है कि शायद यह तो होना ही था। यह

इसलिए कह रहा हूँ कि गत वर्षों में मसूरी में ही, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मसूरी में ही दो बहनों का कत्ल हुआ है, यह कत्ल बहुत ही मार्मिक तरीके से हुआ है। पुलिस ने एड़ी–चोटी का जोर लगाया है, लेकिन आज तक दो वर्ष व्यतीत हो गये हैं लेकिन इस केस का खुलासा नहीं हुआ है। सम्भवतः उनका परिवार और वह यही सब सोच कर रह गया कि शायद पुलिस की कार्यवाही इसी तरह होती होगी कि इतना लम्बा समय लगता है और खुलासा नहीं होता है।

मान्यवर, ठीक इसके कुछ महीनों बाद एक वृद्ध दम्पत्ति का कत्ल होता है, जिसका नाम रतन लाल और उनकी धर्मपत्नी का कत्ल होता है एक साथ और कत्ल के सम्बन्ध में भी पुलिस से बार–बार आग्रह करने के बाद भी, शहरवासियों ने पूरा शहर बन्द किया। मुझे घेरा गया विधायक होने के नाते, उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते यह स्वाभाविक था कि यह सब कुछ न होने पर मुझे घेरना और मुझ से आग्रह करना उनका नैतिक दायित्व बनता है। मेरा भी नैतिक दायित्व था, मैंने भी पुलिस से आग्रह किया, सरकार से आग्रह किया कि मान्यवर, यह रतन लाल दम्पत्ति का खून हो गया है। मैं अपना दुर्भाग्य कहूँ जिस शहर का मैं हूँ या मैं यह कहूँ कि पुलिस तो बहुत बड़े–बड़े आंकड़े पेश करके शायद यह दिखाना चाहती है कि अभी और कत्ल होने बाकी हैं। लेकिन स्थिति यह है कि आज तक रतन लाल दम्पत्ति के कत्ल का कोई खुलासा नहीं हुआ है। मैं क्या सोचकर कह दूं और मैं क्या आपके संज्ञान में लाऊं। मान्यवर, मेरी तो स्वयं में स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगने लगता है कि जिस शहर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और जिसका मैं जनसेवक हूँ मेरी चौकीदारी में कुछ कमी है। लेकिन उसका विश्वास फिर यह होता है कि सरकार पर विश्वास होता है और सरकार से ही आग्रह करते हैं क्योंकि शहरवासियों की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है।

मान्यवर, यही नहीं उसके बाद एक फोटोग्राफर जिसकी लाश लगभग सात दिन बाद प्राप्त हुई है, लेकिन लाश ही प्राप्त हुई कोई हत्यारा प्राप्त नहीं कर सके। उसका भी आज तक खुलासा नहीं हुआ है। उसके बाद एक नौजवान की लाश मिली और यह लाश भी बिनोग हिल के ऊपर प्राप्त हुई। लेकिन इसका हत्यारा भी नहीं मिल पाया। उसके बाद उसी का एक भाई जिसको कि पुलिस ने बाद में एक एक्सीडेंट दिखाकर अपनी इतिश्री कर दी कि वह कहीं स्कूटर से गिरा है और वह सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। मान्यवर, हमने तो इसमें भी आशंका व्यक्त की थी कि यह शायद एक्सीडेंट नहीं, बल्कि यह कत्ल है। उसका भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। मान्यवर, उसके बाद फिर एक नवदम्पत्ति मसूरी चम्बा रोड़ पर बाटा–घाट के पास पुलिस ने कहा कि ये लटके हुए मिले, लेकिन हमें यह आशंका है कि नवदम्पत्ति का भी कहीं न कहीं किसी ने या तो कत्ल किया है, उसकी स्थिति भी किसी के सामने नहीं आयी। मान्यवर, फिर एक किस्सा है। देहरादून मसूरी रोड पर किंक्रेग नामक जगह के समीप एक बच्ची और एक महिला की लाश पुलिस को मिली। पुलिस ने यह कह कर इतिश्री कर ली, अपना पल्ला झाड़ दिया, इस विवेचना के तहत कि शायद इसने आत्महत्या की है। माननीय अध्यक्ष जी, इनका तो खुलासा नहीं हुआ। इसके बाद एक कत्ल और हुआ। कीरत सिंह नाम के व्यक्ति का हुआ, वह चौकीदार था। कुछ समय बाद जब हमको उस मामले में भी दबाव बनाना पड़ा, पुलिस को यह बताना पड़ा कि यदि पुलिस इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तो फिर जनता उद्वेलित हो जाएगी और तब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तब जाकर दो महीने बाद उस कत्ल का जरूर एक हत्यारा पकड़ा गया। उसके लिए मैंने

पुलिस को बधाई भी दी। मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो 8 कत्ल हुए हैं, उन पर तो कोई पकड़ा नहीं गया लेकिन जिसमें पकड़ा गया, उसके लिए हमने पुलिस को बधाई भी दी। लेकिन उस बधाई के बाद इन परिस्थितियों में अवतार सिंह का कत्ल होना और अभी तक किसी हत्यारे का न पकड़ा जाना पुलिस की तत्परता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। कमोबेश दो साल में मसूरी जैसी जगह पर इतने कत्लों का होना और हत्यारों का न पकड़ा जाना, यह भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

मान्यवर, सीधे-सीधे पता लगता है कि पूरे प्रदेश की स्थिति क्या होगी। पूरे प्रदेश की स्थिति को यदि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देखा जाय तो मैं समझता हूँ कि कोई भी शहर और कोई भी विधान सभा क्षेत्र शायद अपने को सुरक्षित महसूस न कर रहा हो। हो सकता है कि कुछ जगहों पर पुलिस ने तत्परता दिखाई हो। लेकिन अधिकांश जगह पर यह लगने लगा है कि कहीं न कहीं इन केसेज में लम्बा समय लग रहा है। मान्यवर, कुछ समय बाद तो जिसके साथ यह हादसा होता है, उसका परिवार भी यह महसूस करता है कि शायद भगवान को यही मंजूर था और वह अपने को रो कर और बिलख कर जितना भी मायूस महसूस कर सकता है, वह कर लेता है और फिर उसके बाद भगवान पर छोड़ देता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गुनसोला जी, कृपया समाप्त करें।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपसे यही अर्ज करना है कि सरकार अवतार सिंह के हत्यारों को अविलम्ब पकड़े, जिससे जनता को राहत मिले, उसके परिवार को राहत मिले। गलत आदमी न पकड़ा जाय, यह तो हम भी कहते हैं। लेकिन अपराधी छूट न जाय, इसकी भी हम अपेक्षा करते हैं। गलत आदमी को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। हम नहीं कहेंगे कि किसी गलत आदमी को पकड़ा जाय। यदि वह सही आदमी है और उस कत्ल में शामिल है, तो वह नहीं छूटना चाहिए। यह आपके माध्यम से हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। मान्यवर, बहुत व्यथित मन से कह रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं पकड़ा जाता तो फिर आप चाहे हम पर कितने ही मुकदमे लगाएगें, आप रोड होल्ड-अप के लगा देंगे, बन्द करने के लगा देंगे, क्षेत्र में अव्यवस्था फैलाने का लगा देंगे, तमाम मुकदमे आप लगाएंगे, तो शायद हम उन मुकदमों पर भी इसी हाऊस में आकर कहेंगे कि यह मुकदमे सही हैं क्योंकि हमने यह सब किया है। इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार अपनी पुलिस व्यवस्था को बहुत चुस्त-दुरूस्त करे और इनके हत्यारों को पकड़ा जाय। यह हम आपसे अपेक्षा करते हैं, यही नहीं 8 कत्ल जो पूर्व में हुए हैं, उनका भी खुलासा नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि उनका खुलासा भी अविलम्ब किया जाय।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, मसूरी, श्री जोत सिंह गुनसोला जी ने अपनी नियम-58 के तहत सूचना के माध्यम से मसूरी में हुई घटना की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित कराया। यह घटना दिनांक 12 फरवरी, 2009 को श्री संजय हजेला पुत्र श्री डी0सी0 हजेला, निवासी होटल गुलमर्ग, लाइब्रेरी, स्प्रिंग रोड, मसूरी द्वारा थाना मसूरी में दर्ज करायी गयी। जिसमें कहा गया और जैसा कि माननीय सदस्य ने भी

कहा कि होटल के गाइड श्री अवतार सिंह की होटल से गिरकर मृत्यु हो गई। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण हैड इंजरी पाया गया था। जांच के दौरान मृतक की पुत्री श्रीमती सुनीता द्वारा थाना मसूरी में दिनांक 19 फरवरी, 2009 को शिकायत अंकित कराई गई कि उनके पिता के साथ दिनांक 10 फरवरी, 2009 की रात्रि को यह दुर्घटना हुई। जिसकी सूचना उन्हें होटल के मैनेजर द्वारा फोन पर दी गई और उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके पिता की हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना को अपराध संख्या–69, धारा–302 के तहत थाना मसूरी में पंजीकृत कर विवेचना एस0एस0आई0, मसूरी के सुपुर्द कर दी गई।

श्रीमन्, इस घटना के सम्बन्ध में अभी अनावरण के प्रयास किये जा रहे हैं और संदिग्ध अभियुक्तों की तलाश में जांच टीम दिल्ली और गाजियाबाद गई है और उम्मीद है कि शीघ्र ही इस घटना का भी अनावरण हो जायेगा। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कतिपय अन्य घटनाओं की ओर भी आपने सदन का ध्यान आकर्षित कराया है। वर्ष 2008 में थाना मसूरी के अन्तर्गत कॉन्स्टेबल गजेन्द्र सिंह से सम्बन्धित घटना का भी उल्लेख किया था, उसका सफल अनावरण कर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। इसके साथ–साथ जिस दूसरी घटना का उल्लेख आपने किया उसमें 97–8, धारा–302 के तहत सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण किया गया और अभियुक्त जेल भेजे जा चुके हैं, प्रकरण विवेचनाधीन है। तीसरी घटना, मुकदमा संख्या– 30–8 यह भी धारा–302 के तहत है, इसका भी सफल अनावरण करके अभियुक्त गिरफ्तार कर आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

श्रीमन्, इस प्रकार से लगातार प्रयास, उस क्षेत्र की, जो कि एक पर्यटक स्थल है, उसकी शांति व्यवस्था से सम्बन्धित हो रहा है। एक और घटना का उल्लेख आपने किया था, उसके सम्बन्ध में भी अवगत करा दूँ कि 28 मई, 2008 को राम रतन शाह पुत्र नैनीपत शाह, निवासी नई बस्ती, देहरादून द्वारा भी यह मुकदमा लिखवाया गया था। इसमें भी अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। और भी जो घटनायें हैं, उनकी विवेचना की जा रही है और हमारा प्रयास है कि शीघ्र से शीघ्र उसमें जो दोषी हैं, वह जेल के सीखचों के पीछे जायं और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, इस माननीय सदन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी वर्तमान कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त–दुरुस्त है, जो घटनायें घटित होती हैं, उन घटनाओं की तत्काल विवेचना हो, पुलिस पूरी तरह से सतर्क होकर हमारे पर्यटकों की, स्थानीय निवासियों की, उत्तराखण्ड वासियों की जान और माल की सुरक्षा के लिये तत्पर रहे, श्रीमन्, इसके लिये अनवरत प्रयास हो रहा है। फिर भी कहीं पर इस तरह की घटनायें होती हैं तो तत्काल उसकी विवेचना कर दोषियों को दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मेरा सिर्फ यही आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी, कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उल्लेख किया कि कुछ घटनाओं की विवेचना हो गयी है। मैंने मुख्य रूप से जिन घटनाओं का जिक्र किया, उनमें से अभी तक एक का भी खुलासा नहीं हुआ है और साथ में अगर मैं यह कहूँ कि स्टीम आल्टर, जो एक दम्पति थे, वे एक बहुत बड़ा लेखक था।

उसके भी साथ प्राणघातक हमला हुआ है। उसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो हम इस तत्परता को क्या समझें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले काफी समय से प्रदेश के अन्दर जो बी0एड0 और बी0पी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, वे अपने रोजगार के लिए, विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण दिलाने के लिए पूरे देश में आन्दोलनरत हैं और जगह–जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और कल देहरादून के अन्दर भी उनका प्रदर्शन था और कई प्रदर्शनकारी प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवान कल जेल में बंद हो गये हैं।

मान्यवर, पिछले सदन में भी सरकार के द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि विशिष्ट बी0टी0सी0 की जो चयन प्रक्रिया है, वो रोकी नहीं गयी है, वो निरन्तर जारी रखी जायेगी, लेकिन सदन में आश्वासन के बावजूद भी सरकार के द्वारा इन प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवानों की समस्या के प्रति उदासीनता दिखाते हुए और जहां एक ओर पूरे प्रदेश के अंदर हजारों शिक्षकों के पद रिक्त हैं चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हैं, चाहे इंटर कॉलेज और राजकीय हाई स्कूल हैं, उसमें हजारो पद रिक्त हैं। एक ओर तो जहां प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, इस प्रदेश के नौजवानों का भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बिना शिक्षा के चौपट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो प्रशिक्षित बी0एड0 और बी0पी0एड0 के हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, इनके भी सामने रोजी रोटी की, इनके परिवारों के सामने रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

शिक्षा निदेशालय के आंकड़ो के अनुसार प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में 1702 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं और प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनकी संख्या 12666 है जिसमें 28175 शिक्षक कार्यरत हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें भी हजारों शिक्षकों के पद रिक्त होंगे और जो सूचना इनके द्वारा दी गयी है, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयी शिक्षा निदेशक के द्वारा, उसके अनुसार 1236 प्रधानाध्यापकों के पद प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त हैं।

इसी प्रकार मान्यवर, राजकीय इंटर कॉलेज में 9364 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 6271 प्रवक्ता कार्यरत हैं, जिसमें 3093 पद रिक्त हैं और राजकीय हाई स्कूलों में 17214 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 14298 शिक्षक कार्यरत हैं और यहां पर भी 2916 पद रिक्त हैं, जो स्वयं सूचना निदेशालय की सूचना के अनुसार हैं। मान्यवर, दूसरी ओर जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं वह उपलब्ध हैं। तो इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ और जिस प्रकार सम्मानित सदन में सरकार के द्वारा गत सत्र में आश्वासन दिया गया था, मैं अपेक्षा करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि सरकार को कड़े निर्देश दिये जायें जिससे कि वह अपने आश्वासन को अमली जामा जल्द से जल्द पहनाये ताकि जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार का रास्ता प्रशस्त हो और इस प्रदेश के विद्यालय, जो शिक्षक विहीन हैं, उनको शिक्षक उपलब्ध हो सकें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 में मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, अभी माननीय विधायक केदार सिंह जी ने बी0टी0सी0 और एल0टी0 के पदों की विज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में जो बात कही मैं इन तमाम बातों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, एक ओर सरकार इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने की बात कहती है और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात सरकार ने कही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो मामला सदन में हम उठा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय है और लोक महत्व का है। बी0पी0एड0 और बी0एड0 के जो नौजवान साथी प्रशिक्षण प्राप्त हैं वह अपनी नियुक्तियों को लेकर के आन्दोलनरत हैं। प्रत्येक जनपद में इन नौजवान साथियों ने रोजगार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन किया और कल 25 फरवरी, 2009 को राजधानी में अपनी माँगों को लेकर के ये लोग शान्तिपूर्ण तरीके से आन्दोलन कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के तहत हमारे इन आन्दोलनरत साथियों को जेल में भेजने का काम किया वह निश्चित रूप से निन्दनीय विषय है।

मान्यवर, आज प्रदेश में चाहे प्राथमिक विद्यालय का मैं जिक्र करूँ, चाहे मैं माध्यमिक विद्यालय का जिक्र करूँ, अभी हमारे सम्मानित साथी श्री केदार सिंह रावत जी ने कहा कि हजारों पद रिक्त हैं और सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि बी0टी0सी0 और एल0टी0 की विज्ञप्ति जारी करने का काम हम करेंगे। जैसा कि श्री केदार सिंह रावत जी ने कहा कि पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराने का काम किया और कहा कि इसकी विज्ञप्ति जल्दी जारी कर दी जायेगी। मंत्रि–मण्डलीय उप–समिति ने इस बात को स्वीकार किया कि इन बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी, इसकी विज्ञप्ति जारी करने का काम सरकार करेगी, लेकिन आज की तिथि तक इस दिशा में सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पायी। श्रीमन्, इससे अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न और कोई हो नहीं सकता। जहाँ एक ओर सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहती है वहीं दूसरी ओर जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनको रोजगार देने का काम सरकार नहीं कर रही है। आज पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों की स्थिति को देखते हुये मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बी0टी0सी0 और एल0टी0 की विज्ञप्ति सरकार जारी करने का काम करेगी, मान्यवर, ऐसा मुझे विश्वास है।

श्रीमन् चूँकि माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी अपने जवाब में बहुत सारी बातें कहेंगे। मैं जानता हूँ कि आपने पूर्व में भी सहृदयता का परिचय देते हुए शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध में काफी कार्य किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) मैं आशा करता हूँ कि इसी सहृदयता का परिचय देते हुए आप आज सदन में बी0टी0सी0 और एल0टी0 के जो हमारे नौजवान हैं उन्हें रोजगार दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करूँगा कि यह बहुत ही लोकमहत्व का विषय है और अविलम्बनीय भी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोक कर इस विषय पर चर्चा कराई जाए ताकि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय केदार सिंह रावत, माननीय प्रीतम सिंह जी के द्वारा जो प्रशिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में नियम–58 के तहत ग्राह्यता पर अपनी बात को रखा गया है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा संकट, हमारे नौजवानों के सामने रोजगार पाने की लालसा, ऐसी विकट स्थिति बन गई है कि पूरे प्रदेश का नौजवान, विशेषकर प्रशिक्षित नौजवान, जिसने बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण की है, एम0ए0, बी0ए0, बी0एड0 और एल0टी0 जैसी महत्वपूर्ण शिक्षा जिसने ग्रहण की है और इस उम्मीद के साथ कि यह शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में, हाईस्कूल और इण्टर कॉलेजों में उसको शिक्षक की नौकरी मिलेगी, उसको सेवा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से सरकार ने आश्वासन देने के बाद भी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि पिछले सदन में यही मुद्दा इस सदन के सम्मुख उठा था तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था, जिसे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, कि विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया सरकार के द्वारा बंद नहीं की गई है और अतिशीघ्र बी0टी0सी0 की विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी चिन्ता का विषय है, खेद का विषय है कि पुनः हमको इस विषय को इस सदन के सम्मुख रखना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कोई विज्ञप्ति विशिष्ट बी0टी0सी0 की जारी नहीं की गई एल0टी0 की नियुक्ति के लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। जब हमारी सरकार से बातचीत होती है तो माननीय मंत्री जी के द्वारा यह कहा जाता है कि मैंने विभाग को, निदेशालय को विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कल मेरी शिक्षा निदेशक से बातचीत हुई तो शिक्षा निदेशक ने जो स्थिति से अवगत कराया उससे निश्चित रूप से नौजवानों के, क्योंकि जब मैं शिक्षा निदेशक से बात कर रहा था तो उस समय मेरे साथ लगभग 40 से 50 प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवान लोग उस समय उपस्थित थे। शिक्षा निदेशक ने कहा, जो मुझको शासन से निर्देश मिले हैं उसमें सौ प्रतिशत से सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती पूर्व कांग्रेस की सरकार में विज्ञप्ति निकली थी और उस समय पर कुछ समय पहले नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हुई है और वह नियुक्ति हो चुकी है। तीस प्रतिशत में से 25 प्रतिशत जूनियर हाईस्कूलों से हाईस्कूलों में प्रोन्नति होनी है। और पाँच प्रतिशत जो प्राथमिक विद्यालय में पाँच साल की सेवा हो गयी है, सीधे भर्ती के माध्यम से उनकी नियुक्ति होनी है और उनकी विज्ञप्ति हम बहुत जल्दी निकालने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रशिक्षित बेरोजगारों के सामने एक तरफ सरकार कहती है कि बहुत जल्दी हम विज्ञप्ति निकाल रहे हैं। वह कौन सी विज्ञप्ति निकाल रहे हैं ? एक तरफ सरकार कह रही है पांच साल जिनकी सेवा किये हो गये हैं उन शिक्षकों की सीधी भर्ती कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अल्मोड़ा दौरे पर कृषि मंत्री गये थे, जब प्रशिक्षित बेरोजगारों का प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिलना चाह रहा था तो उन पर लाठियां चलायी गयीं और जब पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी गये, जब प्रशिक्षित बेरोजगारों का प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिलना चाह रहा था तो उन पर लाठियां चलायी गयीं। जब पौड़ी में प्रशिक्षित बेरोजगार के प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिलने गये तो उन पर भी लाठी चलाई गयीं। कल का उल्लेख माननीय प्रीतम सिंह जी ने और माननीय केदार सिंह रावत जी ने किया है।

हम कल गांधी पार्क में सदन समाप्ति के बाद, जब पुलिस लाइन में कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था और जो शेष नौजवान गिरफ्तार नहीं हो पाये

थे उन्होंने कल गांधी पार्क में धरना दिया था। जब मैं और माननीय प्रीतम सिंह जी और केदार सिंह रावत जी उन प्रशिक्षित बेरोजगारों से रात में मिलने गये। आज इनके सामने बहुत विकट समस्या है माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी इस सदन में एक कहावत कही थी कि बच्चा रोता है तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है। मैं हमेशा इससे हटकर बात करता रहा हूँ। माँ ने सुबह बच्चे को दूध पिलाया है और जो माँ बच्चे के रोने का इंतजार करे कि बच्चा रोयेगा तो मैं उसे दूध पिलाऊंगी और ये भी हो सकता है कि बच्चा बेहोश हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गयी हो। जो माँ बच्चे के रोने का इंतजार करती है मैं उस माँ को जिम्मेदार माँ नहीं कहता हूँ। अगर बच्चे को माँ ने सुबह आठ बजे दूध पिलाया हो पुनः जो अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए दिन के दो बजे बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है मैं उस माँ को जिम्मेदार माँ कहता हूँ। जो सरकार और जो प्रशासन आन्दोलन करने, संघर्ष करने, धरने करने पर और जेल जाने पर जनता के नौजवानों की आवाज सुनती है, मैं उस सरकार को जिम्मेदार सरकार नहीं कहता हूँ। यदि बिना जेल जाये बिना आन्दोलन किये और बिना संघर्ष किये जो सरकार जनहित में प्रदेश के नौजवानों की समस्या को सुनती है, मैं उस सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार कहता हूँ। लेकिन इस जिम्मेदारी से जो इनकी जिम्मेदारी थी नौजवानों के प्रति इस सरकार ने उस जिम्मेदारी से मुँह मोड़ा है, उस जिम्मेदारी से सरकार ने आँखे फेरी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार ने मुँह या आंखे नहीं फेरी होती तो हमें आपसे इस बात के लिए निवेदन करने की आवश्यकता नहीं थी।

इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि कल श्री प्रीतम सिंह जी ने भी कहा था और माननीय फोनिया जी ने भी कहा था और मैंने भी कल कहा था कि हम विरोध करने के लिए खड़े नहीं हुए है। यह ठीक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में आप बहुमत में आ गये और आप सत्तापक्ष के हो गये। हम कुछ बहुमत संख्या में कम हो गये और विपक्ष के रूप में बैठ गये। लेकिन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है प्रदेश के प्रति, हम विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। जब मैंने प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार जिम्मेदारी संभाली थी। मैंने कहा था कि सरकार अच्छा काम करेगी तो हम सरकार को रचनात्मक सहयोग देंगे। लेकिन जहाँ सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेगी वहाँ हम उसका विरोध करेंगे।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब आज वो खड़े हों, क्योंकि उनके मन में लोक सभा चुनाव के लिए ज्यादा परेशानी है। उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, जब से लोक सभा का टिकट मिला उनका चेहरा कुछ काला पड़ गया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उतावलेपन में नहीं, जल्दबाजी न करें माननीय शिक्षा मंत्री जी, हजारों नौजवानों के भविष्य का सवाल है। जब आप खड़े हों बोलने के लिए, मैंने कल भी कहा था नर्सरी टीचर्स के मामले में और आज पुनः नम्र निवेदन माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से करना चाहता हूँ कि जब आप खड़े हों बोलने के लिए तो इस गंभीरता को लेते हुए कि आपका एक-एक शब्द उत्तराखण्ड के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को तय करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो शब्द निकालें यह सोचकर न निकालें कि केवल शब्द हैं बल्कि यह सोचकर निकालें कि यह उत्तराखण्ड के नौजवानों का भविष्य है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सीमित करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

अगर आपने सार्थक घोषणा की तो निश्चित रूप से हम भी, सत्ता पक्ष के साथ–साथ और मैं अपने साथियों से भी आग्रह करूँगा कि मेज थपथपाकर आपके निर्णय का स्वागत हम करेंगे लेकिन अगर आपने कोई सार्थक घोषणा सदन के अंदर नहीं की तो हम वाकआउट नहीं करेंगे हम आपके कान खायेंगे यहाँ खड़े होकर। (हँसी)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय केदार सिंह रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह, माननीय नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने नियम–58 के रूप में सदन में प्रशिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि हम लोग सदन के अंदर इस प्रकार की चर्चा करें, जो सार्थक हो, इस प्रकार की चर्चा करें, जो प्रदेश के नौजवानों से जुड़ी हुई हो, इस प्रकार की चर्चा करें जो प्रदेश के विकास से सम्बन्धित हो, तो कम से कम उस सारे विषय की जब सदन में चर्चा हो तो उस रूप में सच बोलना चहिए। क्योंकि मान्यवर, यदि सत्ता पक्ष के लोग माननीय मंत्रीगण जरा सा झूठ बोलते हैं तो विशेषाधिकार हनन होता है। तो क्या इन पर नहीं लग सकता है विशेषाधिकार हनन माननीय अध्यक्ष जी ? माननीय अध्यक्ष जी, अभी हजारों पद, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय प्रीतम सिंह जी ने कहा, वे हजारों पद खाली थे मान्यवर। (व्यवधान)

मान्यवर, मैंने तीनों लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से सुना है। मैं एक–एक का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो माननीय अध्यक्ष जी, वो हजारों पद पूर्ववर्ती सरकार में खाली थे। दो साल में जब से सरकार आयी सबसे पहला काम हमने किया कि 10 हजार अध्यापकों को भरने का काम किया। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के समय विज्ञप्ति निकली थी। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि अच्छी बात होगी तो हम स्वागत करेंगे, तो पहली बात पर ही स्वागत नहीं किया तो कैसे काम चलेगा ? (हँसी)

मान्यवर, मैं एक–एक चीज बताना चाहूँगा, जब सुनेंगे नहीं तो मैं बताऊँगा कैसे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री केदार सिंह, श्री प्रीतम सिंह जी शान्तिपूर्ण ढंग से सुन लें। मान्यवर, यह सरकार संवदेनशील है नौजवानों के लिए, सरकार संवेदनशील है इस प्रदेश के विकास के लिए और माननीय श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी की जब से सरकार आई है तब से विकास की गंगा प्रदेश में चारों तरफ फैल रही है, जहाँ देखेंगे वहीं विकास है। मान्यवर, हम विकास करते हैं तो ये परेशान हो रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं प्राथमिक विद्यालयों की बात करना चाहता हूँ। मेरे मित्रों ने पूरी सूचना को सूचना के अधिकार में मंगाया और पटल पर भी उन्होंने रखा। मान्यवर, वर्तमान समय में 20676 पद सृजित हैं प्राथमिक विद्यालय में, 15675 अध्यापक वर्तमान में कार्यरत् हैं, 5001 पद वर्तमान में खाली हैं, लेकिन 5520 विशिष्ट बी0टी0सी0 की वर्तमान में प्रक्रिया जारी है, उन 5001 के विपरीत इस प्रकार 519 पद जो भरे जायेंगे वह एक्सिस है, हमारे पास हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक उप–समिति बनाई गई। माननीय

संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और हम स्वयं हैं, यह उप समिति बनी मंत्रिपरिषद की। हम लोगों ने नौजवानों की आवश्यकताओं के अनुरूप, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो इसके अनुरूप 2009 से 2012 तक कितने पद और खाली हो सकते हैं उसकी गणना कराई और उसी गणना के अनुसार 2012 तक कितने अध्यापक हमारे यहाँ सेवानिवृत्त होंगे वह संख्या 2500 है, उन ढाई हजार में 1625 नियमित बी0टी0सी0 का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है, क्योंकि अभी तक 8 साल में नियमित बी0टी0सी0 लागू नहीं हो पाई थी।

इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया कि नियमित बी0टी0सी0 लागू करेंगे और इस वर्ष करने का निर्णय लिया है। 3000 शिक्षा मित्रों का जो निर्णय लिया है तो 3000 उसमें लेंगे, इससे अलग दोनों चीज करने के बाद हमारे पास जितने रिक्त पद हैं, वह भरने के बाद भी कुछ अध्यापक एक्सिस में होंगे। उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर 500 या 1000 के बीच में, एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है लेकिन लगभग 500 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहाँ छात्र संख्या 1 से लेकर 10 तक है, मतलब 10 से कम, उन विद्यालयों में लगभग 2-2 अध्यापक हैं, वे कैसे एडजेस्ट करें। इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल में 583 विद्यालय ऐसे हैं जिनका उच्चीकरण किया गया है और उन विद्यालयों में 3 अध्यापक काम कर रहे हैं। 1749 अध्यापक वहाँ से अन्य जूनियर हाईस्कूल में भेजे जाने हैं, 2012 तक 2500 के सापेक्ष स्कूल में 7500 अध्यापक इस समय वर्तमान में हैं जिनका समायोजन किया जाना है। 7500 अध्यापक इस समय एक्सिस में हैं 2500 के विपरीत उनका समायोजन करना है, कुछ प्रोमोशन होंगे कुछ विद्यालय खोले जायेंगे, तब यह 7500 अध्यापक उस रूप में समायोजित किये जायेंगे। इसके विपरीत एल0टी0 में 2916 पद रिक्त हैं, लेकिन जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कल डाइरेक्टर से बात की, 30 प्रतिशत प्रमोशन से होने हैं, वह 30 प्रतिशत की संख्या 1859, 2916 में से 30 प्रतिशत, 5 प्रतिशत इग्जाम होना है कुल 30 जायेंगे, 1067 पद बचेंगे और 317 पद ऐसे हैं जिनके लिए मैंने कहा कि 5 प्रतिशत 317 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाल रहे हैं।

मान्यवर, लेकिन उत्तराखण्ड की जो सेवा नियमावली बनायी गयी है। प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अन्तर्गत, उसमें यह नियम है कि जिस-जिस वर्ष में हम भर्ती करते हैं डायरेक्ट और प्रमोशन से, जब डायरेक्ट हो जायेगी तो पहले प्रमोशन करने पड़ेंगे तब जाकर विज्ञप्ति निकालने का प्राविधान है। हमने डायरेक्ट भर्ती की है चार हजार से ज्यादा अध्यापकों की और अब प्रमोशन की नियुक्ति की प्रक्रिया हमारी जारी है। अब इसे निकाला जायेगा। मान्यवर, अब कुल मिलाकर एल0टी0 और प्राथमिक विद्यालयों में 2012 तक यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो केवल यदि प्रमोशन को छोड दें, रिटायरमेंट तक जितने होंगे उन सभी को जोड़ने के बाद तो यह संख्या बहुत कम बैठती है। यह हजारों में नहीं, बल्कि सैकड़ों में बैठती हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह-

मान्यवर, यह कैलकुलेशन कितनी बैठती है ? एल0टी0 में 2012 तक यह संख्या कितनी बैठती है? अभी तक तो केवल प्रक्रिया चल रही है और विज्ञप्ति नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, जो प्रक्रिया चल रही है, इन्हीं रिक्त पदों पर ही तो टीचर जायेंगे, जो पद सृजित हैं, उन्हीं पर तो जायेंगे। हमारी सरकार संवेदनशील है। 2012 तक जितने

प्रमोशन होंगे और प्रमोशन होने के बाद जो रिक्त सीटें बचेंगी उनकी संख्या तत्काल निकाली जायेगी। हम यह मानकर चल रहे हैं कि 2012 तक कितने हम नये विद्यालय खोलने की स्थिति में होंगे, इस संख्या को भी कैलकुलेशन किया जायेगा और कैलकुलेशन करने के बाद जो संख्या बैठेगी। मान्यवर, 18 तारीख को मंत्रिपरिषद की उप समिति की बैठक हुई थी, उसमें तत्काल यह निर्देश जारी कर दिये गये थे कि जल्दी से जल्दी नियमित बी0टी0सी0, विशिष्ट बी0टी0सी0 और एल0टी0 इन पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी जाय। यह 18 तारीख को निर्णय लेकर कह दिया था। नियमित बी0टी0सी0 1625 पद, विशिष्ट बी0टी0सी0 2012 तक की कैलकुलेशन करते हुए 1625 जो शेष रिक्त पद बचेंगे उनको लेते हुए, एल0टी0 में वर्तमान में 2916 जो पद बताये हैं इनमें से प्रमोशन को घटाते हुए 2012 तक कितने प्रमोशन किये जायेंगे, कितने सेवानिवृत्त होंगे, उस सारी की कैलकुलेशन करने के बाद जो शेष बचेंगे इसके लिए 18 तारीख में निर्देश दे दिया गया कि इन पर तत्काल विज्ञप्ति जारी कर दी जाय, यह आदेश हो गया है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अभी यह आदेश नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह आदेश दे दिया गया है, यह मैं सदन के अंदर कह रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यदि आपने आज आदेश किया है तो यह अलग बात है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 18 तारीख को हमारी उप–समिति की बैठक हुई थी, जिसमें माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और मैं स्वयं उस समिति में थे। समिति ने तत्काल आदेश जारी किये कि 1625 विशिष्ट बी0टी0सी0 की संख्या जिस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन करके बतायी है कि 1625 माईनस करके जो शेष पद रिक्त बचेंगे, उन पर विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया तत्काल लागू की जाय। (व्यवधान) मान्यवर, 18 तारीख को जो हमारी बैठक हुई थी, उसमें सारी चर्चा हुई है, तत्काल निर्देशित किया गया। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कल ही मेरी सचिव और निदेशक से बात हुई है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अब आप मंत्री जी की बात पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं तो यह कैसी विडम्बना है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा विश्वास इसलिए नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने पहले भी सदन में आश्वासन दिया था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सदन के अन्दर मैं वक्तव्य दे रहा हूँ और आप निदेशक की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने इसमें पहले भी वक्तव्य दिया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पहले भी वक्तव्य दिया था लेकिन हमें आज फिर से इसे सदन में उठाना पड़ा है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह सरकार संवेदनशील है नौजवानों को लेकर। पहले भी 10 हजार भर्ती की और जल्दी ही विशिष्ट बी0टी0सी0, नियमित बी0टी0सी0 और एल0टी0 की भर्ती प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार ने पहले भी वक्तव्य दिया था लेकिन सरकार ने अपने आश्वासन को अमलीजामा नहीं पहनाया। (व्यवधान)

*वन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, तब 10 हजार भर्तियाँ करी भी तो।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वह तो हमारी सरकार के समय हुआ था। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इनको कोई ऐसा मैनिया हो गया है, जो काम होता है, वह इनकी सरकार का होता है और जो काम नहीं होता, वह हमारी सरकार का होता है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बिल्कुल हमारी सरकार थी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मंत्री जी ने पहले भी आश्वासन दिया था, दुबारा हमें इसे सदन के सम्मुख लाना पड़ा। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक,2009

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी द्वारा नियम–58 के अन्तर्गत सूचना पर आपने विनिश्चय दिया था कि इस सूचना को आज ही देख लें, तो उसके क्रम में मैं यह सूचना माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में वांछित विशेषज्ञ के अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी के समय योग्य पाये जाने पर बुलावा पत्र भेजे गये हैं, शेष को नहीं। यह

साक्षात्कार जो 27 और 28 फरवरी, 2009 को प्रस्तावित था, को स्थगित कर दिया गया है। आगामी चयन प्रक्रिया में सभी आवेदन पत्रों पर सक्षम समिति के परामर्श के बाद विचार किया जायेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-14 पुकारे जाने पर 'वेल' में खड़े माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये।)

श्री हरभजन सिंह चीमा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष को अपना दायां हाथ दूर रखना होगा, क्योंकि जब से हमारी बहन यहां बैठी हैं, वे सुखती जा रही हैं और 3 फीट पीछे उन्हें बैठना पड़ रहा है। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि यहां पर ऐसे आदमी को बिठाइये, जो मेरी आवाज को सहन कर सके। हमारे दल के किसी व्यक्ति को बिठा देते तो वे मेरी आवाज के हैबीच्युअल हैं। वैसे जब से आपकी बहन जी यहां पर बैठी हैं, मैंने अपना दायां हाथ चलाना बंद कर दिया है। (हँसी)

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन रखने के लिये आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और संशोधन के प्रस्ताव को इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ।

मान्यवर, प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :

1. कुम्भ मेले की तैयारियों का कोई उल्लेख नहीं है,
2. सूखे के प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने के उपायों का उल्लेख नहीं है,
3. योग विषय को स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाकर योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है,
4. वृद्ध/विधवा/विकलांगों की पेंशन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है,
5. प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है,
6. 'चारधाम यात्रा' के लिए क्या योजनाएं हैं, का उल्लेख नहीं है,
7. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है,
8. पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार की अपार संभावनायें हैं, का अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है,
9. स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की नियुक्ति करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है,
10. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अभी भी रू0 3200-4900 का वेतनमान दिया जा रहा है अन्य राज्यों में यह रू0 4500-7000 है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वेतनमान वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है,

11. एन0टी0टी0 प्रशिक्षित युवतियां पिछले 15 माह से लगातार धरना–प्रदर्शन कर रही हैं, किन्तु प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है,
12. जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना में प्रदेश के नगरों को सम्मिलित किये जाने का जिक्र नहीं है,
13. 'सैफ गेम्स' की तैयारियों के सम्बन्ध में तैयारियों का उल्लेख नहीं है,
14. परिवहन निगम की दशा दयनीय बनी हुई है, नई बसों की खरीद का कोई उल्लेख नहीं है।
15. नये शहरों में आई0एस0बी0टी0 निर्माण एवं यात्री सुविधाओं का उल्लेख नहीं है,
16. नये विद्यालयों का सृजन एवं उच्चीकरण का उल्लेख नहीं है,
17. जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का उल्लेख नहीं है,
18. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है,
19. अल्पसंख्यकों के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है,
20. मदरसों के आधुनिकीकरण का उल्लेख नहीं है,
21. नये 'आश्रम पद्धति' विद्यालय तथा छात्रावासों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है,
22. 'कर्मचारी समन्वय परिषद' के गठन का उल्लेख नहीं है,
23. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग एवं संविदा प्रवक्ताओं के समायोजन/तदर्थ नियुक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है,
24. प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष–2008 तक विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस पर क्या प्रगति हुई, इसका उल्लेख नहीं है,
25. राज्य में दैनिक तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियमितीकरण का उल्लेख नहीं है,
26. विद्युत विभाग में होने वाले कार्यों के ठेके प्रदेश से बाहर के बड़े ठेकेदारों को दिये जा रहे हैं, स्थानीय बेरोजगारों को सम्मिलित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है,
27. प्रदेश के किसानों एवं गरीब जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने का उल्लेख नहीं है,
28. राज्य के सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों को छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ केन्द्रीय सार्वजनिक निगमों की भाँति करने का उल्लेख नहीं है,
29. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति का कोई उल्लेख नहीं है,
30. राज्य के शिक्षा आचार्यों/अनुदेशकों/स्वयं सेवकों को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किये जाने का उल्लेख नहीं है,
31. राज्य में कार्यरत आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों (संविदा) के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है,
32. मदरसों और संस्कृत महाविद्यालय को अनुदान दिये जाने का उल्लेख नहीं है,
33. पुलिस सुधार में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उप निरीक्षक तथा उससे निम्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है,
34. शिक्षा विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की समय सीमा का उल्लेख नहीं है,
35. शिक्षा विभाग में लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है,

36. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है,

37. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए किसी योजना का जिक्र नहीं है, तथा

38. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है।"

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा उपस्थित संशोधन के साथ–साथ अन्य माननीय सदस्यों से प्राप्त संशोधन भी उपस्थित किये हुए माने जाएंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने महामहिम राज्यपाल जी के इस अभिभाषण का गम्भीरता के साथ और अक्षरशः वाचन किया है। (माननीय वन व परिवहन मंत्री से) आप रावण का पाठ खेलते हैं।

वन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, मैं रावण का नहीं दशरथ का पाठ खेलता हूँ। (हंसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने सोचा कि माननीय बंशीधर भगत जी इतने विद्वान हैं, इतने विद्वान या तो रावण जी थे या बंशीधर जी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और इस पूरे भाषण को महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी एक संवैधानिक पद पर हैं, मैं बहुत सम्मान महामहिम राज्यपाल जी का करता हूँ, लेकिन क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा ये जो अभिभाषण का इस सदन के सम्मुख वाचन किया गया, वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का वाचन होता है और इसलिए इस भाषण को पढ़ने के बाद मैं बड़ी गम्भीरता के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और क्योंकि मैं एक जन प्रतिनिधि भी हूँ, पूरे प्रदेश का दौरा करने का मुझे अवसर मिलता है। चाहे धारचूला हो, चाहे हरिद्वार का मंगलौर क्षेत्र हो, चाहे ऊधम सिंह नगर का किच्छा हो, चाहे चमोली जिले का जोशीमठ हो, वहां के किसानों से, वहां की महिलाओं से, वहां के नौजवानों से, वहां के कर्मचारियों से मुझे बातचीत करने का अवसर मिलता है। पर बातचीत ही करने का अवसर नहीं, धरातल पर चाहे कृषि हो, बागवानी हो, लघु सिंचाई की नहरें हों, आपदा प्रबन्धन का काम हो, पर्यटन का काम हो, वन विभाग से जुड़ा काम हो, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हाईस्कूल, इंटर कॉलेजों, प्राथमिक विद्यालयों, इनकी दशा और दिशा दोनों को देखने का अवसर मिलता है और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, पूरे प्रदेश की शिक्षा, वन तमाम विभागों की स्थिति धरातल पर देखते हुए, मौके पर देखते हुए मैं कह सकता हूँ। मैं कल माननीय फोनिया जी को सुन रहा था और मैंने कल कहा भी, भले ही बात मैंने हास्य में कही हो। लेकिन हास्य में कही गयी बात भी निश्चित रूप से गम्भीर बात थी।

मान्यवर, जिस तरह से महामहिम राज्यपाल जी की मजबूरी है, वह एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हैं, उसी तरह माननीय फोनिया जी भी सत्ता बेंच पर बैठे हैं इसलिए उनकी भी मजबूरी है कि गले के नीचे हृदय से, मन मस्तिष्क से भले ही वह भी सच्चाई जानते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि वह सत्ता पक्ष में बैठे हैं, लोकतंत्र

की एक मर्यादा है, न चाहते हुए भी गुणगान करना पड़ता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय फोनिया जी को, जैसे मैंने हमेशा कण्डारी जी को बड़े भाई राम का दर्जा दिया है उसी तरह माननीय फोनिया जी को मैंने हमेशा सम्मान दिया है। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और ताऊ जी के रूप में हमेशा उनको सम्बोधित करता रहा हूँ। लेकिन माननीय ताऊ जी, आप इन कौरवों के साथ बैठकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन की भूमिका क्यों निभा रहे हैं ? युधिष्ठिर को मालूम था, गुरू द्रोणाचार्य को मालूम था, धृतराष्ट्र को मालूम था कि कौरव, मेरे बच्चे सब कुछ अनर्थ कर रहे हैं, गंधारी को मालूम था। तो ताऊ जी, आपको भी मालूम है। मेरी इस बात को बल इसलिए मिलता है कि दिल्ली जाने वाले 28 विधायकों में मेरे ताऊ जी भी थे, इसलिए मेरी इस बात को बल मिलता है कि मेरे ताऊ जी को भी मालूम है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है धरातल पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 20 पेज का यह अभिभाषण, क्या कहूँ सत्य के परे कहूँ तो असंसदीय हो जायेगा, इसलिए सत्य के परे ही कह रहा हूँ, यह एक छलावा और धोखा है, प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला यह दस्तावेज है।

माननीय फोनिया जी कल कह रहे थे कि प्रतिपक्ष के लोग, आपने सहयोगी कहा, हम आपके आभारी हैं, कम से कम ताऊ जी का इतना बड़ा दिल तो है कि हमको सहयोगी कह रहे हैं। हमारे सत्ता में बैठे लोग विशेषकर वन मंत्री जी तो हमको सहयोगी भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो कल टैलीविजन पर बयान दिया माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार की गम्भीरता, इस सरकार का काम करने का तरीका, कार्य करने की प्रणाली, अगर कल आपने वन मंत्री जी का बयान सुना होता तो आपको महसूस होता। उनका यह बयान हरक सिंह रावत का अपमान नहीं था, प्रीतम सिंह जी का अपमान नहीं था, अमृता जी का और राणा जी का अपमान नहीं था बल्कि इस सदन का अपमान था। सदन में की गई कार्यवाही के बारे में, विधायकों द्वारा उठाये गये सवालों के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उनके बयान से परिलक्षित हो रहा था।

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, ताऊ जी ने हमको सहयोगी कहा इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस भाषण को मैंने शुरू से आखिर तक पढ़ा, मैंने पहले भी कहा मैंने इसे अक्षरशः पढ़ा। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने कहा और जोर देकर हमारे फोनिया जी भी कह रहे थे और हमारे दूसरे साथी विधायक भी कह रहे थे 'सरकार जनता के द्वार'। यह द्वार कब से शुरू हुआ ? क्या लोकसभा चुनाव निकट देखकर ? सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से आवाज आ रही है पंचायत चुनाव से पहले। माननीय अध्यक्ष जी, जब-जब चुनाव आते हैं प्रदेश में तब-तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा "सरकार जनता के द्वार" शुरू कर दिया जाता है। अब लोक सभा चुनाव से पूर्व पुनः "सरकार जनता के द्वार" शुरू कर दिया गया है। अभी सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टिप्पणी की गई कि हम इससे बौखला गये हैं। हम बौखला नहीं रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली जाने वाले 28 विधायकों में आज माननीय खण्डूड़ी जी यहाँ बैठे होते तो आज चैन की नींद सोते। उनके विरोध में जाने वाले साथी अब सदन में धीरे-धीरे, श्री कोश्यारी जी को यहाँ से दिल्ली भेजने के बाद, पहले ये लोग दिल्ली जाते थे और जब से इन्होंने कोश्यारी जी को दिल्ली भेज दिया है तब से इनके सुर भी बदल गये हैं। अच्छा है। बहुत अच्छा है।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात इन्होंने कही अनुशासित प्रदेश, भयमुक्त समाज, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। माननीय बंशीधर भगत जी बड़ी गम्भीरता के साथ मेरी बात को सुन रहे हैं।

श्री बंशीधर भगत–

गम्भीर आदमी की बात गम्भीरता से ही सुननी पड़ेगी। (हँसी) कितनी अच्छी बात कही 'सरकार जनता के द्वार'। अब इनको पीड़ा यह रह गई कि इनके मुख्यमंत्री जी चार जिलों में गये ही नहीं। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारे विपक्ष के लोग उनकी इतनी तारीफ करते थे और हमारा काम ये लोग करते थे, मदद करते थे सब लोग। इसलिए मित्र विपक्ष की बातें तमाम मीडिया में और बाहर जनता द्वारा कही जाती थी। माननीय अध्यक्ष जी, अभिभाषण में अनुशासित प्रदेश तथा भयमुक्त समाज की बात कही गई है। कुमाऊँ विश्वविद्यालय में तोड़–फोड़ होती है। कैसा भय मुक्त समाज, कैसा अनुशासित प्रदेश। 'ज्ञान, शील, एकता, विद्यार्थी परिषद की विशेषता,' 'छात्र शक्ति, राष्ट्रशक्ति।' माननीय अध्यक्ष जी, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति' और कैसी 'छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, कैसा ज्ञान, शील, एकता, विद्यार्थी परिषद की विशेषता'। कुमाऊँ विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ करोड़ों रूपये का नुकसान, गढ़वाल विश्वविद्यालय में तोड़–फोड़ करोड़ों रूपये का नुकसान। प्रैसीडेंट होटल में तोड़–फोड़, कोतवाली, कोतवाल ने जाँच किया कोतवाल का ट्रांसफर, ट्रैफिक सिपाही की वर्दी फाड़ दी गयी और ट्रैफिक सिपाही को निलम्बित। सब इंसपेक्टर बहुगुणा की आंख फोड़ दी गयी और अपाहिज कर दिया गया और मुकदमा विड्रा, पुलिस थानों से अपराधियों को छुड़ाने का काम किया और माननीय मंत्रियों ने अपराधियों को पुलिस से छुड़वाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहा है और भय पैदा कर रहा है। कहा जा रहा है अनुशासित प्रदेश, किस अनुशासित प्रदेश की बात कर रही है सरकार ? किस भयमुक्त समाज की बात समाज से कहना चाहती है ?

अगर विपक्ष के नेता या कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। अगर किसान चक्का जाम लगाते हैं तो उनके ऊपर हाईवे जाम करने के आधार पर मुकदमे दर्ज होते हैं। अगर काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नेशनल हाईवे में जाम लगाता है तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता है। मान्यवर, यह किसके लिए भयमुक्त प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भयमुक्त ? किसके लिए अनुशासित प्रदेश, विपक्ष के लिए अनुशासित प्रदेश ? इन शब्दों की गम्भीरता को भी इस सरकार ने कम करने का प्रयास किया है। माननीय फोनिया जी, पी0पी0पी0 शब्द कह रहे थे। मान्यवर, इसकी बड़ी हंसी उड़ा रहे हैं पी0पी0 का, एक पीना उस तरह का भी होता है। हमारे आबकारी मंत्री जी चले गये और एक तो योजनाओं को पूरा ही निगल जाना। अच्छी बात है निजी क्षेत्र में निवेश करना, और लोग आयें, उद्योग लायें और प्रदेश के विकास में सहभागिता निभायें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बेटा हरक सिंह जी पी0पी0पी0 पर पी0पी0 के बोल रहा है। (हंसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ताऊ जी की संगत में रह करके बहुत कोशिश की पी0पी0 के, लेकिन ताऊ जी के सभी गुण आ गये, लेकिन पी0पी0पी0 गुण नहीं सीख पाया। मैं कोशिश करूँगा कि वह गुण भी आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

आपका यह निजी मामला है। इसे सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अखबारों में, मीडिया में छप रहा है। जो ये पी0पी0 हो रहा है इसमें बहुत गड़बड़ है। जो 08 तारीख को कोई रैली है, उसके नाम पर तीन करोड़ की बात हो रही है यानी खुले रूप से चन्दा लिया जा रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं जो चर्चा हो रही है कि इसी पी0पी0पी0 के माध्यम से तीन सौ करोड़ रूपया पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए इस गरीब प्रदेश का, जो नया प्रदेश है और देव–भूमि है, इससे वसूल किया जायेगा और देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जायेगा। माननीय ताऊ जी, इस प्रदेश को बचाओ, जिस पी0पी0पी0 मोड की आप बात कर रहे थे, यह दीमक है उत्तराखण्ड के विकास के लिए।

सड़कों के मामले में, कच्चे मार्ग, पक्के मार्ग। मैं अपनी विधान सभा का और सभी विधायकों से मेरी बातचीत हुई, जब से यह सरकार आई है माननीय अध्यक्ष जी, एक इंच नहीं किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे पड़ोस में माननीय शैलेन्द्र रावत जी हैं इनके विज्ञापन जरूर पढ़ने को मिलते हैं। जब से ये दिल्ली गए तो शायद खण्डूड़ी जी ने कुछ इशारा कर दिया अधिकारियों को कि भई इनका फोटो रोज छपवाओ जिससे कि ये दिल्ली जाना बन्द कर दें। लेकिन उससे पहले भी फोटो छपता था लेकिन जब से दिल्ली गए इनका फोटो रोज अखबारों में छपता है। इनके क्षेत्र में सड़कें स्वीकृत हुई हों तो मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र में और हमारे प्रतिपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में आज तक एक इंच सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। आज करेंगे तो मैं नहीं जानता। माननीय अध्यक्ष जी, यह किस तरह का सौतेला व्यवहार है, क्या हम विधायक नहीं हैं ?

लैन्सडौन की जनता का, चकराता की जनता का, खटीमा की जनता का, हमारी बीरोंखाल की जनता का, हमारे उत्तरकाशी की जनता का, हरिद्वार की जनता का, क्या दोष है कि उन्होंने हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह जी को, अमृता रावत, महेन्द्र सिंह माहरा जी को चुनकर भेजा ? क्या उनका यह दोष है कि उनको सड़क इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि उन्होंने विपक्ष के विधायकों को चुनकर भेजा ? माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि यह सरकार विकास के मामले में सौतेला व्यवहार कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समय का ध्यान रखें। आधा घण्टा हो गया।

डा0 हरक सिंह रावत–

सैफ गेम की बात कही। माननीय अध्यक्ष जी, कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। स्पोर्ट्स मंत्री जी यहाँ पर बैठे, गायब हो गये। इसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों, सैफ गेम की बात हो रही हो और खेल मंत्री जी नदारद हैं। कोई

तैयारी प्रदेश सरकार की सैफ गेमों के मामले में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जो हाईलाइट किया गया इस भाषण में उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। एक हाईलाइट किया गया उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि। कल माननीय सदस्य श्री टम्टा जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने 50 हजार रू0। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस मँहगाई के जमाने में, क्योंकि उत्तराखण्ड में लोग मोटरमार्गों से यात्रा करते हैं और ज्यादातर मोटर से, जीपों से वो लोग यात्रा करते है जो गरीब हैं या मूवमेण्ट ज्यादातर गरीब लोग करते हैं। अनुपात के हिसाब से और पहाड़ में पुरूष ही परिवार का पालन–पोषण करने का कर्ता–धर्ता होता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में या वह घायल हो जाता है तो उसे 50 हजार मिलेगा, यह ऊँट के मुँह में जीरे के समान होगा। मान्यवर, इस योजना के तहत 5 लाख रूपया दिया जाना चाहिए था, गम्भीर घायल को, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। मान्यवर, विवेकाधीन कोष से प्रचार के लिए 5 करोड़ मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से विड्रा करके खर्च किया जा रहा है, लेकिन वह गरीब जो दुर्घटना में ग्रसित हो गये, घायल हो गये उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, 25 हजार ब्रेन हैमरेज का आपरेशन, 25 हजार में रीढ़ का आप्रेशन होगा, गम्भीर रूप से जो घायल होगा उसके लिए 5 हजार रूपया हो, यह क्या मजाक है उत्तराखण्ड के जीवन के साथ? यह सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखण्ड के लोगों की रक्षा करना, उनके जीवन की सुरक्षा करना यह सरकार की जिम्मेदारी है और इस उत्तरदायित्व को निभाने में सरकार असफल रही है।

मान्यवर, उद्योग की बात की है तो माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सरकार आई है बड़े उद्योग की बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी बम्बई गये थे, मैंने टेलीविजन में देखा, इलेक्ट्रानिक मीडिया में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री बम्बई के उद्योगपतियों को और देश के उद्योगपतियों को उत्तराखण्ड में निमंत्रित करने के लिए बुलावे पर गये थे। लेकिन स्थिति क्या है, आप भी माननीय अध्यक्ष जी, आप देहरादून के जनप्रतिनिधि हैं, सेलाकुई नजदीक है, रोशनाबाद नजदीक है, श्री राकेश जी के क्षेत्र में भी उद्योग लगे, ऊधमसिंह नगर में उद्योग लगे। आज बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियां जो कांग्रेस के जमाने में, पं0 नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार के समय में जो उद्योग उत्तराखण्ड में स्थापित हुये थे आज वह सारे उद्योग उत्तराखण्ड से पलायन कर रहे हैं और यही रफ्तार रही माननीय अध्यक्ष जी, तो केन्द्र सरकार चाहे 2010,12,14, अगर यही सरकार रही, यही वातावरण रहा, ऐसे ही भयमुक्त और अनुशासित समाज प्रदेश रहा तो उद्योग आने की बात कर रहे हैं, उत्तराखण्ड में एक भी उद्योग बचने वाला नहीं है। सारे उद्योग शिफ्ट हो जायेंगे, इस स्थिति का असर केवल उद्योग के लिए नहीं, इसका असर उत्तराखण्ड के नौजवानों के रोजगार पर भी पड़ेगा।

मान्यवर, बी0पी0एल0 कितना देगी बालिकाओं की शिक्षा के लिए कक्षा 9 में प्रवेश पर 1 हजार और कक्षा 10 में 2 हजार रूपया देंगे, पर 1 हजार, 2 हजार में कौन सी पुस्तकें आ रही हैं ? कौन सा कपड़ा बन रहा है ? क्या स्थिति होगी ? यह सरकार की स्थिति है। 1 हजार, 2 हजार रूपये में आज बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए कपड़ा नहीं बन सकता है, उसकी किताब नहीं आ सकती है, लेकिन सरकार अपनी पीठ थप–थपा रही है, बड़े–बड़े होर्डिंग लगे हैं कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। मान्यवर, स्मार्ट स्कूल कम्प्यूटर, कैसे कम्प्यूटर हैं, अभी विद्यालय में जाने का मौका मिला, जनरेटर जो हमारी सरकार ने दिये थे। कम्प्यूटर दिये थे,

जब से यह सरकार आई है वह कम्प्यूटर जंग खा रहे हैं। मान्यवर, आप जाँच करवाइये, आप इसकी जाँच क्यों नही करवा रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने चुनौती देकर कहा था। इस सदन के अंदर कहा था नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल होने के नाते। बहुत आरोप हमारे दल पर लगाये गये थे कि कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए हैं। मान्यवर, जितनी जोर से बोल रहा हूँ, फिर भी तो खण्डूड़ी जी की मूछों पर कुछ असर हो रहा है, लेकिन अभी कानों पर असर नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हम ने कहा था कि सरकार जाँच करवाये। आपने कोई आयोग भी बनाया था, फिर वे छोड़कर चले गये। इसके बाद फिर कोई और आयोग बनाया और कोई और व्यक्ति नामित हो गया।

श्री केदार सिंह फोनिया–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने खण्डूड़ी जी की मूंछों पर आक्रमण किया। अगर इनको, माननीय खण्डूड़ी जी की मूछों से इतना डर लगता है तो ये माननीय जोत सिंह गुनसोला जी, (मूंछों वाले) को अपने बगल में क्यों नहीं बैठाते हैं। इससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप इनको अपने बगल में बैठाईये और फिर बोलिये। (हंसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय फोनिया जी जब मसूरी गये थे और गुनसोला जी नगर पालिका के अध्यक्ष थे, मुझे भी उस समय राज्य मंत्री पर्यटन के रूप में मसूरी के बहुत से कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। मैं उस समय भले ही बहुत छोटा था, जब मंत्री था उस समय मैं कोई 27–28 साल का था। माननीय गुनसोला जी, मेरे बड़े भाई जैसे थे, लेकिन जितना सम्मान ये हमको देते थे, इससे इनकी मूछों की जो ताकत है, जो ऐंठ है, वह ऐंठ माननीय खण्डूड़ी जी की मूछों में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो चाहता था और मैंने माननीय खण्डूड़ी जी से भी कहा था कि उधर सामने आपकी मूंछें थोड़ी भिंगराली मूंछें हैं। हम व्यवस्थित मूंछों वाले गुनसोला जी को यहां बैठाना चाहते हैं। माननीय फोनिया जी, यही चाहते थे। आपने सदन के अंदर ऐसा प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव के लिए हमने माननीय खण्डूड़ी जी से भी निवेदन किया था कि जब मैं सामने आपकी मूंछें देखूं और जब मुझे डर लगे तो माननीय गुनसोला जी की मूंछों से मुझे बल मिल जाय, इससे डर खत्म हो जाय। माननीय अध्यक्ष जी, कम्प्यूटर शिक्षा की बात इस सरकार ने की, कैसा कम्प्यूटर, जब हम लोक सभा चुनाव में जायेंगे तो लोगों से पूछेंगे, विद्यालयों से पूछेंगे कि इस सरकार ने आपको कुछ कम्प्यूटर दिये हैं ? यदि दिये हैं तो उन कम्प्यूटरों की क्या हालत है, इसका जवाब जनता देगी।

युवाकल्याण, अभी पी0आर0डी0 के जवान आये थे मेरे पास, मैं लंच टाईम में अपने ऑफिस में गया था। पी0आर0डी0 को 3600 रू0 मानदेय मिल रहा है, ये हमारे सभी मंत्रियों की सेवा में लगे हुए हैं और कुछ जवान विधान सभा सचिवालय और सचिवालय की सेवा में लगे हैं। मान्यवर, उपसुल, जो सैनिक कल्याण के माध्यम से लगे हैं उनको 7000 रू0 मिल रहा है, यह कैसा भेदभाव है। वही काम ये पी0आर0डी0 के जवान कर रहे हैं और वही कार्य उपसुल के लोग कर रहे हैं। सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से जो लोग लगाये जा रहे हैं, वे सैनिक परिवारों के ही लोग नहीं हैं। इस सैनिक कल्याण निगम ने तो ठेका ले लिया है कि कोई भी नियुक्ति कराना चाहते हों, चाहे वह सैनिक परिवार के हैं या नहीं, उनको कमीशन दें, उसका नाम फारवर्ड होता है और उसकी नियुक्ति हो जाती है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, ऐसा नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय मंत्री जी, अन्दर खाने ऐसा ही है। आप पता कर लें। माननीय अध्यक्ष जी, उपसुल के माध्यम से, सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से जो लोगों को संविदा पर भर्ती किया गया है, दैनिक वेतन में भर्ती किया गया है। आप पता कर लें कि सैनिक परिवार के कितने लोग हैं और गैर सैनिक परिवार के कितने लोग हैं।

उच्च शिक्षा के बारे में कल भी मैंने कहा था, मैं लम्बी बात नहीं करना चाहता लेकिन संविदा पर जो टीचर हैं, जिनका उल्लेख मैंने कल किया था, उनके नियमितीकरण की माँग है। 45 प्राचार्य, प्रधानाचार्य, क्योंकि डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को प्राचार्य कहा जाता है, इसलिए मैं प्राचार्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। राजकीय महाविद्यालयों में 45 से अधिक महाविद्यालय बिना प्राचार्य के संचालित हो रहे हैं। लैक्चरर भी नियमित नहीं हैं। सतपुली में हमने महाविद्यालय खोला, आज जयहरीखाल का प्रिंसिपल उसका काम देख रहा है। अब वह जयहरीखाल डिग्री कॉलेज को देखेगा या सतपुली डिग्री कॉलेज को देखेगा ? ऐसी स्थिति चौबट्टाखाल डिग्री कॉलेज की है, ऐसी स्थिति धूमाकोट डिग्री कॉलेज की है, ऐसी स्थिति हमारे चकराता में है। क्या स्थिति है, भवन नहीं हैं महाविद्यालयों के पास और आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। कैसी गुणवत्ता, प्राचार्य नहीं, शिक्षक नहीं, भवन नहीं, लैब नहीं, कर्मचारी नहीं, तो कैसी गुणवत्ता ? कैसे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को उठाना चाहते हैं? यह बड़ा सोचने का विषय है।

दीन दयाल देव भूमि 108 सेवा। (व्यवधान) सत्यम घोटाला सुना है ? देश का सबसे बड़ा घोटाला है और उसी घोटाले के एन0जी0ओ0 से यह 108 जुड़ा है। कैसे इसको 108 का टेण्डर दिया गया? जो सत्यम घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उससे जुड़े लोगों को बिना टेण्डर के 108 की सेवाएं दी जा रही हैं। इस प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। बिना टेण्डर किये हुए 108 खरीदी गयीं। जितनी धनराशि उनमें एक साल में खर्च की गयी है, हमने नर्सिंग होमों और मेडिकल इंस्टीट्यूटों में पूछा है, जिस तरह के उपकरण 108 में लगे हैं, बहुत कम लागत के हैं। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की बात आयी। इसे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया है। (व्यवधान) कैसा ड्रीम प्रोजेक्ट है ? मान्यवर, कांग्रेस सरकार की पहली मंत्रि परिषद की बैठक हुई।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें। 45 मिनट हो गये हैं और भी माननीय सदस्यों के विचार आने हैं।

डा0हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कोई बात नहीं आज देर तक सदन चलेगा। आपने कहा है कि और लम्बे समय तक सदन चल सकता है। विषय आना जरूरी है। मान्यवर, कांग्रेस सरकार की मंत्रि–परिषद की पहली बैठक हुई थी, जब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का मामला मंत्रि–परिषद के सामने आया था, हमने पहली ही मंत्रि–परिषद् की बैठक में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का निर्णय लिया। 6 जून, 2003 को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज

का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा हमने करवाया था। 71 करोड़ रूपये इस मेडिकल कॉलेज के लिये हमारी सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये थे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा घर और मेडिकल कॉलेज का प्रवेश द्वार अगल–बगल ही है। मैं जब भी श्रीनगर जाता था तो इस मेडिकल कॉलेज के कार्य में कितनी प्रगति हुई, इसे जरूर देखता था। मान्यवर, जब इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण स्वीकृत हुआ था, उस समय कमिश्नर गढ़वाल, सुभाष कुमार जी हिमाचल प्रदेश गये हुये थे, मैंने उनको उनके मोबाइल पर टेलीफोन किया और उनसे कहा कि आप तुरन्त देहरादून आइये और इस मेडिकल कॉलेज के लिये 25 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिये मुझे रिपोर्ट दीजिये। तो मान्यवर, हमारी सरकार ने 71 करोड़ रूपये से इस भूमि का अधिग्रहण किया। मैं जब भी श्रीनगर जाता था, अगर मैं चमोली के दौरे से रात में दो बजे रात भी पहुंचता था तो तुरन्त इसका निरीक्षण करने जाता था कि कितना निर्माण हो चुका है।

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की सरकार ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी आज यहां मौजूद नहीं हैं, आज वो महामहिम राज्यपाल हैं। हमारी सरकार के कई सदस्य जो आज इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं सदन के माध्यम से पंडित नारायण दत्त तिवारी और स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि आज जो सपना पूरा हुआ है, स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों से पहले 1983 में श्रीनगर आई थीं, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेता के रूप में मुझे भी उस सभा में मौजूद रहने का मौका मिला था, स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी ने यहां पर 300 बैड का बेस चिकित्सालय स्वीकृत नहीं किया होता तो आज यह मेडिकल कॉलेज का हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता था। मान्यवर, मैं स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, हमारे कांग्रेस सरकार के मंत्रिमण्डल के तमाम सदस्यों को और उस समय के तमाम जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से हमने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा किया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष जी, भुवन चन्द्र खंडूड़ी जी का भी योगदान इसमें रहा है, क्योंकि मुझे कड़वी सच्चाई कहने की आदत है। जब मैं मंत्री था, माननीय भुवन चन्द्र खंडूड़ी जी केन्द्र में सांसद थे, वे अकसर मुझे टेलीफोन करते थे, उनके सचिव, श्री सारंगी भी मुझसे बात करते थे कि रावत जी आप प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के लिये प्रयास करिये, और केन्द्र के स्तर पर कोई आवश्यकता होगी तो हम प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज पर सिर्फ चूना लगाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार द्वारा दिये गये धन से इस मेडिकल कॉलेज के भवनों का निर्माण हो गया था, चिकित्सालयों का निर्माण हो गया था। अगर इस सरकार ने कोई काम किया है, इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर अगर कुछ काम इस सरकार ने किया है तो वह लिपाई–पुताई का कार्य किया है, जिसे हम चूना लगाने का काम कहते हैं। इसलिये अगर इस चूना लगाने के काम को सरकार अपनी उपलब्धि बनाती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से यह मेडिकल कॉलेज बना है, मैंने निशंक जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा था कि वहां पर दयनीय स्थिति हो गई है। वहां पर लोग इलाज कराने जा रहे हैं, लोगों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। लोगों ने सपना देखा था कि यहां पर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो हमारा ठीक से इलाज होगा। चमोली जिले के, उत्तरकाशी जिले के, टिहरी जिले के, पौड़ी जिले के

लोगों ने सोचा था कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद हमको स्वास्थ्य की सुविधायें मिलेंगी। लेकिन मान्यवर, उल्टा हो गया, जिस दिन से यह मेडिकल कॉलेज बना है, वहां की दयनीय स्थिति हो गई है, दुर्दशा हो गयी है, लोग आज परेशान हैं। इसलिये मान्यवर, सरकार ने जो इस मेडिकल कॉलेज के लिये ड्रीम प्रोजेक्ट की जो बात की है, वह इनका खोखला नारा है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात की है, अभी प्रश्नकाल में यह बात उठी थी और स्वयं ग्राम्य विकास मंत्री ने आंकड़े दिये हैं कि 50 प्रतिशत से भी कम धन जो भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिये प्रदेश सरकार को मिला है। मैंने मुख्यमंत्री जी के अखबारों और मीडिया के बयानों को सुना और उन्हें गम्भीरता से लिया। वे कहते हैं कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है लेकिन ग्राम्य विकास मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है और आंकड़े दिये हैं कि हम केन्द्र सरकार के द्वारा दिये गये 50 प्रतिशत धनराशि, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये दी गई थी, उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े खेद के साथ, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सरकार केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी धनराशि का भी प्रदेश के गरीबों के लिए, प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के कल्याण की योजनाओं पर खर्च नहीं कर पा रही है, निश्चित रूप से यह शर्म की बात है।

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन के विकास की बात की है। कल माननीय पर्यटन मंत्री जी एवार्ड की बात कर रहे थे, किसी पुरस्कार की बात कर रहे थे और जब किसी पुरस्कार की बात होती है तो मेरे मन को कष्ट होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमारी जब सरकार थी तब भी पुरस्कार मिले थे हमारी सरकार को पर्यटन के क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि मैं तो पर्यटन क्षेत्र का विधायक हूँ, लैंसडॉन से विधायक हूँ, प्राकृतिक सौन्दर्य की अदभुत छटा से मैं चुन कर आया हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, लैंसडॉन, खिर्सू, पौड़ी के विकास की बात केन्द्र सरकार के सहयोग से हुई थी। केन्द्र सरकार ने पैसा भी दे दिया, लेकिन जब मैं अपने लैंसडॉन में, मैं पौड़ी से भी विधायक रहा हूँ। पौड़ी के पर्यटन विकास को देखता हूँ, खिर्सू के पर्यटन के विकास को देखता हूँ, अल्मोड़ा के पर्यटन के विकास को देखता हूँ चकराता के पर्यटन के विकास को देखता हूँ। मुझे अभी चकराता जाने का अवसर मिला था। चकराता के पर्यटन के विकास को देखता हूँ, तब मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष जी, हमको वो पुरस्कार भले ही न मिलता हम सम्मान की जिन्दगी जी सकते हैं। लेकिन अगर धरातल में पर्यटन का विकास हुआ होता तो हमें पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं है, उत्तराखण्ड को पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं है, उत्तराखण्ड को पर्यटन के विकास के लिए किसी के पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। हमारा पुरस्कार देश के कोने-कोने से आने वाला दुनिया के कोने-कोने से आने वाला चाहे धार्मिक हो, चाहे सैलानी हो, वो हमको पुरस्कार देता। हमको पुरस्कार देता कि हम उत्तराखण्ड की धरती पर आये हैं, उत्तराखण्ड में पर्यटन का लुत्फ हमने उठाया है। उत्तराखण्ड की धार्मिक यात्रा में वैष्णो देवी जैसी सुविधाएं मिल गयी हैं।

निश्चित रूप से अगर हिन्दुस्तान का यात्री, दुनिया का सैलानी, उसके मन में जब दिल्ली एयर पोर्ट पर वह जाता, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जाता, दिल्ली पहुँचता, अपने गांव पहुँचता, अपने घर पहुँचता और उसके मन में आता कि अगर दुनिया में पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित क्षेत्र है तो उत्तराखण्ड की देवभूमि है, हिमालय का वो क्षेत्र है,

तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बीस–बीस लाख की पर्यटन विकास की योजना हर विधायक को दी जाएंगी। इसीलिए कल हमारे विधायक किसी सवाल के जवाब में नारा लगा रहे थे कि माननीय पर्यटन मंत्री जी अपनी घोषणा पूरी करो। कल ही मुझको एक लेटर मिला चार लाख रूपये की कोई योजना, कल जब हमारे साथियों ने नारा लगाया तो माननीय पर्यटन मंत्री जी ने, मैं अपनी डाक देख रहा था, एक पत्र मिला कि भैरवगढ़ी के लिए आठ लाख रूपया मेरे क्षेत्र में स्वीकृत हो गया। लेकिन माननीय तमाम विधायकों के क्षेत्र में जो वायदा आपने किया था कि बीस लाख रूपया तक की योजना मंदिर सौन्दर्यीकरण के लिए हम देंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, सभी योजनाओं में शासनादेश जारी हो रहे हैं। जिस–जिस के शासनादेश पूरे हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं, उसकी सूचना मैंने भिजवा दी, बाकी के शासनादेश आ रहे हैं। सबको 20 लाख रूपया मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। शासनादेश की एक प्रक्रिया है, जब प्रक्रिया पूरी होगी, तभी मिलेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, लेकिन इस प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में, साहसिक पर्यटन में जिसको एडवेंचर टूरिज्म कहते हैं, हैण्ड गैंड, रिवर राफ्टिंग तमाम खेलों के क्षेत्र में, फूलों की घाटी को विकसित करने के लिए जो भी किया जाना चहिए था, इस सरकार ने करने का प्रयास पिछले दो वर्षों में नहीं किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्ट मंत्री यहां पर बैठे हैं, आज देहरादून की सड़कों पर हरिद्वार की, ऊधमसिंह नगर की सड़कों पर एच0आर0 नम्बर, हरियाणा के रजिस्टर्ड नम्बर की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने आय के संसाधनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस ओर ध्यान नहीं दिया। उत्तराखण्ड में जितनी गाड़ियाँ हैं, मैंने स्वयं अपनी सफारी गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन हरियाणा से करवाया है। इसलिए कराया है कि वहाँ रजिस्ट्रेशन टैक्स कम है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हरियाणा में रजिस्ट्रेशन फीस कम है। इसलिए उत्तराखण्ड के लोग रजिस्ट्रेशन हरियाणा में कराते हैं। अगर हम पड़ोसी प्रदेशों के मुकाबले अपनी रजिस्ट्रेशन फीस कम कर देते तो उत्तर प्रदेश के लोग, हरियाणा के लोग, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के लोग उत्तराखण्ड में रजिस्ट्रेशन कराते। मान्यवर, उससे हमारी आय बढ़ जाती। यही बात मैं आबकारी नीति के बारे में भी कहना चाहता हूँ। जो शराब चण्डीगढ में, पंजाब में, हिमाचल में 100 रूपये में बिक रही है वही उत्तराखण्ड में 300 रूपये में बिक रही है। उससे काला बाजारी होती है, उससे प्रदेश सरकार को राजस्व की हानि होती है। प्रदेश सरकार ने इतना अधिभार लगा दिया है कि प्रदेश को आय के क्षेत्र में राजस्व का नुकसान हो जायेगा। अगर पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह और चण्डीगढ की तरह अधिभार होता तो निश्चित रूप से प्रदेश को राजस्व की उपलब्धि होती और काला बाजारी रूकती तो यह प्रयास सरकार ने नहीं किया है और न सरकार करना चाहती है। कल सदन के अन्दर आबकारी नीति आयेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने प्रदेश के संसाधनों और आय को बढ़ाने की दिशा में उसमें कोई कदम नहीं उठाया होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि योग प्रशिक्षितों की बात आई, आज भी हमने नियम–58 के तहत सवाल किया है, यह प्रदेश सरकार हिन्दू मैथोलॉजी की बात करती है, यह सरकार योग की बात करती है, संस्कृत की बात करती है, यह सरकार दर्शन की बात करती है, यह सरकार परम्पराओं की बात करती है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने योग प्रशिक्षित जो नौजवान आज इस प्रदेश की योग विद्या को नौजवानों में देना चाहते हैं उन योग प्रशिक्षितों के लिए शासनादेश होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं किया और इस अभिभाषण में इनका कोई उल्लेख नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रशिक्षित बेरोजगारों के बारे में मैंने अभी पूर्व में ही कहा है उनकी अपनी एक समस्या है, इसका भी इस भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के बारे में कहना चाहता हूँ कि ढाई हजार में हमारी 12 हजार आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां काम कर रही हैं, उनका कहना है कि हमको राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाय और हमारा वेतन बढ़ाया जाय। इस दिशा में भी इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, एन0टी0टी0 टीचर के बारे में जिसका उल्लेख मैंने कल किया था, उसमें भी कोई सार्थक पहल इस सरकार द्वारा नहीं की गई है, न ही इस अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख किया गया है। डिप्लोमा फार्मेसिस्टों के बारे में मैंने स्वास्थ्य मंत्री से कहा था कि प्रदेश के डिप्लोमा फार्मेसिस्ट लगातार संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी कोई योजना का उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति के मामले में सरकार निश्चित रूप से उदासीन है। शिक्षा आचार्यों के मामले में सरकार ने कुछ कोशिश की है, लेकिन बहुत सार्थक कोशिश शिक्षा आचार्यों के मामले में नहीं की है। संविदा विजिटिंग प्रोफेसरों के मामले में जिस तरह के ठोस प्रयास किये जाने चहिए थे वह ठोस प्रयास इस सरकार द्वारा नहीं किये गये हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के मामले में कल भी सदन के सामने बात आई थी, लेकिन जिस तरह इनके बारे में प्रयास होने चहिए थे, एक उप समिति बना कर लॉलीपॉप थमा कर किसी बात को टालने का जो एक क्रम होता है, अगर कोई चीज नहीं करनी है तो एक आयोग बैठा दो, समिति बैठा दो। यह सरकार की एक परम्परा जैसी बन गई है कि जिसको नहीं करना चाहते हैं उसके लिए समिति बैठा देते हैं, उसके लिए आयोग बिठा देते हैं। वह आयोग और समिति न कभी रिपोर्ट देती है, न कभी समस्या का समाधान होता है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि क्योंकि इस सरकार ने इस प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है और मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार का शिलान्यास में विश्वास है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने विधायक निधि को बढ़ाने की बात की थी, यहीं खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरा विश्वास घोषणाओं में नहीं है, मैं घोषणा नहीं करता। मुझे अखबारों में पढ़ने को मिला था जब माननीय मुख्यमंत्री जी धनौल्टी गये थे तो वहाँ के विधायक ने जो सत्ताधारी पार्टी के हैं उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए कोई घोषणा की जाय तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन सभा में कहा कि घोषणाओं में मेरा विश्वास नहीं है। जब पौड़ी शरदोत्सव के उद्घाटन पर माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे वहाँ भी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अचानक हमारे मुख्यमंत्री जी में ऐसा कौन सा बदलाव आ गया, ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया। मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष जी, अभी ऋषिकेश में हरिद्वार में सद्बुद्धि यज्ञ........

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष जी, लेखानुदान का समय हो गया है।

वित्तीय वर्ष, 2009–2010 के एक भाग के लिये लेखानुदान

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के उत्तराखण्ड सरकार के व्यय के लिए अनुदान का विवरण, जो दिनांक 25 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत किया गया है की अनुसूची में दिये गये विभाग तथा सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले आवश्यक व्यय को चुकाने के लिए राज्य की समेकित निधि से राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाए जो रूपये–4 हजार 365 करोड़ 47 लाख 51 हजार मात्र से अधिक न हो।

श्रीमन्, भारत के संविधान के अनुच्छेद–202 के क्रम में प्रत्येक वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण बजट मैनुअल के प्रस्तर–84 के प्राविधानों के अधीन सामान्यतया फरवरी के दूसरे पक्ष अथवा मार्च के प्रारम्भ में विधान सभा के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है ताकि अगले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से राज्य के समेकित निधि से सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि व्यय करने हेतु उपलब्ध रहे।

श्रीमन्, वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लिए राज्य की वार्षिक योजना को अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, अतः राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण 31 मार्च, 2009 तक वित्तीय वर्ष 2009–2010 का आय–व्ययक विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर पारित कराया जाना सम्भव प्रतीत न होने के कारण संविधान के अनुच्छेद–206 के निहित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–2010 के प्रथम चार माह 1 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक हेतु विधान सभा के समक्ष लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद–293 (तीन) के अनुसार राज्य सरकार को किसी भी ऋण लेने से पहले भारत सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है और वार्षिक योजना निर्धारित करते समय ऋण की भी सीमा निर्धारित की जाती है। इस कारण से भी राज्य सरकार को राज्य की प्राप्तियों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण चार माह का लेखानुदान लेना अतिआवश्यक हो गया है।

श्रीमन्, वित्तीय वर्ष 2009–2010 के प्रथम चार माह के लेखानुदान हेतु पूरे बजट का एक तिहाई भाग लिया गया है, परन्तु कुछ महत्वपूर्ण विभाग, जिनमें प्रथम चार माह के अनुपात से ज्यादा व्यय की सम्भावना है, जैसे निर्वाचन, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं पेयजल में एक तिहाई से ज्यादा प्राविधान रखा गया है। इस प्रकार लेखानुदान की धनराशि, कुल धनराशि की 33.33 प्रतिशत की जगह 36.49 प्रतिशत हो गई है लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि लेखानुदान में कोई नई मांग सम्मिलित नहीं की गयी है। श्रीमन्, यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। वर्ष 2003–04 में भी मार्च माह में स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होने के कारण तत्कालीन सरकार द्वारा तीन

माह का लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था और इसी प्रकार 2004–05 में भी लोकसभा के निर्वाचन होने के कारण और 2007–08 के प्रथम चार माह हेतु लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में लेखानुदान प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है और सम्मानित सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर यह बात सही है कि संविधान में आर्टिकल–206 के तहत सरकार कभी भी लेखानुदान ला सकती है। इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है। विशेष परिस्थितियों का सरकार ने जिक्र किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन विशेष परिस्थितियों का जिक्र सरकार कर रही है। लेकिन राज्य की विशेष परिस्थितियों के बारे में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, यह हमारा पहाड़ी राज्य है और यहाँ आप लेखानुदान ला रहे हैं, चार महीने के लिए। लेखानुदान उत्तर प्रदेश में दो महीने के लिए पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार लाई थी तो उस पर, आपकी पार्टी के मेरे पास हैं, यदि आप देखना चाहें तो आपके चैम्बर में दिखा दूँगा। कई बार आपत्तियाँ हुईं। महीना, 15 दिन या डेढ़ महीने के लिए तो ठीक है लेकिन चार माह के लिए लेखानुदान लाए हैं, जो काफी लम्बा समय है। चार महीने के लिए सरकार लेखानुदान ला रही है। जिन परिस्थितियों का जिक्र सरकार कर रही है इन विशेष परिस्थितियों के बारे में हमें पहले से ही मालूम था कि इन–इन दिनों में चुनाव होने हैं। हम बजट के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? उत्तर प्रदेश फुल–फ्लैश बजट लेकर आया है। वह इससे कहीं ज्यादा बड़ा प्रदेश है, उसका बजट भी यहाँ से कहीं बड़ा है।

पर्वतीय राज्य की स्थिति यह है कि मान्यवर, मैं थोड़ा समय लूँगा, ज्यादा समय नहीं लूँगा। इस पर्वतीय राज्य में हमको पूरे 12 महीने का समय नहीं मिल सकता है। इन्हीं परिस्थितियों का आप अध्ययन करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर में बरसात शुरू, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में बर्फ शुरू और मार्च का महीना इयर एण्ड का समय आ जाता है और आनन–फानन में चैक बनते हैं। अभी माननीय कृषि मंत्री का जवाब था कि एस0सी0पी0 का पैसा लैप्स पड़ा है। अगर एक विभाग का पैसा लैप्स पड़ा है तो हम पूरे बजट को कैसे खर्च कर पायेंगे जो अरबों रूपये का है, जिसको आप बिना चर्चा के पास करा रहे हैं, यह बड़ा गम्भीर विषय है। चार महीने कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, जबकि आपको पांच साल पहले इसके बारे में जानकारी थी कि वर्ष 2009 की अप्रैल या मई में चुनाव होंगे। यहाँ कोई स्पेशियल मामला नहीं आया था। पिछले साल की कुल प्राप्तियां 12112.38 थीं। इस बार 26 सौ करोड़ से ज्यादा है। यहां छठा वेतन आयोग भी सरकार ने लागू किया है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री यह भी स्पष्ट करने का कष्ट करें कि 26 सौ करोड़ रूपये का इंतजाम सरकार कहां से करेगी? मुझे कष्ट है कि लेखानुदान इस समय क्यों ला रहे हैं? यहां निशंक जी हैं, शायरी करते हैं। एक मुझे शेर याद आ रहा है कि

उम्र ए दराज माँग के लाए थे चार दिन,
दो कट गए आरजू में और दो इंतजार में। (हंसी)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार द्वारा सदन के पटल पर लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है। जैसे माननीय सदस्य काजी जी ने अपनी बात रखी है और माननीय

संसदीय कार्यमंत्री ने पिछले चार–पांच वर्षों का उल्लेख किया। वर्ष 04 और 05 की सरकार द्वारा उसमें लेखानुदान लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, स्वस्थ परम्परा कभी भी, किसी समय पर भी, अगर कहीं भी शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से इसकी तारीफ होनी चहिए। अगर आप थोड़ा बजट लेकर आते हैं तो यह प्रदेश के हित में होता। आप संसद की बात कर सकते हैं कि संसद में लेखानुदान प्रस्तुत किया है। चूंकि संसद को चुनाव से गुजरना है और जून तक संसद का गठन होना है। एक स्वस्थ परम्परा है कि जब कोई विधान सभा या कोई हाउस नये जनप्रतिनिधियों के स्वागत के लिए तैयार होता है, तो इस प्रदेश की नयी आशा उन जनप्रतिनिधियों से रहती है। जो नयी संसद या विधान सभा चुनकर आती है, वह अपने प्रदेश या देश की जनता के अनुरूप योजना बनाती है। तदनुसार बजट को पास करती है। इसलिए पार्लियामेंट ने लेखानुदान प्रस्तुत करके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेखानुदान प्रस्तुत करके, देश की जनता का सम्मान किया। सम्भावित गठित लोकसभा के सम्मानित सदस्यों की भावनाओं का सम्मान किया। अगर बजट पूर्व में ही पार्लियामेन्ट में पास हो जाता तो नई जो संसद चुनकर आती, एक वर्ष तक, 31 मार्च तक उस पार्लियामेन्ट या नई सरकार है उसके सामने बहुत कुछ परिवर्तन करने की सम्भावनाएँ नहीं होती। केवल सप्लीमेण्ट्री के माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत इधर–उधर व्यवस्था की जा सकती है।

इसलिए पार्लियामेण्ट ने तो स्वस्थ परम्परा का निर्वहन करते हुए लेखानुदान प्रस्तुत किया लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा को अभी केवल दो वर्ष इस फरवरी माह में हुए हैं, अभी तीन वर्ष इस विधान सभा के और हैं। इसलिए पार्लियामेण्ट की तुलना, पार्लियामेण्ट का अनुसरण करना, केन्द्र सरकार का अनुसरण करना कि केन्द्र सरकार लेखानुदान लायी है, इसलिए हम भी लेखानुदान प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ उचित नहीं है। अच्छा होता जैसे माननीय निजामुद्दीन जी ने कहा कि हमारा प्रदेश विकट परिस्थितियों का प्रदेश है जहाँ पहाड़ी एरिया है, तराई है, जंगल है और बहुत सारी समस्याएँ हैं। वन अधिनियम का कहीं नुकसान सबसे ज्यादा होता है तो हमारे प्रदेश उत्तराखण्ड में होता है। क्योंकि वन भूमि हमारे यहाँ सबसे अधिक है। इसलिए अगर बजट की पूरी व्यवस्था होती, सड़क समय से स्वीकृत हो जाती, धन की व्यवस्था हो जाती तो योजनाएँ स्वीकृत होतीं। वन अधिनियम की प्रक्रिया स्वीकृत होती और समय से योजनाओं का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष समाप्त होते– होते पूरा कर दिया जाता, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जून के बाद जब मुख्य बजट आयेगा और बजट के पास होने में दिसम्बर माह का समय निकल जायेगा और क्रियान्वयन के समय तक मार्च का वित्तीय वर्ष निकलता चला जायेगा। इसलिए यह एक स्वस्थ परम्परा नहीं है।

अब यह बात ठीक है कि जैसे पहले उल्लेख किया संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने भी और जैसे निजामुद्दीन जी ने कहा कि जब हमारी सरकार में भी लेखानुदान आया था तो हमारे सम्मानित सत्ता पक्ष में बैठे तमाम सदस्य जिसमें माननीय प्रकाश पन्त जी भी हैं, माननीय कौशिक जी हैं, माननीय फोनिया जी हैं और तमाम लोग जो उस समय सदस्य थे इन्होंने आपत्ति ही नहीं की थी, माननीय अध्यक्ष जी, आप भी उसमें सदस्य थे, केवल आपत्ति ही नहीं की गयी थी, घोर आपत्ति की गयी थी और बहुत बड़ा विरोध हुआ था। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, वैसे भी हमेशा फरवरी में बजट पास होता है। अभी निजामुद्दीन जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में सरकार ने पूरा बजट रखा। उत्तर प्रदेश में आप सदस्य रहे, हम भी सदस्य रहे। तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश में सदस्य रहे। हमेशा बजट सत्र फरवरी में

होता है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी उन्होंने कहा कि पार्लियामेण्ट में बजट पास होने के बाद बजट रखेंगे उसके अनुरूप अपने बजट में प्रावधान करेंगे। 26 तारीख को पार्लियामेण्ट में बजट पास हो गया। हम अपनी विधान सभा में पूरा बजट लाते क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। चार महीने का बजट बनाकर केवल कामचलाऊ व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष जी, यह उचित नहीं है। नैतिक भी नहीं है, उचित भी नहीं है, जनहित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। इसलिए यह एक गलत परम्परा है। मैं तो खुले दिल से कह रहा हूँ कि गलत परम्परा चाहे हम हों, सरकारें इसलिए बदलती हैं, हमसे कुछ कमी हुई तो आप उसको सुधारते। हम तारीफ करें या न करें हम यहाँ पर खड़े होकर तारीफ करें या न करें जनता आपकी तारीफ करती कि यह सरकार है इसने पूरे वर्ष की योजनाओं के लिए बजट पास किया, जनता तारीफ करती।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए इसमें कुछ कहने के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने कहा लेखानुदान चालू व्यवस्था है, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि कोई नई योजना नहीं है, कोई नया कर नहीं क्योंकि यह केवल वेतन भत्ते के लिए जिस तरह नान प्लान गुजारा भत्ता कहते हैं, कि किसी तरह से चार महीने का गुजारा करना है, तो यह तो गुजारे भत्ते का बजट है, तो इस गुजारे भत्ते के बजट पर क्या लम्बी टिप्पणी करें, लेकिन यह हमारी घोर आपत्ति है, इसकी हम निन्दा करते हैं। सरकार ने समय रहते होमवर्क किया होता, सरकार ने अपने अधिकारियों से वित्त विभाग से कहा होता, योजना विभाग से कहा होता कि समय से होमवर्क करो, समय से योजना तैयार करो, तो निश्चित रूप से सरकार बजट पेश करने में सक्षम होती, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार की पकड़ अफसरों पर नहीं है, अपने विशेषज्ञों के ऊपर नहीं है, जो इस बजट के काम पर लगते हैं। विभागों पर पकड़ नहीं है और कोई समन्वय आपस में नहीं है और समन्वय के अभाव के कारण विभिन्न विभागों से समय से योजना नहीं आ पाई और समय से बजट का प्रस्ताव नहीं आ पाया, इसलिए यह जो लेखानुदान सरकार ने रखा है इसकी हम निन्दा करते हैं, आपत्ति करते हैं और विरोध करते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष काफी अनुभवी और विद्वान इस सदन के सदस्य हैं और आप को उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिपरिषद में सेवा करने का अवसर मिला है और आप भली–भांति जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद–202 के तहत यह आवश्यक है किसी भी राज्य के लिए कि प्रत्येक वर्ष के प्राप्तियां और व्यय के विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण को फरवरी के अन्तिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह तक विधानसभा के माध्यम से पारित किया जायेगा। श्रीमन्, यह भी आपके संज्ञान में होगा कि विशेष परिस्थितियाँ किस प्रकार हैं। केन्द्र ने भी अभी जो अग्रिम बजट प्रस्तुत किया है और वर्ष 2009–10 के लिए भारत के योजना आयोग द्वारा राज्य की वार्षिक योजना को अभी अनुमोदित नहीं किया गया और ऐसी परिस्थिति में कोई एक कल्पित बजट प्रस्तुत करना और उसके माध्यम से राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करना उचित नहीं प्रतीत होता है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या यह और प्रदेशों में भी नहीं हुआ, और प्रदेश बजट ले आये, क्या हम ही पिछड़ रहे हैं?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया होगा। मैं उनकी समीक्षा नहीं करूँगा, मैं अपने राज्य की बात करूँगा।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, और राज्यों ने बजट पेश किया है तो उनका भी योजना आयोग ने परिव्यय अनुमोदित किया होगा या बिना परिव्यय अनुमोदित किये बजट पास कर दिया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यदि हम जिस तरह से बजट ला रहे थे उसी को बजट के रूप में ले आते, हम इस तरह के कपोल कल्पित बजट प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे और सम्मानित बजट प्रस्तुत करेंगे और आवश्यकता के चलते और संवैधानिक बाध्यता के चलते इसको लेकर आ रहे हैं, इसलिए इसको पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई 2009 तक के उत्तराखण्ड सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण जो दिनांक 25 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत किया गया है, की अनुसूची में दिये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले आवश्यक व्यय को चुकाने के लिए राज्य के समेकित निधि से राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाय जो रूपये चार हजार तीन सौ पैंसठ करोड़, सैंतालीस लाख इक्यावन हजार मात्र से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं।

(सदन में प्रतियां वितरित की गयीं।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009

(विधेयक संख्या– वर्ष 2009)

राज्य की संचित निधि में से 01–04–2009 से 31–07–2009 की अवधि में सेवाओं पर व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2009 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2009–10 के लिए रू052094921000 का दिया जाना

2– उत्तराखण्ड की संचित निधि में से, 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तंभ–2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रभारो को चुकाने के लिए, रू052094921000 (रूपये पाँच हजार दो सौ नौ करोड़ उनचास लाख इक्कीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ–7 और 9 में विनिर्दिष्ट मतदेय तथा स्तंभ–8 और 10 में विनिर्दिष्ट भारित धनराशियों का योग है, निकाली जा सकेगी।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से निकाले जाने के लिए प्राधिकृत धनराशि, उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिऐ विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है।

(हजार रुपये में)

अनुदान/क्रम तथा उसका विवरण	कुल मांग				1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2009 हेतु आवश्यक धनराशि			
	राजस्व		पूँजी		राजस्व		पूँजी	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01–विधान सभा	114026	7961	5000	0	38009	2662	1667	0
02–राज्यपाल	0	40399	0	0	0	13471	0	0
03–मंत्रि परिषद	301695	0	0	0	100568	0	0	0
04–न्याय प्रशासन	653903	227953	70000	0	218005	75984	23333	0
05–निर्वाचन	221387	0	0	0	221387	0	0	0
06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2758635	16128	60004	0	919573	5374	20004	0
07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएँ	20152701	16015090	1423858	8893300	7260028	5338387	474655	2964435
08–आबकारी	53885	0	1000	0	17965	0	333	0
09–लोक सेवा आयोग	0	46320	0	10000	0	15440	0	3333
10–पुलिस एवं जेल	4738796	0	338091	0	1582967	0	112698	0
11–शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति	22222141	0	931716	0	7479178	0	310576	0
12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	6322837	0	963484	0	2107692	0	354498	0
13–जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	7765728	0	45000	0	3206304	0	18000	0
14–सूचना	162672	0	5000	0	54230	0	1667	0
15–कल्याण योजनायें	3332719	0	73502	0	1110978	0	24503	0
16–श्रम और रोजगार	334886	0	85000	0	111682	0	28333	0
17–कृषि कर्म एवं अनुसंधान	3004653	0	10002	0	1001593	0	3336	0
18–सहकारिता	159516	0	30101	0	53183	0	10034	0
19–ग्राम्य विकास	2920456	0	563002	0	973494	0	187667	0
20–सिंचाई एवं बाढ़	2666355	0	4545737	0	1333189	0	2272873	0
21–ऊर्जा	85523	0	4742142	0	28518	0	1580719	0
22–लोक निर्माण कार्य	3624079	40204	7620002	0	1812042	20103	3810002	0
23–उद्योग	455500	0	139900	0	151840	0	46636	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24—परिवहन	190991	0	160155	0	63640	0	53388	0
25—खाद्य	240997	0	0	0	80337	0	0	0
26—पर्यटन	294996	0	241001	0	98340	0	80334	0
27—वन	3086796	0	183505	0	1022278	0	61172	0
28—पशुपालन संबंधी कार्य	570429	0	132459	0	190148	0	44153	0
29—औद्यानिक एवं रेशम विकास	783267	2886	0	0	261098	961	0	0
30—अनुसूचित जातियों का कल्याण	3706403	0	2830428	0	1235507	0	943478	0
31—अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	754015	0	587110	0	251386	0	195704	0
योग	91659900	16396961	25786909	8903300	32995160	5472362	10659631	2967768
राजस्व/पूँजी का कुल योग	108056881		34690209		38467522		13627399	
महायोग (कुल माँग एवं आवश्यक माँग)	142747070				52094921			

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 से खण्ड—3 तक, अनुसूची खण्ड—1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

नेता प्रतिपक्ष (डा० हरक सिंह रावत)—

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा को पूर्व की भांति आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि काफी समय हो गया है। मैं चंद बातें कह कर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले एक पखवाड़े से प्रदेश के कोने—कोने में जाकर जा घोषणाएं की जा रही हैं, जो शिलान्यास

किये जा रहे हैं, यह सब प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए सत्य से परे हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता इस बात को महसूस करती है कि ये घोषणाएं, लोक सभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय परिवर्तन हुआ है। मान्यवर, मैं मीडिया और अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यह या तो उसका असर होगा और या तो लोकसभा के चुनाव का असर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये घोषणाएं खोखली हैं, इनकी निंदा की जाय। चूँकि इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई धन की व्यवस्था नहीं की। मान्यवर, जिस तरह से छठे वेतनमान देने के लिए सरकार ने कहा कि यह पहला प्रदेश है उत्तराखण्ड, जिसने अपने कर्मचारियों को छठा वेतनमान देने की घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं महसूस कर रहे हैं। अगर यह छठा वेतनमान देने वाला पहला प्रदेश था तो शिक्षा कर्मचारी, स्थनीय निकाय, निगमों के कर्मचारी सब हड़ताल पर हैं। अगर हड़ताल समाप्त हुई है, भले ही सरकार ने कर्मचारी संगठनों में फूट डालकर और कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि लम्बी हड़ताल से प्रदेश की जनता का बुरा होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो कर्मचारी, शिक्षक भी जानते हैं कि उनको छठा वेतनमान देने की सरकार की मंशा नहीं है। सरकार गम्भीर नहीं है। अगर कोई आश्वासन दिया गया है, तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। लेकिन कर्मचारी और शिक्षक सरकार के खोखले आश्वासन के बावजूद भी, सब जानते हुए भी हड़ताल से वापस गये हैं तो मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के उन शिक्षकों और कर्मचारियों को, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को, निगम के कर्मचारियों को साधुवाद देना चाहता हूँ, उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। यह जानते हुए भी कि सरकार ने झूठा वादा किया है, खोखला वादा किया है, झूठा आश्वासन दिया है लेकिन वे प्रदेश की महान जनता की सेवा के लिए, महान जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए अगर आन्दोलन को छोड़कर काम के रास्ते पर वापस गये हैं, इसके लिए जितनी भी प्रशंसा मैं उत्तराखण्ड के कर्मचारियों और शिक्षकों की करना चाहूँ, मैं सोचता हूँ, वह कम है। इसलिए मैं और मेरा दल उत्तराखण्ड के तमाम कर्मचारियों और शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता है कि उन्होंने आन्दोलन की राह को छोड़कर, सरकार के आश्वासन पर, भले ही उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए आन्दोलन की राह को उन्होंने छोड़ा है, इसके लिए पुनः मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, यह भाषण चुनावी भाषण है, सरकार का चुनावी कार्यक्रम चुनावी नीतियाँ हैं। मान्यवर, माननीय शैलेन्द्र रावत जी यहाँ बैठे हैं, मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के तो लोक निर्माण के लिए विज्ञापन छप रहे हैं लेकिन विपक्ष के किसी विधायक को यह सौभाग्य नहीं मिलता है।

*श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपने अभी हाल में ही मेरे क्षेत्र में शिलान्यास किया है। मैंने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैंने कोई शिलान्यास किया भी है तो उसका कोई विज्ञापन नहीं छपा। अगर मैं बड़ा भाई था तो जैसा आपने कहा, विज्ञापन का जो रास्ता आपने अख्तियार किया है, उस रास्ते में यदि मेरा भी एक फोटो अखबार में छपवा देते तो मैं सोचता, मेरे अनुज ने, मेरे लक्ष्मण ने राम के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई है।

* श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, आपने बताया नहीं कि आप उद्घाटन कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व यह कहना चाहता हूँ कि यह बजट सत्य से परे है, खोखला है।

स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, राम वापस कब आ रहे हैं ?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, निशंक जी यहाँ पर तो कह रहे हैं कि राम कब वापस आ रहे हैं लेकिन अगर राम वापस आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा नींद इनको नहीं आती है रात को।

(सत्ता पक्ष के किसी माननीय सदस्य द्वारा "लक्ष्मण का काम कर लेंगे" कहने पर।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, तय करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह आपका आपसी मामला है। दोनों एक ही जनपद के हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह अच्छा है कि मैं इधर रहूँ, निशंक जी उधर रहें। कभी हम उधर रहें, निशंक जी इधर रहें। हममें तालमेल है। जब हम आमने–सामने रहते हैं तो आपसी प्रेम ज्यादा रहता है। अगर साथ–साथ रहते हैं तो माननीय निशंक जी की आदत है, कुछ चुपके–चुपके लिखने की, इसलिए सम्बन्धों में उतनी मधुरता नहीं रहती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः जोर देकर कहना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो अभिभाषण का वाचन यहाँ पर किया गया, जो कार्यक्रम सरकार के रखे गये, ये बिल्कुल सत्य से परे हैं, खोखले हैं, झूठे आश्वासन हैं। जनता त्राहि–त्राहि कर रही है। पूरा प्रदेश अराजकता के माहौल में है। आन्दोलन के माहौल में है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश की जनता की नजरें सरकार की ओर नहीं, आपकी ओर हैं, इस सदन की ओर हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बिन्दु मैंने यहाँ उठाये हैं, सरकार गम्भीरता से उनका संज्ञान लेगी और कोई न कोई रास्ता इस प्रदेश के भले के लिए निकालेगी, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द। जय उत्तराखण्ड।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सदन में रखे जाने का कुछ उद्देश्य होता है। मुख्यतः उद्देश्य यह होता है कि सरकार की दर्शायी गई नीतियों में या कार्य–कलापों में जो इस अभिभाषण में आयें हों, उससे और आगे बढ़ते हुये सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से या विपक्ष के विधायकों की तरफ से कुछ ऐसे सुझाव आयें, जिन्हें अंकित करने से प्रदेश के विकास को गति मिले। मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत लम्बे समय तक इस सदन का समय लिया, लेकिन अभिभाषण की आलोचना के अलावा उन्होंने एक भी ऐसा सुझाव नहीं रखा, जो आने वाले समय के लिये, जिसकी हम आवश्यकता समझते थे कि अगर अच्छे सुझाव आयेंगे, तो उन सुझावों से प्रदेश के विकास में और आने वाले समय के लिये जो गति सरकार में आनी चाहिये, उसके लिये कुछ मार्गदर्शन मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो वर्षों में जो सरकार का कार्यकाल रहा, इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने जो ख्याति प्राप्त की है, वह सराहनीय है और इसके साथ ही साथ यह जो अभिलेख, जो आज सदन में आया है, जिस पर मैं बोल रहा हूँ, इसमें सरकार ने ऊर्जा, शिक्षा,चिकित्सा, पर्यटन, वन, कृषि और अन्य कई मदों में, अपनी आने वाली योजनाओं को प्रदर्शित किया है और उन योजनाओं से यह प्रतीत होता है कि यह जो बजट आज लाया गया है, हमारी सरकार इस बजट से ही नहीं, केन्द्र सरकार से और जो धन आने वाला है, जिसकी हमें अपेक्षा है, उससे बहुत भलीभांति अच्छे तरीके से विकास के कार्य को आगे बढ़ायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, अपने कुछ सुझाव भी रखना चाहूँगा। बड़ा दुःख हुआ, जब समाचार पत्रों में यह पढ़ा कि केन्द्र सरकार ने आने वाले दस वर्षों के लिये पूरे देश में नये जिले और तहसील का गठन करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड एक नया प्रदेश है, जो बहुत बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है, यह 13 जिलों का प्रदेश। इसमें हर प्रकार की प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिये इस प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों का परिसीमन किया जाना अति आवश्यक है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, ये जिले और तहसील तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो केन्द्र ने कहाँ मना किया है? (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, केन्द्र ने इस पर दस साल के लिए रोक लगा दी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में लम्बे समय से काशीपुर सहित पाँच नये जिले बनाये जाने की मांग

चल रही है और पिछली सरकार ने आनन–फानन में, बिना सोचे–समझे जो तहसीलों का गठन किया था, उन तहसीलों से जो मूल तहसीलें थीं उनका एरिया कम हो गया और जो नई तहसीलों का गठन किया गया था उनका एरिया इतना बढ़ गया कि मूल तहसीलों का अस्तित्व में रहना ही मुश्किल हो गया। इन सब समस्याओं को देखते हुए तहसीलों के क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना, कोतवालियों के क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना और विशेष तौर पर हमारा ये प्रदेश मात्र जिसमें दो ही कमिश्नरियाँ हैं, जिनको कुमाऊँ और गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। मात्र एक ऐसा प्रदेश सुसज्जित हुआ जिसके साथ बहुत बड़ा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। ये सौभाग्य है प्रदेश का, ये मैदानी क्षेत्र, इस प्रदेश को खाद्य के रूप में, अन्न के रूप में और उद्योगों के रूप में, वित्त के रूप में हर तरफ से यह क्षेत्र पूरे प्रदेश को सहयोग कर रहा है।

ऐसा क्षेत्र जिसको तराई और भाबर के नाम से जाना जाता है जिसकी पहचान अंग्रेजों के जमाने से नहीं, बल्कि मुगलिया खानदान के जमाने से भी इसकी एक पहचान रही है और ये तराई और भाबर का क्षेत्र जब से हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री कहलाये जाने वाले, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, पं० गोविन्द बल्लभ पंत जी ने उस समय जब उन्होंने इस क्षेत्र को आबाद करने के लिए एक सपना लिया और इस घने जंगलों को आबाद करने के लिए जो उन्होंने संदेश पूरे देश के लिए देते हुए जो एक निमंत्रण भेजा कि इस क्षेत्र को खेती योग्य किया जाय। इस संदेश से पाकिस्तान से उजड़े हुए लोग, पंजाब के लोग हरियाणा के लोग, पश्चिम बंगाल से उजड़े हुए लोगों ने यहां पर आ करके भयानक जानवरों से भयानक बीमारियों का मुकाबला करते हुए इस क्षेत्र को कड़ी मेहनत से आबाद किया और कम से कम दो पीढ़ियाँ इस क्षेत्र को आबाद करने में इन लोगों की लगी हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर धीरे–धीरे ये देखा जा रहा है कि ये तराई और भाबर के नाम की जो पहचान है, वो खत्म होती चली जा रही है। इस प्रदेश का अगर हमें चहुँमुखी विकास करना है, संतुलित विकास करना है तो यह आवश्यक है कि तराई और भाबर विकास नाम का एक तीसरा मण्डल सुसज्जित किया जाय। इस तीसरे मण्डल के सृजन से विकास संतुलित होगा और इस तराई और भाबर में बसे लोगों का एक आत्म विश्वास बनेगा कि जो सपना इस प्रदेश के विकास के लिए सारे प्रदेशवासियों ने लिया है, हम उसके अंग हैं। हमें भी उसी तरीके से मेहनत करनी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तराई और भाबर में बसे लोगों की मेहनत और पसीने को देख करके मान्यवर, इस प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भी एक किस्म की जागरूकता पैदा हुई है, एक उत्साह आया है कि मेहनत करके, मशक्कत करके, नेक नीति से इस प्रदेश के लिए हम अपना खून और पसीना बहा करके, इस प्रदेश को पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे में इसे चिन्हित करने का एक संकल्प लें। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है अच्छा होता, मैं अब भी यह कहूँगा कि इस अभिलेख में हम सब केन्द्र सरकार के लिये गये निर्णय की जहाँ भर्त्सना करते हैं वहाँ हमारा प्रदेश, हमारी सरकार इसकी घोर निन्दा करे और इसके प्रति चाहे हमें सुप्रीमकोर्ट में जाना पड़े या

फिर केन्द्र सरकार का विरोध करना पड़े, इस आदेश की प्रति, इस डाक्यूमेंट के माध्यम से हमारी आशाओं, हमारी उम्मीदें और हमारी सोच केन्द्र सरकार तक पहुँचनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा राज्य बहुत छोटा राज्य है और छोटे राज्य में............

श्री अध्यक्ष–

चीमा जी, सीमित करिये।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा समय दे दीजिए जिससे सारी बातें आ जायें। मान्यवर, यह राज्य एक जम्बो राज्य उत्तर प्रदेश से निकल कर मात्र 13 जिलों का राज्य बना। हमारे जितने भी विभाग हैं वह उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के समय से ही जो हमारी प्रक्रिया बनी हुई थी प्रशासन की उसी का अनुसरण करके हम आगे बढ़ गये हैं, लेकिन आज हमारे प्रदेश को इतने विभागों की जरूरत नहीं है। इन विभागों का वित्तीय लोड हमारे प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है, उससे भी हमें बचने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं यह कहूँगा कि इस छोटे राज्य में छोटी इकाईयों के साथ–साथ, यहाँ पर जो विभागीय परिसीमन है, वह भी किया जाना इस डाक्यूमेंट में अंकित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रियों के हमारे जो सम्बद्ध विभाग हैं वह बड़े असंतुलित हैं। मैंने किसी किसान से पूछा और किसानों ने कहा कि साहब उत्तर प्रदेश के समय में जब पानी स्प्रेट् करके उसमें सब्सिडी एग्रीकल्चर को मिलती थी तो पानी कम लगता था, पानी नीचे नहीं जाता था इससे बचाव हुआ था तो आपकी सरकार ने क्या किया, मैंने कृषि मंत्री से कहा कि माननीय मंत्री जी इसके ऊपर ध्यान दीजिए तो उन्होंने कहा कि यह विभाग ही मेरे पास नहीं है, यह उद्यान विभाग के पास है। उद्यान और कृषि में कोई अन्तर नहीं है, ऐसे विषयों पर हमें ध्यान देना होगा, हम ऐसे मंत्रालय के अन्तर्गत सारे विभागों को सम्मिलित करें जिससे सचिवालय का काम सुचारू रूप से चल पाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि चार धाम यात्रा जो यहाँ पर शुरू की गई है उससे कुछ लोगों, कुछ जातियों, कुछ धर्मों के लोगों के विश्वास को ठेस पहुँची है। इस डाक्यूमेंट के माध्यम से चार धाम यात्रा में हेमकुण्ड साहब, नानकमत्ता साहब और मुस्लिम समाज के कलियर शरीफ को शामिल किया जाय तो मैं यह समझता हूँ कि यह एक ऐसा मार्ग बनेगा जो हमारे प्रदेश में एकता का प्रतीत होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, काशीपुर में मैं अपने क्षेत्र पर आ रहा हूँ। काशीपुर पेयजल पुनर्गठन योजना, गिरीताल पेयजल योजना, द्रोणासागर नहर लाइनिंग योजना जो 23 करोड़, 27 करोड़, 1.96 करोड़ की लम्बे समय से विभागों की फाइलों में घूम रही है, जिससे मेरे काशीपुर के क्षेत्र में 40 साल, 60 साल पुरानी जो पाइप लाइन पेयजल के लिए बिछी है, मान्यवर, वह पाईप लाईन गल चुकी है, सड़ चुकी है। वह जगह–जगह से बर्स्ट होकर सीवरेज के साथ उसका कनेक्शन होता है और लोगों के पीने के पानी में सीवरेज का पानी जाता है। ऐसी योजनाओं को, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस डाक्यूमेंट में इसका भी उल्लेख कर दिया जाए, जिससे सरकार का ध्यान इन योजनाओं

को लागू करने में इसके लिए धन अवमुक्त करने में सरकार का ध्यान आकर्षित हो।

माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे ऐसे छोटे परिवार, जिनका सर्वेक्षण कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था और सर्वेक्षण के समय जिस आदमी के पास पैसा था वह गरीबी रेखा से नीचे चला गया और जिसके पास पैसा नहीं था, जो पैसा नहीं दे पाया, वह अमीरी का कार्ड ले पाया। इसलिए इसका पुनः सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है। जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोग बी०पी०एल० कार्ड प्राप्त करें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाये, अति आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा किसान, हमारे प्रदेश का किसान अगर हम उसकी आर्थिक स्थिति को देखें तो आज किसान अपने बच्चों को जूनियर हाईस्कूल तो क्या प्राइमरी स्कूल की फीस देने में भी असमर्थ है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया सीमित करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि जिन किसानों के पास सवा तीन एकड़ तक जमीन है, उन किसानों को चिन्हित करके उनको बी०पी०एल० के कार्ड दिये जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में पॉलीथीन की है। पॉलीथीन हमारा जो लिफाफा पैकिंग है, इसकी वजह से शहर में गंदगी और ऐसी गंदगी माननीय अध्यक्ष जी, कि उसके अंदर जो केले के छिक्कल और ऐसे वेस्टेज भरकर लोग फेंकते हैं, उसको गाय और भैंसें पॉलीथीन बैग के साथ ही खा जाती हैं और वे गाय और भैंसें मौत का शिकार हो जाती हैं। यह नालियों में भी जमा हो जाता है जिस कारण नालियाँ बंद हो जाती हैं और सड़कों के ऊपर पानी आता है। मेरा यह निवेदन है सरकार से सरकार का इस तरफ भी ध्यान आकर्षित हो। जैसे दिल्ली में और कुछ अन्य प्रदेशों में पाबंदी लगी है उस पर यहाँ पर भी पाबंदी लगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

* हाजी तस्लीम अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, इस अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे आपने अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस अभिभाषण को देखने से पता लगता है कि हमारे उत्तराखण्ड के जो गरीब व्यक्ति हैं, जनजाति हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए जो शिक्षा का स्तर हैं, मदरसे हैं इसमें उसका कोई भी उल्लेख नहीं है। मान्यवर, पूरे जिले हरिद्वार में मेरी विधान सभा क्षेत्र लालढांग में जनजाति के लोग रहते हैं और एक महिला प्रधान है जो पूरे जिले के अंदर जनजाति की प्रधान है और लालढांग का इलाका ऐसा इलाका है जहाँ जनजाति के लोग एस०सी० के लोग हैं। वह इलाका शिक्षा से भी बहुत वंचित है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट थोड़ा विराम दें। अगर सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए पाँच मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाए तो उचित रहेगा।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा पाँच मिनट के स्थान पर 10 मिनट का समय दिये जाने का अनुरोध किया गया)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। 10 मिनट।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, वहाँ सड़कों का हाल भी बहुत खराब है। जहाँ जनजाति के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। एक इलाका मिट्ठी बेरी, रसूलपुर और अन्य गाँव लालढांग से जो लगभग कुछ दूरी पर हैं उसके बीच में रवासन नदी है मान्यवर, उस रवासन नदी से बच्चे बरसात में पढ़ने स्कूल नहीं जा सकते और कोई बीमार हो तो वह इलाज के लिए नहीं जा सकता है। उस पुल के लिए बार–बार मांग भी की गयी है, अभी तक वहां पर कोई पुल नहीं बना।

सड़कों की हालत बहुत खराब है और अभी तक कोई सड़क भी वहां स्वीकृत नहीं है। इससे मिला हुआ उत्तराखण्ड में नैनीताल है वहां जाना पड़ता है या जसपुर जाना पड़ता है तो हम उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। एक गैण्डी खाता से जो सड़क लालढांग को जाती है उसके लिए बार–बार मांग की गयी है जो कोटद्वार को मिलता है। कई बार आश्वासन आ चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, अभी बताया जा रहा है कि उस पर टेण्डर हो चुका है, बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इसी तरह से जो हमारी सड़कें हैं जैसे शाहपुर, थोकपुर और निरंजनपुर रोड है। वह लगभग 19 किमी है उस पर भी आश्वासन दिया गया है। उस पर भी जो कार्यवाही सुनी जा रही है कि अब हो रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, इसी प्रकार हमारे यहां पेयजल की बात है वहां बहुत ज्यादा समस्या है। यदि वहां पर नल लगते हैं तो केवल चार महीने चलते हैं फिर बन्द हो जाते हैं। अभी बहुत ज्यादा नल खराब पड़े हैं पानी की बहुत ज्यादा कमी है। यहां के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किये जायें।

मान्यवर, इसी प्रकार जंगली जानवर हैं जो इस समय जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान किसानों को पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो किसान खेती करता है वह बड़ा दुखी रहता है क्योंकि जब अनाज तैयार होते हैं जानवरों द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है। मान्यवर, इसके लिये कोई ठोस उपाय नहीं किये गये जिससे किसानों के खेतों को जंगली जानवरों से बचाया जाए, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ बार–बार और कई–कई मौतें इन्सानों और मवेशियों की हुई हैं। ये लोग अपने बच्चों को छोड़कर खेतों में जाते हैं और इस प्रकार से उन्हें जान का खतरा होता है। जिससे मजदूरों को नुकसान होता है।

मान्यवर, आज शिक्षा में बहुत बड़ी उपलब्धि बतायी गयी है और शिक्षा में बताया गया कि सरकार ने दस हजार शिक्षकों की नियुक्ति की है। मान्यवर, मैं पता करना चाहता हूँ कि इन दस हजार नियुक्तियों में उर्दू के शिक्षकों की कितनी नियुक्ति की गयी है ? सरकार ने कौन सी ऐसी कोशिश की है और कौन सा प्रतिबन्ध लगाया है कि उर्दू के शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। ताकि इस अल्पसंख्यक समाज को भी और जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी इसमें रोजगार मिल जाय। लेकिन अभी तक कोई प्रयास सरकार ने नहीं किया है। उर्दू मदरसे हैं उनके लिए भी ऐसे कोई प्रयास नहीं किये हैं। इस बजट भाषण में भी कोई जिक्र नहीं है। ये तो कह दिया कि अल्पसंख्यकों का उद्धार करेंगे लेकिन इस प्रकार से कोई कार्य सरकार द्वारा नहीं किया गया। सबसे पहले तो शिक्षा का है, यदि हम अपने मदरसों को और स्कूलों को नही सुधारेंगे और वहां अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करेंगे।

अभी टिहरी से जो लोग पथरी जंगल में रह रहे हैं अब तक उन्हें टिहरी पुनर्वास नहीं किया गया। उन लोगों को जैसा का तैसा बसा दिया गया है। जो पुल बनाई थी वह भी टूट गयी है। सड़कें कोई नहीं हैं। न ही शिक्षा का कोई इंतजाम है। इस तरफ भी कोई सरकार का ध्यान नहीं है। मान्यवर, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। जो उनको जमीन दी गयी थी न ही उन्हें उसका अधिकार मिला है वे उससे भी वंचित हैं। मान्यवर, इस लेख में हमारा किसी भी तरीके का, जो उत्तराखण्ड का जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, एस0सी0 का यह किसी भी तरीके से उद्धार नहीं है। यह सबको आज पता भी हो चुका है कि जो पैसा लैप्स हो सकता है लेकिन मेरे ख्याल में या तो कुछ मानसिकता ही ऐसी रही है कि समाज का कोई भला न हो। मान्यवर, मैं अभी अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ और इसमें सुधार किया जाय, सरकार द्वारा फिक्र की जानी चहिए।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, यह मेरा सौभाग्य है। महोदय, यह सर्वविदित है कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और उसकी भावी योजनाओं पर केन्द्रित होता है और यह भी सच है कि कोई भी सरकार हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो वह जनता की भावनाओं के अनुरूप ही योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो 48 बिन्दु महामहिम जी के अभिभाषण में हैं मैं उन सभी का इसलिए स्वागत करता हूँ क्योंकि इसमें दो साल के कार्यकाल में सरकार ने जो कार्य किये हैं उसी का एक सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं सबसे पहले एक उत्तराखण्ड आंदोलनकारी होने के नाते सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने जहाँ सरकारी नौकरियों में उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों को समावेश करने की बात कही थी, इस सरकार ने उसी परम्परा को जीवित रखते हुए आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात कही है। मेरा सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है महोदय, कि जहाँ आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात की जा रही है वहीं पौड़ी, जहाँ से उत्तराखण्ड आंदोलन की शुरूआत हुई, मसूरी, जहाँ गोलीकाण्ड हुआ और अन्य भी शहर ऐसे हैं, वहां मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि उत्तराखण्ड के आंदोलन के उन दिनों को याद करने के लिए वहाँ भव्य स्मारकों का निर्माण कराया जाय।

दूसरा मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने वर्षों से शिक्षा मित्र और पी0टी0ए0 शिक्षकों की जो मांग थी, उन्हें पूरा किया है लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहूँगा कि एन0टी0टी0 प्रशिक्षित को और जो अन्य हमारे अंशकालिक शिक्षक हैं और मण्डल मुख्यालय पौड़ी में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि चतुर्थ श्रेणी के 20 कर्मचारियों को 10 साल की सेवा के बाद भी बाहर कर दिया गया है। मैं चाहूँगा कि मानवीय आधार को देखते हुए सरकार इन्हें पुनः नियुक्त करने पर विचार करेगी।

महोदय, यह भी सौभाग्य है कि निश्चित रूप से 108 की सेवा, जिसे मैं पूर्व में भी 'डा0 निशंक दी गड्डी' की संज्ञा दे चुका हूँ क्योंकि यह डा0 निशंक और सरकार का प्रयास रहा है कि 108 सेवा जिस तरह से प्रदेश में काम कर रही है। यह समूचे उत्तराखण्ड के लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं इतना निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री जी से करना चाहूँगा कि 108 के पीछे हमारी मंशा यह थी कि दूरस्थ क्षेत्रों में खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है तो 108 के द्वारा उन्हें हॉस्पिटलों में पहुँचाने का कार्य किया जाना चहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ-साथ अगर जिला चिकित्सालय भी तमाम सुविधाओं से लैस हो जायें तो यह जो 108 सेवा है वह सोने पे सुहागा की तरह आगे बढ़ती रहेगी।

महोदय, 48 बिन्दु का जो मैंने राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र किया उसमें निश्चित रूप से सभी कदम जो लिए गए हैं स्वागत योग्य हैं लेकिन थोड़ा बहुत तब्दीली मैं चाहूँगा कि इनमें होनी चाहिए। जिस तरह से कि सरकार के द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग की गयी है उसमें मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ के शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद उनका किस तरह से समायोजन किया जायेगा इस पर निश्चित रूप से सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पूर्व में नगरपालिका का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं इस बात को गम्भीरता के साथ कहना चाहूँगा महोदय, कि पूर्ववती सरकार के समय शहरी विकास का जो बजट था 365 करोड़ था और अंतिम दो वर्षों में उसको 500 करोड़ कर दिया गया था। मान्यवर, वही आज इस सरकार के द्वारा शहरी विकास का बजट इस तरह से किया जाना चाहिए कि शहरों की जो एक अवधारणा है विकास करने की, वह तेजी से आगे बढ़ सके। यह भी 'जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन' जो हमारा है उसमें मात्र तीन शहरों हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल को दिया गया है तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ शहरी विकास विभाग के बजट को कम किया गया है इस योजना के तहत अन्य नगरपालिकाओं को भी विकास करने की बात को गम्भीरता से रखा जाए।

महोदय, यह हम सब का सौभाग्य है कि श्री ए0आर0 रहमान के ऑस्कर जीतने पर सभी शीर्षस्थ लोगों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा बधाई दी गई,यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि 9 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज हमारे राज्य उत्तराखण्ड में फिल्म नीति, बाल फिल्म नीति और जो हमारी क्षेत्रीय भाषा

है कुमाऊँनी और गढ़वाली उनके निर्माण के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक नीति शीघ्र तैयार की जानी चहिए।

मान्यवर, मैं अन्त में यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणायें की जा रही हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके द्वारा विशेष रूप से जो शहरों में घोषणायें की जा रही हैं, भविष्य में जो हमारा मास्टर प्लान लागू किया जायेगा उन घोषणाओं को उन मास्टर प्लान के तहत किया जाना चाहिए, ताकि बाद में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मान्यवर, अन्त में कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस बिन्दु पर बोलने का अवसर दिया। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि जो 48 बिन्दु महामहिम के अभिभाषण में कहे गये हैं उन्हें शीघ्रता से पूरा करेंगे और मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और वह धीरे-धीरे करके अपने अंजाम तक पहुँचती है, मैं यह चार लाइनें आपको समर्पित करना चाहूँगा-

मोहब्बत नजरों से खूब बयां होती है, धीरे-धीरे यह फिर ये रवां होती है,
और आगे बढ़ती है तो सीढ़ियों के माफिक, खत्म न पूछ मेरे यार ये कहाँ होती है।

मान्यवर, मुझे उम्मीद है कि जो अभिभाषण है और उसमें जो कुछ कहा गया है, वह धीरे-धीरे एक प्रक्रिया के तहत पूरा होगा ताकि हम भी अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्य के अन्दर एक सुखद भविष्य की कल्पना कर सकें। धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह नेगी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने संशोधन प्रस्ताव रखने का और उस पर बल देने का सुअवसर दिया। श्रीमन् ,श्री राज्यपाल जी ने प्रस्ताव के अन्त में कहा कि निम्न जोड़ दिया जाये, किन्तु खेद है कि राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में निम्न का कोई उल्लेख नहीं किया है। श्रीमन्, मेरे द्वारा दिये गये संशोधन बिन्दु 1 से लेकर 33 तक उपस्थित मान लिये जाएं। श्रीमन्, एक आस्ट्रेलियन जब उत्तराखण्ड के भ्रमण में आया तो सूरज की रोशनी की प्रचुरता को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि उत्तराखण्ड को तो पहले ही सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर होना चहिए था। श्रीमन्, बरसात यहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में होती है कि अगर उसके पानी को बर्बाद होने से बचा लिया जाए तो सिंचाई के पानी की कमी नहीं होगी और न ही बिजली की, इस रूप में उत्तराखण्ड प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है। श्रीमन्, जब शीत यहाँ चरम सीमा पर पहुँचती है तो बिजली के उत्पादन में भारी गिरावट आती है और जब नदियों में प्रचुर मात्रा में जल होता है तो हम विद्युत के उत्पादन को अधिक तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रदेश के अन्दर अभी तक प्रदेश सरकार ने इसके भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, इसके लिए एक ही विकल्प बचा है, वह है एनर्जी बैंकिंग। मान्यवर, नदियों के पर्याप्त जल को अधिक से अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन करके उसको अन्य पूलों में सप्लाई किया जा सकता है और विद्युत के संकट के समय उन्हीं पूलों से बिजली वापस लेकर संकट का समाधान किया जा सकता है। श्रीमन्, आज सरकार कह रही है संयंत्रों की स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे स्थापित क्षमता में कई फीसदी वृद्धि हुई है, लेकिन

आज सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब स्थापित क्षमता का बेहतर उपयोग हो रहा है तो बिजली की विकास दर में गिरावट कैसे आ गयी। आज पूरा प्रदेश विद्युत के संकट से गुजर रहा है। प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी बिजली की लाइन नहीं पहुंची है और जहां पहुँची भी है वहां वह अकसर रूठी हुई रहती है और लोग बाग उसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। श्रीमन्, विद्वान वैद्यों का नुस्खा है, जब सीधे इलाज से मर्ज ठीक न हो तो मर्ज को बढ़ाने वाले कारकों का इलाज करना चहिए, तो मर्ज अपने आप ही शांत हो जायेगा।

श्रीमन्, महँगाई को रोकने के लिए यही नुस्खा अजमाया जाना चाहिए। मान्यवर, मजबूरी भी है, चूँकि सीधे इलाज से यह मर्ज काबू में नही आ रहा है। श्रीमन्, पूरे प्रदेश के 15699 आबादी वाले गरीब लोगों के लिए जीना कठिन हो रहा है और इसलिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनाज की कालाबाजारी करने वालों को, जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी और रेल मंत्रालय ने गैर कानूनी अनाज की दुलाई रोक दी। मान्यवर, दिल्ली की सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरों के खिलाफ छापे मारे और यह छापे विस्तार रूप से मारे, लेकिन खेद है कि उत्तराखण्ड प्रदेश सरकार ने एक भी जगह कोई कार्रवाई नहीं की है। श्रीमन्, जब तेज हवा होती है तो आग बुझने के बजाय भड़क भी जाती है और कभी-कभी आग बुझाने वाला पानी आग के लिए ईंधन बन जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सयाने लोग आग से जूझने के बजाय, आग को मिलने वाले ईंधन को खत्म करते हैं और इसी सयाने पन का प्रदेश सरकार में घोर अभाव है।

श्रीमन्, आज भूख के तीन मानक अपनाये गये है। पहला शिशु कुपोषण, दूसरा शिशु मृत्युदर और तीसरा कैलोरी की कमी। श्रीमन्, आज इस प्रदेश के अन्दर जहां कहीं भी किसी की मौत होती है तो कहा जाता है कि वह शांत हो गया है। इस प्रकार की शांति तो इस प्रदेश के अंदर कायम है, पूरे प्रदेश के अंदर कायम है। श्रीमन्, आज तो सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे इस प्रदेश के अंदर शांत हो रहे हैं। मान्यवर, इनकी गम्भीर बीमारी के कारण शिशु कुपोषण से सम्बन्धित हैं। इसलिए जमीनी हकीकत और सरकारी आंकड़े भूख की कहानी की पुष्टि करते हैं। श्रीमन्, आज सरकार की नीतियाँ कृषि को उसके अन्त की ओर ले जा रही हैं। आज जबरन जमीनों का अधिग्रहण कर औने-पौने दाम पर कम्पनियों और उद्योगों को दी जा रही हैं। श्रीमन्, ऑर्गेनिक खेती के लिए इस सरकार के पास कोई प्रोत्साहन पैकेज नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बलबीर सिंह नेगी जी, कृपया संक्षेप करिये।

श्री बलबीर सिंह नेगी-

मान्यवर, अभी 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट और लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

9 मिनट हो गये हैं।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, आज विशेष रूप से चिन्ता का विषय यह है कि जब महामहिम द्वारा कार्यवाही के लिए भेजे गये प्रकरणों को ही अफसरशाही दबा कर बैठ जाती है, तो आम जनता की फाईलों का क्या हस्र होगा, इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है। श्रीमन्, महामहिम द्वारा उद्धृत किये गये प्रकरणों पर ही अफसरशाही कुण्डली मार कर बैठ गयी, इसलिए महामहिम का चिन्तित होना लाजिमी था। श्रीमन्, इस प्रदेश के मंत्रिगणों ने कानून व्यवस्था और संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ लेकर वचन दिया। लेकिन उस समय तो वह मर्यादा ही भंग हो गयी, जब रूद्रप्रयाग में एक मंत्री ने राजस्व पुलिस के कब्जे से एक मुजरिम को छुड़ाने का प्रयास किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर सिंह नेगी जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय केदार सिंह रावत जी।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, एक और मंत्री ने राजधानी देहरादून के अन्दर पुलिस की चौकी से एक मुजरिम को छुड़ा कर जाँच को प्रभावित करने का दुस्साहस किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, सिर्फ यही नहीं एक और मंत्री ने दून जागरण के पत्रकार सुरेन्द्र अग्रवाल को अपने आवास पर केवल बन्धक ही नहीं बनाया, रात भर उसके ऊपर लात घूसों से आक्रमण करके, हमला करके अपने मनमाफिक हिसाब से समाचार पत्र में खण्डन करवाया। श्रीमन्, आज इनकी हालत रंगे हाथ पकड़े गये शख्स की तरह हो गयी। श्रीमन्, आज सरकार गाल बजा रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, नीति की परख तो इससे होती है कि उसका गरीब आदमी पर क्या असर हुआ। नीति की परख तो इससे होती है कि आम आदमी पर उसका क्या असर हुआ। श्रीमन्, आज इस सरकार के दो साल के कार्यकाल में दाल रोटी ही नहीं, चटनी रोटी भी महंगी पड़ रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, कभी लाल बत्ती प्रकरण पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाली भाजपा आज खुद कटघरे में खड़ी हो गयी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, इन्होंने 8 हजार और 10 हजारियों को जितनी सुविधाएं दी हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर सिंह नेगी जी जो बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं लाया जाएगा। श्री केदार सिंह रावत जी।

(माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी ने बोलना जारी रखा।)

श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है। मैं इस संशोधन प्रस्ताव पर माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय बलबीर सिंह नेगी जी द्वारा दिये गये सुझावों और संशोधनों से अपने आप को सम्बद्ध करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण, सरकार की नीतियों और कार्य–कलापों को लेकर के, जिसका पाठ इस माननीय सदन के समक्ष किया गया था उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इस प्रदेश का गठन जिन सपनों और इरादों को लेकर किया गया था उसमें विशेष रूप से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिये जाने का सपना देखा गया था। बेरोजगारों को पलायन से रोकने के लिये इस प्रदेश में, प्रदेश के संसाधनों के अनुरूप यहां पर उद्योग–धन्धे लगाये जाने के लिये सपना देखा गया था और प्रशासनिक इकाइयों को और छोटा करके प्रशासन को उत्तरदायी प्रशासन बनाये जाने का सपना देखा गया था। ताकि इसका लाभ आम आदमी तक मिल सके। दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों तक शासन और प्रशासन की सीधी पहुँच हो और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिले।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को छोड़कर मंत्रिमण्डल का कोई और सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, बड़ा दुःख का विषय है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर यहां चर्चा हो रही है और इससे सरकार की सदन के प्रति गम्भीरता परिलक्षित होती है कि पूरी सरकार यहां से नदारद है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, एक–एक चीज नोट की जा रही है, और एक–एक चीज का संज्ञान लिया जा रहा है। यह कलेक्टिव रिसपांसबिलिटी है, उसके तहत मैं यहां पर बैठा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह मैं मानता हूँ, जानता भी हूँ कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। यह स्वस्थ परम्परा होनी चाहिये कि अगर मंत्रिमण्डल का कोई एक सदस्य व्यस्त है तो ठीक है, लेकिन यहां तो पूरी सरकार ही व्यस्त है। केवल संसदीय कार्य मंत्री जी को छोड़कर, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, इस प्रदेश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये, प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिये जहां एक ओर परम्परागत चार धाम यात्रायें चलती हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, और केदारनाथ की। वहीं दूसरी ओर जो ऑफ सीजन रहता है, उसमें उत्तराखण्ड के अन्दर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिय कोई कार्य योजना परिलक्षित नहीं हो रही है। जबकि विदेशी पर्यटक बहुत बड़ी तादाद में भारतवर्ष में भारतदर्शन करने के लिये आते हैं और वह बड़े–बड़े शहरों में पांच सितारा होटलों में रहते हैं, वहां पर उनको जो सूचनायें मिलती हैं, उसमें सिर्फ जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू–मनाली या बाम्बे–गोवा या भरतपुर–उदयपुर–जयपुर–राजस्थान सर्किट और बुद्धा टूरिज्म सर्किट के बारे में ही जानकारी दी जाती है और इसके अतिरिक्त जबकि उत्तराखण्ड में अपार सम्भावनायें हैं कि उन विदेशी पर्यटकों को, जो हमारे देश के अन्दर नवम्बर माह से लेकर मार्च माह तक भारत दर्शन के लिये आना चाहते हैं, मान्यवर,उनको उत्तराखण्ड की धरती पर बुलाने के लिए, दिखाने के लिए सरकार की ऐसी कोई कार्ययोजना परिलक्षित नहीं हो रही है। जिससे सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सकता है और राजस्व बहुत बड़ी संख्या में बढ़ सकता है। इसी प्रकार से मान्यवर, जो प्रदेश के अंदर कुम्भ मेला आयोजित होने जा रहा है उस कुम्भ मेले से न सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश के छोटे से क्षेत्र प्रभावित हैं, अपितु पूरी चार धाम की जो यात्रा है, क्योंकि कुम्भ के लिए जो यात्री आता है फिर वो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के भी दर्शन करने के लिए जाता है और उस कुम्भ मेले के बजट से चारों धामों के यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो तीर्थ यात्री कुम्भ मेले में आते हैं, वो चारों धामों में जाते हैं तो उनका जो प्रेशर है चारों धामों पर है। उसमें यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए चारों धामों को बजट आवंटित करने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यह बहुत बड़ी खामी है। मान्यवर, साथ ही चार धाम यात्रा की जो व्यवस्था है वो हमारे प्रदेश की बहुत अनोखी व्यवस्था है, महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जहां एक ओर सरकार कितनी गम्भीर है, अभी मान्यवर, परसों मैंने एक प्रश्न लगाया था कि सन् 2000 में जानकी चट्टी तक लाईट व्हीकल पहुँच गई

थी जबकि हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी तक मोटर मार्ग स्वीकृत है और नौ साल बाद भी जबकि सन् 2000 में उसमें तीन बिन्दु इंगित किये गये थे, सम्भागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा वहां परमिट देने के लिए और उन तीनों बिन्दुओं को रिमूव करने के बाद आज 2009 में भी सरकार वहां पर क्या मोटर गाड़ी, भारी वाहन पहुँचाने की स्थिति में है या नहीं है तो सरकार का जवाब यह आया–हाँ, 2000 में लाईट व्हीकल वहां चला गया था और ये हल्का वाहन मार्ग स्वीकृत है, इसलिए लाईट व्हीकल वहां चल रहा है। ये सरकार की गम्भीरता को प्रदर्शित करता है। मान्यवर, और कितनी गम्भीरता से सरकार चार धाम यात्राओं को ले रही है जबकि वहां पर जानकी चट्टी जो लास्ट डेस्टिनेशन है, वहां तक गाड़ी का पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। मान्यवर, नहीं तो वहां पर गाड़ी पहुंचने से पूरे लाइन की जो यात्रा व्यवस्था है, वो सारी गाड़ियां सड़क के किनारे पार्क हो जाती हैं और जो पर्यटक और तीर्थ यात्री रहते हैं वो कभी–कभी तो 8–8, 10–10, घंटे तक जाम में फंस जाते हैं जिससे पूरे देश और विदेश में हमारे पूरे प्रदेश की बहुत बड़ी बदनामी होती है। इसलिए चार धाम यात्रा व्यवस्था के तहत पर्यटकों और यात्रियों की सुविधा के लिए जगह–जगह बस और टैक्सी पार्किंग और बस को यमुनोत्री धाम में जानकी चट्टी तक बढ़ाने का कोई निश्चित प्राविधान परिलक्षित नहीं हो रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार प्रदेश के विकास के प्रति गम्भीर नहीं है।

वहीं दूसरी ओर मान्यवर, जो प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए चाहे वो बी0एड0 के हैं, बी0पी0एड0 के हैं, फिजियोथेरेपी के हैं, लाईब्रेरी साईंस के हैं, जितने भी प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनके सम्बन्ध में चाहे वो आई0टी0आई0 हैं, अन्य ट्रेडों से हैं, फार्मेसिस्ट हैं, जितने भी प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए सरकार के द्वारा कोई कार्ययोजना नहीं बनायी गयी है, उनको रोजगार देने के लिए कोई प्राविधान, नीति और कार्यक्रम नहीं बनाये गये हैं जो सरकार की बहुत बड़ी खामी को प्रदर्शित करता है। मान्यवर, प्रशासनिक सुधार के मामले में कोई स्पष्ट नीति उल्लिखित नहीं की गयी है। जहां छोटे राज्य को इस लिए छोटा किया गया था कि प्रशासनिक जो पकड़ है, प्रशासनिक जो क्षमता है, प्रशासनिक जो दक्षता है, वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और आम आदमी तक जल्दी से जल्दी पहुँचेगी। वहीं मान्यवर, सिर्फ हमारे सचिवालय में ही सेवन डेस्क सिस्टम है। एक कागज सात डेस्क पर जा रहा है। जिम्मेदार प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों के कागज का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, अभी हाल ही में, 2007 में, भारत सरकार का पत्र आया गृह अनुभाग को वह पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का था, उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। मैंने अप्रैल, 2007 में गृह अनुभाग को पत्र लिखा कि आपने इसमें क्या कार्यवाही की है, जिलाधिकारी से इसमें इन्टाइटिल रिपोर्ट सम्बन्धित डाक्यूमेंट मंगवाये हैं, इसकी कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराया जाये। कुछ दिन पहले मैंने स्वयं अनुभाग में जाकर उस पत्र को ढुंढवाया तब जाकर उस पर कार्यवाही करा पाया। जो प्रशासनिक सुधार होना चाहिए वह इसमें परिलक्षित नहीं हो रहा है। कृषि और चकबन्दी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चकबंदी के बारे में भी कोई कार्य योजना इसमें परिलक्षित नहीं हुई है। आधारभूत ढाँचा, इन्फास्ट्रक्चर ढाँचा जो ग्राम्य विकास का है वह तब तक पर्वतीय क्षेत्र में नहीं हो सकता है जब तक वहाँ पर स्वैच्छिक चकबंदी का कार्यक्रम लागू न हो जाये। स्वैच्छिक चकबंदी

कार्यक्रम को लागू करने के लिए किसी प्रकार की कार्ययोजना नहीं बनाई गई है। कृषि बीमा के लिए भी मानक तहसील क्षेत्र से न होकर गाँव का होना चाहिए, यह भी इसमें परिलक्षित नहीं हो रहा है। धन्यवाद।

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय श्री केदार सिंह फोनिया जी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको अन्तरमन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने, 'सरकार जनता के द्वार', 'हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश बनाने का' जो नारा हमारी सरकार ने दिया उसको परिकल्पित करने के लिए महामहिम राज्यपाल जी द्वारा एक ऐतिहासिक दस्तावेज सदन में रखा जिसकी मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ। यद्यपि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई मामलों में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, हमारी सरकार ने इन दो सालों में एक अभूतपूर्व निर्णय लिया कि राज्य योजना, पंच वर्षीय योजना और जिला योजना को जिलों में प्रतिस्थापित करके दैवी आपदा जैसी योजनाओं को जिले में समय पर दे कर एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया है ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले और पारदर्शी रूप में व्यय का विवरण हो जिससे जिलों में एक बहुत अच्छा संदेश गया है और परिव्ययों का बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर खर्च भी हो रहा है इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

पर्यटन के क्षेत्र में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने आपको कई आवार्डों से नवाजा और इसी क्षेत्र में हमारे पूरे प्रदेश में 25 नये हैलीपैड का निर्माण हो रहा है और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक जनपद में हम नये हैलीपैडों का निर्माण करेंगे जिससे पर्यटन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कार्य करने जा रहे हैं। प्रदेश में घटते जल स्रोतों के रखरखाव और संवर्द्धन के लिए नये गूलों के निर्माण, हौज हाईड्रम और पम्पसैटों के निर्माण पर 70 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षमता का सृजन किया जा रहा है ताकि हमारे प्रदेश में इस समय पर्यावरण का, जो भूमि कटाव हो रहा है जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कम वर्षा हो रही है तो सिंचित और संवर्द्धन के लिए हमारी सरकार एक ठोस कदम उठा रही है। हमारी सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में पी0पी0पी0 मोड में तो काम कर ही रही है साथ ही साथ ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा को एक विशेष रूप में छूट के रूप में देकर एक वैकल्पिक ऊर्जा को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा वनों में औषधीय पौधों की वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिए वैज्ञानिक तरीके से रैपिड मैपिंग एक्सरसाईज की जा रही है और अल्मोड़ा, हरिद्वार में वन्य जीवों के पुनर्वास के लिए केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। क्योंकि वन्य जीव एक ऐसी हमारे प्रदेश की जो बहुत अच्छी समृद्धि है, इसको ठीक करने की आवश्यकता हो रही है। यद्यपि वन्य जीव के क्षेत्र में, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में इस समय बाघों का आतंक चल रहा है, बन्दरों का आतंक चल रहा है और कई वन्य जीवों से मानवों को भी नुकसान हो रहा है। मेरा एक सुझाव है कि वन्य जीवों के क्षेत्र में सरकार अलग से योजना बनाये, बंदरों, सुअरों और हाथियों के साथ–साथ बाघों के संरक्षण के लिए एक अलग से योजना बनाये ताकि मानव जीवन की भी रक्षा की जा सके।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक बातें हुई। हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक संवेदनशील है। हमने इस 2 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 5600 विशिष्ट बी0टी0सी0, इसी तरह आठ हजार एल0टी0 के शिक्षक, 360 इण्टर कॉलेज के प्रिन्सिपल, 382 हाईस्कूल के प्रिन्सिपल, 90 खण्ड शिक्षा अधिकारी, 7500 बाल विकास आंगनबाड़ी की सेविकायें और पाँच हजार पुलिस की भर्तियाँ की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय खण्डूड़ी जी की सरकार में पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को नियुक्ति न मिली हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रदेश को दी है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बी0पी0एल0 परिवार के लोगों को कन्या धन योजना, तेजस्वी योजना और दीन दयाल आवास योजना और अनेकों ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनायें हमारी सरकार ने शुरू की हैं, इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में कई नये विषयों का सृजन और सेकेण्ड शिफ्ट में बच्चों को पॉलिटेक्निक में शिक्षा देने की सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। जो बहुत ही अच्छी योजना है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे कई बेरोजगार लोग बाहरी प्रदेशों में बी0एड0 का प्रशिक्षण लेते हैं और उसमें हजारों लाखों रूपया खर्च करते हैं। सरकार को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 15 राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 कॉलेजों की स्थापना की है। जिससे हमारे उत्तराखण्ड के ही नौजवान और बेरोजगार लोगों को बी0एड0 की शिक्षा दी जा सके ताकि उनको नौकरी दी जा सके। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनायें हमारी सरकार ने शुरू की हैं। राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करके और वाल्मिकी संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना करके अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसके लिए भी मैं सरकार को सम्मान देना चाहता हूँ। और मेरा सुझाव भी है कि अनुसूचित जाति के बेरोजगार नौजवानों को बैक लॉग के माध्यम से, नौकरियों में प्रमोशन देकर, अतिरिक्त प्रमोशन देने का भी सरकार काम करेगी और बैक लॉग के माध्यम से नयी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के लोगों को आगे आने का मौका देगी। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

हमारे पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में चाय विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम सरकार कर रही है और 479 हे0 चाय बगानों में चाय का काम हो रहा है जिससे हजारों महिलाओं और लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा है। मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति और एस0सी0पी0के क्षेत्र में भी चाय का काम हो रहा है और भी चाय का काम बढ़ाने की आवश्यकता है और जो हमारी वन भूमि है नाप, बेनाप और वन पंचायत की भूमि है, उस पर भी चाय लगाने की आवश्यकता है ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मैं गन्ना मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 56 करोड़ रूपया गन्ना किसानों के भुगतान के लिए स्वीकृत किया है यह भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है।

खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़ी योजना दी है। पिछली सरकार में जब कोई गोल्ड मैडिल लाता था, इण्टर नेशनल गेम में मैडल लाता था तो बच्चे को 10 हजार, पाँच हजार और दो हजार की पुरस्कार राशि मिलती थी। मैं माननीय खेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 7500 रूपया मासिक पेन्शन के रूप में और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 5000 रूपये और जो राज्य के खिलाड़ी हैं उनको 2 से 3 हजार रूपये पेन्शन देने की व्यवस्था की है। मैं इस सब के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिभाषण प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं नेता प्रतिपक्ष से अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सरकार जनता के द्वार जाकर के जनता की समस्याओं का निराकरण करना चाहती है। जनता की समस्याओं को हल करना चाहती है। यह सरकार एक ऐसी सरकार है, ऐसे जनता के द्वार है, दरबार लगता है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को इसकी सूचना तक नहीं होती है और वहाँ की जनता को यह कहा जाता है कि आपकी एप्लिकेशन तब ली जायेगी जब जिला मण्डल के अध्यक्ष से फॉरवर्ड कराके लायेंगे या जिला अध्यक्ष से फॉरवर्ड कराके लायेंगे। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रचार कर रही है। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है जिससे वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। अधिकारियों के ऊपर अधिकार जमा सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी, इतनी जगह हत्यायें हो रही हैं। इतिहास गवाह है पिछले सालों का, चोरियाँ यहाँ बढ़ी हैं, डकैतियाँ यहाँ बढ़ी हैं, कितनी लूट यहाँ पर हुई है, कितनी बैंक डकैतियाँ यहाँ पर हुई हैं इतिहास गवाह है। सरकार भयमुक्त समाज देना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जोर–शोर से प्रचार–प्रसार किया है। बिन्दु तीन में दिया है जिला प्लान, राज्य प्लान के अन्तर्गत हम इसको संशोधित कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आबादी के हिसाब से, शासनादेश के हिसाब से हरिद्वार का जिला प्लान जो जिलाधिकारी ने संस्तुत करके यहाँ भेजा है, उस जिला प्लान को संशोधित नहीं किया जा रहा है। जानबूझकर हरिद्वार के लोगों का उत्पीड़न करने की दृष्टि से वहाँ के जिला प्लान को संशोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे ये जिला प्लान और राज्य प्लान का संशोधन करना चाहते हैं। पी0पी0पी0 मोड के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, पी0पी0पी0 मोड क्या है। यह पी0पी0पी0 मोड है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने काम में लगाना और अपने काम में लगाकर, उन्हें काम में जुटा देना, यह पी0पी0पी0 मोड है। इसमें कोई अनुश्रवण की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे इसमें भ्रष्टाचार बढ़ने के पूरे चांसिज हैं। पी0पी0पी0 मोड में जनता की गाढ़ी कमाई को पी जाएंगे। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ, बड़ा बखान किया गया है, पी0पी0पी0 के अन्तर्गत हम इतनी सड़कों का प्रचार–प्रसार कर रहे हैं कि इतनी सड़कें हमें बनानी हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं खेद के साथ कहना चाहता हूँ पहला चरण आज से एक साल पूर्व पूरा हो जाना चाहिए था और द्वितीय चरण आज तक पूर्ण हो जाना चाहिए था लेकिन पहला चरण भी यहाँ पूर्ण नहीं हुआ। जब ए0डी0बी0 की टीम यहाँ आयी तो उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कैसे अधिकारी हैं, जो पैसा हम दे रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, समय से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे सड़कें बनाना चाहती है यह सरकार। यह चरणबद्ध तरीके से किसी भी योजना को लागू नहीं करना चाहती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बिन्दु संख्या–6 में भारत सरकार की योजना का जिक्र किया गया है, इसमें अपना बखान करना चाहते हैं। बिन्दु संख्या–7 में यह दिया है कि लोक निर्माण में हम बहुत पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आप लोक निर्माण में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, 5 करोड़ से ज्यादा योजना पर आप ऐसी टीम गठित करना चाहते हैं, जो उन सड़कों का अनुश्रवण कर सके। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें भूतपूर्व अभियंताओं की कहाँ आवश्यकता है? भूतपूर्व अभियंताओं की क्या जिम्मेदारी है? अगर आपको गठित करनी चाहिए थी तो वर्तमान अभियंताओं की टीम गठित करनी चाहिए थी। जिनकी जिम्मेदारी भी है। जो जिम्मेदारी महसूस कर सकें। जिनके खिलाफ सरकार कार्यवाही कर सके ऐसी टीम गठित करनी चाहिए थी। इन्होंने भूतपूर्व अभियंताओं को अनुश्रवण के लिए लोक निर्माण को भेज दिया है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार की सड़क होती है उन पर पांच साल अनुश्रवण होता है और जब जिला प्लान और राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सड़कें बनाई जाती हैं तो उसे मात्र छः महीने का अनुश्रवण किया जाता है। ऐसी विसंगति क्यों उत्पन्न की जाती है? क्यों न ही भारत सरकार की तरह पांच साल की जिम्मेदारी वहाँ के ठेकेदार और इंजीनियर को दी जाती है ?

श्रम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत से उद्योग धन्धे लगाए गए हैं। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई गईं। बहुत फैक्ट्रियाँ माननीय तिवारी जी के जमाने में लगाई गई लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 70 प्रतिशत का एक जी0ओ0 यहाँ सरकार ने बनाया लेकिन उस जी0ओ0 के अनुसार किसी भी क्षेत्र में नवयुवकों को नौकरी नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी वायदा किया था, घोषणा की थी कि इसका पालन किया जायेगा और 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार दिलायेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, पेयजल, हरिद्वार जनपद में पेयजल की बहुत ही व्यवस्था खराब है। यहाँ पर जो हैण्डपम्प लगे हैं उसमें से 50 प्रतिशत खराब पड़े हैं पिछले दो सालों से। जब पिछली बार भी बजट भाषण हो रहा था उसमें मैंने कहा था कि 1285 नल रिबोर होने चाहिए और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि निश्चित रूप से हम इस साल में रिबोर करा देंगे। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी नल रिबोर नहीं कराये गये हैं और साथ साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो उद्योग लगाये गये हैं वे रिबोर करके अपना गन्दा पानी बिना ट्रीटमेन्ट के जमीन में डाल रहे हैं और प्रदूषित पानी दे रहे हैं, जिससे कि वहाँ के क्षेत्र के लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस पर भी रोकथाम होनी चाहिए ऐसा कुछ इस सरकार ने इसमें नहीं किया है।

मैं कहना चाहता हूँ सिंचाई के साधन के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ कि सिंचाई के साधन के मामले में पूरे उत्तराखण्ड में कितने सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए हैं ? मैं कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद में एक भी सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है। सरकार ने घोषणा की थी और मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम नहर बनायेंगे। उन्होंने कहा था कि हम सिंचाई के टोह लगवायेंगे लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है आखिर क्यों भेदभाव किया जा रहा है? भगवानपुर क्षेत्र के साथ, हरिद्वार की जनता के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ऊर्जा के क्षेत्र में, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले दो सालों से पहले कैसी विद्युत की व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था है। आज 12–12 घन्टे बिजली हमें नहीं मिल पा रही है। 4–4 महीने में हमें ट्रांसफारमर मिलते हैं, यह व्यवस्था है बिजली की और ये कहते हैं कि हम ऊर्जा प्रदेश बनाना चाहते हैं? कहाँ है ऊर्जा प्रदेश ? ऐसी सरकार जो जनता को बिजली भी न उपलब्ध करा सके।

उद्योगों के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ कि उद्योगों के बारे में बड़े जोर–जोर से प्वाइंट 15 में प्रचार–प्रसार किया गया है कि हमने पर्वतीय उद्योग नीति 2008 लागू कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्वतीय उद्योग नीति 2008 लागू तो कर दी है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जब से यह उद्योग नीति लागू हुई है कितने पर्वतीय क्षेत्रों में और कितने मैदानी क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह ऐसी योजना है जिस प्रकार से कहावत है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो न यह मैदान का है और न पर्वतीय क्षेत्र का है, न मैदान में उद्योग लग रहे हैं और न पर्वतीय क्षेत्र में लग रहे हैं। ऐसी उद्योग नीति है हमारी सरकार की ।

शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि प्राथमिक विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था है, हमारे शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत विद्वान हैं। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर दो छात्र हैं वहाँ पर दो अध्यापक नियुक्त हैं और जहाँ पर 400 छात्र हैं वहाँ पर एक अध्यापक नियुक्त है। मान्यवर, यह कैसी व्यवस्था है? किस प्रकार से छात्रों को शिक्षा प्राप्त करायी जा सकेगी? ऐसी विडम्बना है यहाँ पर। ऐसी प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर। माननीय अध्यक्ष जी, खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा में यदि मैथ का टीचर है तो हिन्दी का नहीं है और यदि हिन्दी का है तो अंग्रेजी का नहीं है। यदि साइंस का टीचर है तो सोशल साइंस का टीचर नहीं है। गरीब बच्चे जो गांव में रहते हैं, हमारे लोगों के बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ लेते हैं, सभी सम्मानित सदस्यों के बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें वहाँ पर अध्यापक ही नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसे माध्यमिक शिक्षा का क्या काम है। क्या उद्देश्य है सरकार का, कैसी शिक्षा देना चाहती है सरकार ?

मान्यवर, इसके साथ–साथ मैं उच्च शिक्षा के बारे में यह भी कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद की घोर अपेक्षा की गई है कि एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज हरिद्वार जनपद में नहीं है। यह बड़ी विडम्बना की बात है कि हरिद्वार जनपद में एक भी राजकीय विद्यालय नहीं है जबकि अन्य जनपदों में 4–6–7–10 विद्यालय भरे पड़े हैं। इसलिए उच्च शिक्षा के मामले में निश्चित रूप से हमारी उपेक्षा की जा रही है, हरिद्वार जनपद की

उपेक्षा की जा रही है। इसलिए वहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज जरूर बनने चाहिए, पॉलिटेक्निक बनने चाहिए, इंजीनियरिंग कालेज राजकीय बनने चाहिए, मेडिकल कॉलेज हरिद्वार जनपद में खोला जाना चहिए। मान्यवर, ए0एम0ए0 की बात थी, ए0एम0ए0 बनाये जाने की व्यवस्था की जा रही थी लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसे गढ़वाल में नहीं बनने देना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा कि इसे कुमाऊँ में नहीं बनने देना चाहिए, लेकिन जो जमीन हरिद्वार जनपद में देखी गई है उसमें ए0एम0ए0 को बना देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है। इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ। मान्यवर, अभी केवल 7 मिनट हुये हैं अभी घण्टी न बजाइयेगा क्योंकि मैं बड़ी तेजी से 10 मिनट में अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा। मान्यवर, कुम्भ मेला के बारे में मेरा आपसे कहना है कि कुम्भ मेला के बारे में कोई ठोस नीति नहीं बनाई जा रही है। चार धाम यात्रा का मामला है।

(माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा अपने स्थान पर बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

मान्यवर, कुम्भ मेला, जहाँ के आप प्रभारी हैं, जहाँ के आप मंत्री हैं, जहाँ आप निवास करते हैं, जहाँ पर आपका आवास है, जहाँ पर आपने दूध बेचा है, जहाँ पर आपने मावा बेचा है उस स्थान की बात कर रहा हूँ, उसे मत भूलिये। कुम्भ मेले की बात कर रहा हूँ, कुम्भ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि कुम्भ मेले की सही प्रकार से कोई नीति नहीं बनी जिससे उसका विकास हो सके, वहाँ स्थानीय योजनायें बनायी जा सकें। चार धाम यात्रा की बात आयी, चार धाम यात्रा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि चार धाम यात्रा उत्तराखण्ड के हरिद्वार से शुरू होनी चाहिए क्योंकि हरिद्वार उत्तराखण्ड का मुख्य द्वार है।

अनुसूचित जाति के बारे में सुबह बड़ी यहाँ चर्चा हुई एस0सी0 एस0सी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत किस प्रकार से घोर उपेक्षा अनुसूचित जाति के लोगों की की जा रही है, किस प्रकार से अनुसूचित जाति के साथ अन्याय किया जा रहा है, किस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों का बजट लैप्स किया जा रहा है। उनके साथ अन्याय जो किया जा रहा है वह बहुत ही निन्दनीय विषय है और अल्पसंख्यकों के बारे में जो नीतियाँ पहले चल रही थीं वह भी समाप्त कर दी गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ कि गन्ने का पिछले साल का भुगतान नहीं दिया गया है, वह जो घोषित मूल्य है उसके अनुसार गन्ने का भुगतान कर देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बी0पी0एल0 के राशन कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं उनके राशन कार्ड बनने चाहिए जिससे कि उनको राशन मिल सके। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पंचायत राज और पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत 2 वर्ष में पंचायतों को धन का आवंटन ठीक प्रकार से नहीं किया गया है, उनको धन का आवंटन किया जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों, शिक्षकों और निगमों के कर्मचारियों को छठा वेतन मिलना चाहिए। पुलिस बल को आधुनिक हथियारों से लैस करके पुलिस का मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि बाम्बे जैसी घटनायें हमारे प्रदेश में न हो सकें, पुलिस एक्ट जो बनाया था उसमें यह भी करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अन्त में मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले माननीय अध्यक्ष जी, आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे कहने का मौका दिया, अभिभाषण में भाग लेने का मौका दिया। ये जो अभिभाषण है यह मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों, उत्तराखण्ड के प्रत्येक नागरिक का विरोधी अभिभाषण है, यह केवल कागजों का खोखला घोषणा दस्तावेज है मैं इसकी घोर निन्दा करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष–

शेष चर्चा कल जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य डा0 हरक सिंह रावत, श्री केदार सिंह रावत, श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की कुल 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य डा0 हरक सिंह रावत की सूचना जो उत्तराखण्ड परिवहन निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने हेतु अपनायी जा रही दोहरी नीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिए तथा श्री केदार सिंह रावत की सूचना, जो प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 में प्रशिक्षणार्थियों को गृह जनपदों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 6 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादून:

दिनांक 26 फरवरी,2009

महेश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 विधान सभा/140–26–06–2012–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।